

PEOPLE FOR  
THE ETHICAL  
TREATMENT  
OF ANIMALS

PETA India  
PO Box 28260  
Juhu, Mumbai 400 049  
(22) 4072 7382  
(22) 2636 7383 (fax)

Info@petaindia.org  
PETAIndia.com

To

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of Animal Husbandry of all States/UTs

14 May 2020

**Re: Pet shops and dog breeders operating in apparent violation of established rules**

Dear Sir/ Madam,

I'm writing to you from People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India regarding apparent legal violations by pet shops and dog breeders operating in your state/UT and to call your attention to a recent circular issued by the Animal Welfare Board of India (AWBI) in this regard.

On 1 May 2020, the AWBI – a statutory body that operates under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying) – issued a circular to all relevant state and union territory officials stating that **following lockdown restrictions, only pet shops and dog-breeding establishments that are duly registered with the State Animal Welfare Board (SAWB) may be allowed to reopen.** (A copy of this circular is appended as **Annexure 1.**) The Maharashtra government has issued an internal letter for the implementation of the AWBI's circular (**Annexure 2**).

Right to Information (RTI) replies received from states and union territories also confirmed that most pet shops and dog breeders operating in the country aren't duly registered as required under the law. (The RTI reply received from your state/UT is appended as **Annexure 3.**) A quick internet search reveals that despite this, at least 100 pet shops are operating in your region. (List of 'pet' stores in the States/ UTs as found on Internet, and not necessarily exhaustive, is appended as **Annexure 4.**) Many pet shops and breeders in recipient's state/UT use portals such as OLX.in and Quikr.com to sell animals, although recent RTI replies reveal that they aren't registered with any SAWB, either.

Pet shops that sell live animals are in apparent violation of Rule 3 of the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018, (**Annexure 5**) if they failed to register with the SAWB, and those breeding dogs for sale are in apparent violation of Rule 3 of the Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017, (**Annexure 6**) if they failed to register with the SAWB.

Dog breeders and pet stores are notorious for animal abuse, and when they're wholly unregulated, severe problems can be expected. Typical forms of cruelty often include illegal ear and tail mutilations, breeding dogs so that they develop severe health problems, keeping animals in deplorable conditions, and selling sick animals to the public.

In light of this information, PETA India requests that you do the following:

**Affiliates:**

- PETA Asia
- PETA Australia
- PETA Foundation (UK)
- PETA France
- PETA Germany
- PETA Netherlands
- PETA US

Registered Office:  
F-110, 1<sup>st</sup> Floor, Jagdamba Tower  
Plot No 13, Community Centre  
Preet Vihar, New Delhi  
110 092

CIN: U74899DL2000NPL103217

PEOPLE FOR  
THE ETHICAL  
TREATMENT  
OF ANIMALS

- i. Issue necessary orders for the implementation of the recent circular issued by the AWBI to ensure that **pet shops and dog-breeding establishments in your state/UT** aren't allowed to reopen without being duly registered with the SAWB.
- ii. Issue necessary orders directing all pet shops and dog-breeding establishments not to display any animals for sale on any online platform, including OLX.in and Quikr.com.
- iii. Issue necessary directions to relevant authorities directing all online platforms, including OLX.in and Quikr.com, to remove webpages relating to the sale of animals.
- iv. Issue necessary orders to the relevant authorities to confiscate animals when necessary. (They may work with reputable local animal protection organisations to do this.)

PETA India  
PO Box 28260  
Juhu, Mumbai 400 049  
(22) 4072 7382  
(22) 2636 7383 (fax)

Info@petaindia.org  
PETAIndia.com

We further urge you to take any other necessary actions in this regard that may be deemed appropriate under any other relevant provisions of law.

Please keep us notified of the steps that your good office takes. I can be reached on +93 24994371 or at [MallikaR@petaindia.org](mailto:MallikaR@petaindia.org).

Sincerely yours,



Mallika Roy  
Corporate Liaison  
PETA India

**Affiliates:**

- PETA Asia
- PETA Australia
- PETA Foundation (UK)
- PETA France
- PETA Germany
- PETA Netherlands
- PETA US

Registered Office:  
F-110, 1<sup>st</sup> Floor, Jagdamba Tower  
Plot No 13, Community Centre  
Preet Vihar, New Delhi  
110 092

CIN: U74899DL2000NPL103217



## ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India  
(Department of Animal Husbandry and Dairying)  
NIAW Campus, 42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway  
NH-2, Ballabhgarh, Haryana-121004

Email: [animalwelfareboard@gmail.com](mailto:animalwelfareboard@gmail.com) : Website: [www.awbi.in](http://www.awbi.in)

No. 9-16/2019-20/PCA

Date: 01.05.2020

### CIRCULAR

To

The Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary of Animal Husbandry  
of all States/ UTs

Sir/Madam,

**Subject: Implementation of Prevention of Cruelty to Animal (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2018 framed under PCA, Act, 1960- reg.**


As you may be aware that the Central Government has framed Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 and Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018. During the lockdown, the Board issued letter bearing no 9-16/2019-20/PCA dated 24.03.2020 requesting the law enforcing authority to ensure evacuation of animals stranded in pet shops and other commercial pet trade establishments which were likely to die without food, water, etc. and State Animal Welfare Board (SAWB) were asked to evacuate such animals WITH the help of SPCA and local administration.

2. These dog breeding establishments and pet shops were found in possession of various local, exotic and wild animal and birds, etc. Further, it has also been noticed that the animals are not kept in an ideal environment and the animals are suffering from unnecessary pain and cruelty. Therefore, to regulate the pet shops and dog breeding establishments so that the establishment followed scientific norms, mitigate spread of zoonotic disease outbreak, the Central Government has framed Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 and Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.

3. Under these rules, the Pet shop and the dog breeding establishments need to be registered and the SAWBs are the registering authorities. As per Rule 4(5) of the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 requires the concerned SAWBs to register and issue certificates of registration to each pet shop while Rule 3 prohibits the operation of pet shops without such registration. Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017, under Rule 3 prohibits the breeding of dogs without a certificate of registration from the SAWB.

4. In view of the above two existing sets of rules, it is requested that the State Animal welfare Boards to ensure that after the Lockdown restrictions the pet shops and dog breeding establishments must be registered and the Pet Shops and Dog Breeding Establishments may reopen only after registration with the State Animal Welfare Board.

Yours Sincerely

  
(S.K. Dutta)  
Secretary



**MAHARASHTRA GOVERNMENT**  
**Commissionerate of animal husbandry, Maharashtra Government**  
**Opp. Spicer Memorial College, Aundh, Pune- 411067**

**Telephones:020-25690480,81,85**  
**Fax No: 020-25690489**

**E-mail:cah.planning@gmail.com**  
**Extn No:215,260,247,248,250,252**

---

O.No.NO.S.L.T/C.NO.16/, dt-1/695/2020, PS-6, PUNE, Dt.08/05/2020

To,

Hon. District collector and president,  
District prani clesh pratibandhak society (all)

Subject: Regarding implementation of central government's prevention of cruelty to animal act 1960, Domestic pet animal shop act 2018 and dog breeding and marketing act 2017.

Ref.:

1. Gazette notification of central government dr. 23/05/2017
2. Gazette notification of central government dr. 06/09/2018
3. Letter of this office No. S.L.T./Rules/183/5749-5859/2018, PS-12, Pune dt. 11/10/2018
4. Letter of this office No. S.L.T./Rules/199/13490-602/2018, PS-12, Pune dt. 11/10/2018
5. Letter of this office No. S.L.T./16/2564-3396/2019, PS-12, Pune dt. 20/03/2019
6. Letter of this office No. S.L.T./16/SPCA/89-92/2020, PS-6, Pune dt. 21/01/2020
7. Circular of Animal Welfare Board of India dt. 01/05/2020

According to the above subject and reference no. 7, circular of Animal Welfare Board of India is issued and a copy of it is enclosed herewith. According to it, since many animals are bogged down in the closed pet shop and dog breeding centers in the time of lockdown imposed due to the spread of corona virus and since they may die due to lack of food and water, instruction were given to release those with the help of animal welfare board and local administration.

It is observed that many local, foreign birds and animals are kept at these pet shops and dog breeding centers. Similarly, since they have not been kept in good conditions and since they are not getting food and water, cruelty against those is observed. Hence to have a proper control on these pet shop and breeding centers as per government standards and in order to prevent the disease that can be spread in humans from animals, central government has notified prevention of cruelty against animals act 1960, domestic pet animals shop act 2018 and dog breeding and marketing act 2017. These acts are applicable in the state.

As per the rule no. 4(5) in domestic animal shop act 2018, domestic animal shop's registration with state animal welfare board is mandatory similarly, as per rule no. 3, such shops are prohibited for running without registration. Similarly, as per rule no. 3 in dog breeding and marketing act 2017, such dog breeding centers are prevented from running without registration.

Considering provisions of both the rules mentioned above, Animal welfare board of India has instructed that, no pet shop and dog breeding center shall be opened after lockdown is over without registering with state animal welfare board.

As per the referenced letter no. 3 to 6 above, this office has already notified about submitting forms by confirming necessary system for such registration and samples of checking of the organizations, as registration of domestic animal shops as well as dog breeding and marketing centers in the state at Maharashtra State animal welfare board as per the provisions in these acts. Accordingly, Maharashtra State animal welfare board is issuing registration certificates to domestic animal shop and dog breeding and marketing center under domestic animal shop act 2018 and dog breeding and marketing act 2017.

You are hereby informed that you should issue notices to all related along with police administration under your area that no pet shop and dog breeding and marketing center shall be opened after the lockdown is over without doing registration at Maharashtra animal welfare board.

Enclosures: As above

(Sachindra Pratap Sinh, IAS)  
Commissioner Animal Husbandry  
Maharashtra State, Aundh, Pune-67

Copy for further action:

1. Hon. Police commissioner (all)
2. Hon. Police superintendent (all)
3. Regional Animal Husbandry deputy commissioner (all)
4. District Animal Husbandry deputy commissioner, cum member secretary, District Animal Cruelty Prevention Society(all)
5. District Animal Husbandry Officer, Zilla Parishad (all)

Copy for information:

1. Hon. Principal Secretary, Department of Agriculture, Animal husbandry, dairy development and fisheries ministry, Mumbai-32 for information.
2. Chairman, Animal Welfare Board of India, National Institute of Animal Welfare Campus, P.O. 42 KM Stone, Delhi-Agra Highway, NH-2, Village-Sikri, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121004



महाराष्ट्र शासन

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,  
स्पायसर मेमोरिअल कॉलेज समोर, औंध, पुणे: ४११०६७

Telephones: 020-25690480,81,85  
Fax No : 020-25690489

E-mail : [cah.planning@gmail.com](mailto:cah.planning@gmail.com)  
Extn No: 215,260,247,248,250,252

जा. क्र.: क्र. एस.एल.टी/प्र.क्र. १६/ तां-१/६/२०/२०, पसं-६, पुणे. दि. ०८/०५/२०२०

प्रति,

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,  
जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी (सर्व)

विषय: केंद्रशासनाच्या प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०  
अंतर्गत पाळीव प्राणी दुकान नियम २०१८ आणि श्वान प्रजनन व विपणन नियम, २०१७ चे  
अंमलबजावणी बाबत.

- संदर्भ:- १) केंद्रशासनाचे राजपत्रातील अधिसूचना दि. २३/०५/२०१७  
२) केंद्रशासनाचे राजपत्रातील अधिसूचना दि. ०६/०९/२०१८  
३) या कार्यालयाचे पत्र क्र. एस.एल.टी/कायदे/१८३/५७४९-५८५९/२०१८,  
पसं-१२, पुणे. दि. २१/०५/२०१८  
४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. एस.एल.टी/कायदे/१९९/१३४९०-६०२/२०१८,  
पसं-१२, पुणे. दि. ११/१०/२०१८  
५) या कार्यालयाचे पत्र क्र. क्र. एस.एल.टी/१६/२५६४-३३९६/२०१९, पसं-१२, पुणे.  
दि. २०/०३/२०१९  
६) या कार्यालयाचे पत्र क्र. एस.एल.टी/१६/एसपीसीए/८९-९२/२०२०, पसं-६, पुणे.  
दि. २१/०१/२०२०  
७) भारतीय जीवजंतु कल्याण मंडळ यांचे परिपत्रक दि. ०१/०५/२०२०

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने व संदर्भ क्र. ७ नुसार भारतीय जीवजंतु कल्याण मंडळ यांचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. त्यानुसार कोरोना विषाणू च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउन च्या काळात बंद असलेल्या पेट शॉप व डॉग ब्रिडींग सेंटर मध्ये बरीच प्राणी अडकून पडल्याने अन्न व पाण्या अभावी त्यांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असल्याने प्राणी कल्याण मंडळ, स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा यांचे मदतीने त्यांची सुटका करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

या पेट शॉप व डॉग ब्रिडींग सेंटर च्या ठिकाणी बरीच स्थानिक, विदेशी पशुपक्ष्यांना ठेवले जात असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच या प्राण्यांना चांगल्या जागेत न ठेवल्याने तसेच त्यांना अन्न व पाणी न मिळाल्याने त्यांचेवर क्रूरता होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, या पेट शॉप व ब्रिडींग सेंटर वर शास्त्रिय मानकानुसार योग्य संनियंत्रण ठेवण्यासाठी व पशुपासून मानवामध्ये संक्रमित होणा-या आजाराचा फैलाव रोखण्याचे उद्देशाने, केंद्र शासनाने प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत

अधिनियम, १९६० अंतर्गत पाळीव प्राणी दुकान नियम २०१८ आणि श्वान प्रजनन व विपणन नियम, २०१७ अधिसूचित केलेले आहेत. सदर नियम राज्यामध्ये लागू आहेत.

पाळीव प्राणी दुकान नियम २०१८ मधिल नियम क्र. ४(५) नुसार पाळीव प्राण्यांची दुकानांना राज्य प्राणी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे तसेच नियम क्र. ३ नुसार नोंदणी शिवाय अशी दुकाने चालविण्यास प्रतिबंध आहे. तसेच श्वान प्रजनन व विपणन नियम, २०१७ मधिल नियम क्र. ३ नुसार नोंदणी शिवाय अशी डॉग ब्रिडींग सेंटर चालविण्यास प्रतिबंध आहे.

उक्त नमूद दोन्ही नियमांच्या तरतूदी लक्षात घेता लॉकडाउन संपल्यानंतर कोणतेही पेट शॉप व डॉग ब्रिडींग सेंटर राज्य प्राणी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केल्याशिवाय सुरु करू नये अशा सूचना भारतीय जीवजंतु कल्याण मंडळ यांनी दिलेल्या आहेत.

या कार्यालयाने यापूर्वीच संदर्भ क्र. ३ ते ६ वरील पत्राद्वारे सदर नियमांतील तरतूदी नुसार राज्यातील पाळीव प्राण्यांची दुकाने तसेच श्वान प्रजनन व विपणन केंद्रांची महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याने, या नोंदणी करिता आवश्यक कार्यप्रणाली व संस्थांच्या तपासणीचे विहित नमूने निश्चित करून त्यानुसार अर्ज सादर करण्याबाबत कळविले आहे. यानुसार महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळामार्फत पाळीव प्राणी दुकान नियम २०१८ आणि श्वान प्रजनन व विपणन नियम, २०१७ अंतर्गत पाळीव प्राणी दुकान व श्वान प्रजनन व विपणन केंद्रांना नोंदणी प्रमाणपत्रे अदा करण्यात येत आहेत.

आपणास याद्वारे कळविण्यात येते की, लॉकडाउन संपल्यानंतर कोणतेही पेट शॉप व डॉग ब्रिडींग सेंटर महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केल्याशिवाय सुरु करू नये अशा सूचना आपले अधिनस्त पोलिस यंत्रणेसह सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात याव्यात.

सहपत्र : वरीलप्रमाणे

  
(सचिन्द्र प्रताप सिंह, भाप्रसे)

आयुक्त पशुसंवर्धन  
महाराष्ट्र राज्य, औंध पुणे-६७

प्रत पुढील कार्यवाहीस्तव:

१. मा. पोलिस आयुक्त (सर्व)
२. मा. पोलिस अधिक्षक (सर्व)
३. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, (सर्व)
४. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, तथा सदस्य सचिव, जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी, (सर्व)
५. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

प्रत माहितीस्तव:

१. मा. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांना माहितीस्तव.
2. Chairman, Animal Welfare Board of India, National Institute of Animal Welfare Campus, P.O. 42 KM Stone, Delhi-Agra Highway, NH-2, Village-Seekri, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121 004



Attention:  
Shri S.P. Singh  
Commissioner  
(CAH)



ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA  
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India  
(Department of Animal Husbandry and Dairying)  
NIAW Campus, 42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway  
NH-2, Ballabhgarh, Haryana-121004  
Email: [animalwelfareboard@gmail.com](mailto:animalwelfareboard@gmail.com) : Website: [www.awbi.in](http://www.awbi.in)

No. 9-16/2019-20/PCA

Date: 01.05.2020

**CIRCULAR**

Forwarded to  
Commissioner To

(Animal  
Husbandry),  
N.S. Pune  
for further  
necessary  
action at  
his end.

The Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary of Animal Husbandry  
of all States/ UTs

Sir/Madam,

**Subject: Implementation of Prevention of Cruelty to Animal (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2018 framed under PCA, Act, 1960- reg.**

Anoop Kumar  
05.05.2020

As you may be aware that the Central Government has framed Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 and Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018. During the lockdown, the Board issued letter bearing no 9-16/2019-20/PCA dated 24.03.2020 requesting the law enforcing authority to ensure evacuation of animals stranded in pet shops and other commercial pet trade establishments which were likely to die without food, water, etc. and State Animal Welfare Board (SAWB) were asked to evacuate such animals WITH the help of SPCA and local administration.

2. These dog breeding establishments and pet shops were found in possession of various local, exotic and wild animal and birds, etc. Further, it has also been noticed that the animals are not kept in an ideal environment and the animals are suffering from unnecessary pain and cruelty. Therefore, to regulate the pet shops and dog breeding establishments so that the establishment followed scientific norms, mitigate spread of zoonotic disease outbreak, the Central Government has framed Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 and Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.

3. Under these rules, the Pet shop and the dog breeding establishments need to be registered and the SAWBs are the registering authorities. As per Rule 4(5) of the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 requires the concerned SAWBs to register and issue certificates of registration to each pet shop while Rule 3 prohibits the operation of pet shops without such registration. Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017, under Rule 3 prohibits the breeding of dogs without a certificate of registration from the SAWB.

4. In view of the above two existing sets of rules, it is requested that the State Animal welfare Boards to ensure that after the Lockdown restrictions the pet shops and dog breeding establishments must be registered and the Pet Shops and Dog Breeding Establishments may reopen only after registration with the State Animal Welfare Board.

Yours Sincerely

(S.K. Dutta)  
Secretary

Copy to:

1. The Director, Animal Husbandry Department of all States/ UTs



**REGD.**

No.-RTI-**188**/19- 9842

Dated: 5/12/2019

From

State Public Information Officer-cum  
Gaushala Development Officer,  
Directorate of Animal Husbandry & Dairying,  
Haryana, Panchkula

To

Mr. Rajsekhar Kommu  
No. 76, Defence Enclave, Preet  
Vihar, Opposite Pillar No. 87,  
New Delhi Pin-110092,  
Email-rajk.unofficial@gmail.com


Subject: **Information under RTI Act, 2005.**

Memo:

In reference to your application dated 04.11.2019, on the subject cited above, please find enclosed herewith the information sought by you having 03 pages (Three pages) only.

In case you are not satisfied with this information, you can approach to 1st Appellate Authority-cum-Director General, Animal Husbandry & Dairying, Bays. 9-12 Sector-2, Panchkula.

Encl: As above (03 Pages).

  
State Public Information Officer-cum  
Gaushala Development Officer,  
Directorate of Animal Husbandry & Dairying,  
Haryana, Panchkula

क्रमांक 4/986

एस0ए0डब्ल्यू0बी0/ए-1

दिनांक 29/11/2019

प्रेषक

महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला ।

प्रेषित

राज्य जन सूचना अधिकारी,  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,  
पंचकूला ।

ASPIO  
29/11/19

RTA Sushma  
3/12/19

विषय:-

Request to supply the required information under RTI Act, 2005.

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक RTI-188/19-40141, dated 15.11.2019.

यादी:

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित-पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी गई सूचना बिन्दु नं0-1 से 6 तक कार्यालय रिकार्ड अनुसार निम्न प्रकार से है :-

बिन्दु नं0-1 बारे व्यक्त किया जाता है कि Prevention of Cruelty to Animals (pet Shop) Rules, 2018 को अभी हरियाणा राज्य में लागू नहीं किया है । इस बारे कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । नियम लागू होने के उपरान्त इस बिन्दु बारे आगामी कार्यवाही कर ली जाएगी ।

बिन्दु नं0-2 बारे व्यक्त किया जाता है कि इसका उत्तर बिन्दु नं0-1 अनुसार है ।

बिन्दु नं0-3

-सम-

बिन्दु नं0-4 बारे व्यक्त किया जाता है कि सरकार द्वारा जारी हरियाणा पशु कल्याण बोर्ड की अधिसूचना (प्रति संलग्न)

बिन्दु नं0-5 बारे व्यक्त किया जाता है कि Under section 6(3) of RTI Act, 2005 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में सभी उप निदेशकों को सूचना देने बारे लिख दिया गया है । प्रार्थी के आवेदन-पत्र की प्रति सहित ।

बिन्दु नं0-6 बारे व्यक्त किया जाता है कि इसका भी उत्तर बिन्दु नं0-1 अनुसार है ।

संलग्न: उपरोक्त

कृते: महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला ।

28/11/19

(TO BE SUBSTITUTE BEARING SAME NUMBER AND DATE)  
HARYANA GOVERNMENT  
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT.

Notification

No. 2725(CFMS)-AH-4-2018/ 10032

The 20<sup>th</sup> April, 2018

The Governor of Haryana is pleased to constitute the State Animal Welfare Board, Haryana for animal welfare and appoint the following as its members:

Official Members:

1.	Additional Chief Secretary to Government, Haryana Animal Husbandry & Dairying	Chairman
2.	Director, Agriculture & Farmer Welfare Department, Haryana	Member
3.	Director, Urban Local Bodies Department, Haryana	Member
4.	Chief Wildlife Warden, Haryana	Member
5.	Representative of Animal Welfare Board of India	Member
6.	Director-General, Animal Husbandry & Dairying, Haryana	Member Secretary

Non Official members:

1.	Shri Jagdish Malik, Lavaris Pashu Pirit Sewa Sangh, Near J.I.N, Rohtak	Member
2.	Brig. Samander Singh Chauhan, Nagar Nigam Gaushala Carterpuri, J-1037, Palam Vihar, Gurugram	Member
3.	Shri Sheeshpal Kamboj, VPO Firozabad, Teh. Rania (Sirsa)	Member
4.	Shri Ravinder Kumar Sangwan, S/o Sh. Baldev Sangwan, VPO Thol (KKR)	Member
5.	Shri Mahipal Rana, R/o Village Padhana, Karnal (9416657061)	Member
6.	Shri Shishpal Bairagi, R/o Village Pajukalan, Safidon Jind (9992941111)	Member

1. The function of the State Animal Welfare Board, Haryana shall be as follows:

- (a) To ensure proper implementation of "Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960," The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardan Act, 2015 (Haryana Act No. 20 of 2015). The Cattle Trespass Act, 1871 and other Acts/Regulations for animal welfare applicable to the State of Haryana. The Board may give directions to the concerned departments/agencies and review their performance in this regard.
- (b) To co-ordinate activities relating to the preservation and development of cattle for increasing the production of Milk and draft power.
- (c) To organize and co-ordinate the activities of Gaushala and Prinjrapoles on matters relating to the development of Cattle wealth and establishment of Gaushalas on proper lines.
- (d) To co-ordinate and review various schemes relating to increasing production of feed and fodder, salvage of dry cattle, rearing of calves, rounding up of stray cattle and their proper rehabilitation.
- (e) To review from time to time the progress of schemes relating to preservation and development of cattle in the light of the coordinated programme and policy laid down for the country and to consider such additions and alternations to the programme as may be found necessary in the light of the experience gained.

2. The Headquarter of the board will be at Chandigarh.



3. The Board will meet quarterly under the Chairmanship of the Chairman.
4. The Director-General, Animal Husbandry and Dairying will be controlling authority to countersign the Travelling Allowance Bills of Non-Official Members of the Boards and contingencies etc.
5. The term of the board will be two years but the Government may by express orders extend period or dissolve or reconstitute the Board at an earlier date, if it so desires.
6. The Official Members of the board will draw their T.A. and D.A from their respective Department Organizations. However, the Non-official Members will get T.A. and D.A. from the Animal Husbandry & Dairying Department and the same will be drawn and disbursed by Director General, Animal Husbandry and Dairying, Haryana. The TA/DA to Non Official Members will be given according to the terms and conditions mentioned in Government instructions U.O. No. 10/16/80-Pol(4), dated 12<sup>th</sup> December, 1980.

Chandigarh:  
the 16.04.2018

P.K.Mahapatra  
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana  
Animal Husbandry and Dairying Department

Endst No. 2725(CFMS)-AH-4-2018/

Chandigarh, dated

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery, Haryana Chandigarh for publishing it into the Haryana Government Ordinary Gazettee.

It is requested that 200 copies of the notification may be sent to this department for officials use.

Under Secretary

for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana  
Animal Husbandry & Dairying Deptt.

Endst No. 2725(CFMS)-AH-4-2018/ 16032 Chandigarh, dated 01/15/2018

- A copy is forwarded to the following for information and necessary action:
1. The Secretary to Government, Haryana Animal Husbandry & Dairying Department.
  2. The Principal Accountant General (A&E/Audit) Haryana Chandigarh.
  3. The Director, Agriculture Department, Haryana
  4. The Director, Urban Local Bodies Department, Haryana
  5. The Chief Wildlife Warden, Haryana
  6. The Representative of Animal Welfare Board of India.
  7. The Director General, Animal Husbandry & Dairying, Haryana.

Regd. Post to 8 to 13

8. Shri Jagdish Malik, Lavaris Pashu Pirit Sewa Sangh, Near JLN, Rohtak.
9. Brig. Samander Singh Chauhan, Nagar Nigam Gaushala Carterpuri, J-1037, Palam Vihar, Gurugram.
10. Shri Sheeshpal Kamboj, VPO Firozabad, Teh. Rania (Sirsa).
11. Shri Ravinder Kumar Sangwan, S/o Sh. Baldev Sangwan, VPO Thol (KKR)
12. Shri Mahipal Rana, R/o Village Padhana, Karnal (9416657061)
13. Shri Shishpal Bairagi, R/o Village Pajukalan, Safidon Jind (9992941111).

Under Secretary

for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana  
Animal Husbandry & Dairying Deptt.

A copy is forwarded to Private Secretary/Chief Secretary to Govt. Haryana for kind information of Chief Secretary Haryana.

Under Secretary

for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana  
Animal Husbandry & Dairying Deptt.

To

The Private Secretary/Chief Secretary to Govt. Haryana

U.O. No. 2725(CFMS)-AH-4-2018/

Chandigarh, dated

**List of illegal pet stores in the cities of Haryana** (As on 31<sup>st</sup> March 2020)

City	Sr. No	Name of the pet store
Faridabad	1	The Pet Shop
	2	KS Pet Shop
	3	Manoj Pet Shop
	4	The Pet World
	5	Simran Pet Lover
	6	Bhatia Pet Shop
	7	Kanika Pet Shop
	8	Yashika Pet Shop
	9	Sai Pet Shop
	10	Best Dog Deals
Gurgaon	11	Paws And Claws
	12	One Stop Shop
	13	Crystal Pet Shop
	14	Madonnas Pet Shop
	15	Pets Pash
	16	For Pet's Sake
	17	Pet World
	18	Vasant Pet Shop
	19	Retriever Pet Shop
	20	Forest Pet Store
Panipat	21	Pet care shop
	22	Denis Pet Shop
	23	Puppy hut Pet Shop
	24	Mannu Pet Shop
	25	Pet Solutions
	26	Shri Krishna Distributors
Rohtak	27	KK Pet Shop
	28	DD Pet Shop
	29	Pet Home
	30	The Pet kingdom
	31	Paws care
	32	Malik's Pet Shop
Karnal	33	Safy Pet Shop
	34	Unique Pet Shop
	35	The Pet Store
	36	Karnal Dog Clinic
Sonipat	37	Dog Lover
	38	Pamper ur Pet
	39	Sarooha Pet Shop
	40	Scoobee Pet Foods
	41	Pahal Pet Shop
	42	Yours Pet Shop
Panchkula	43	Master Feed Mills
	44	Pet's World Pet Shop
	45	Markan Pet Mall
	46	Ginni Pet Shop
	47	Chris Pet Kennel

	48	Gold Pet Shop
<b>Ambala Sadar</b>	49	Pet Club
	50	Doggy'z world
	51	Yadav Pet Shop
	52	Vivek pet Shop
	53	Duggal Pet Plaza
	54	Sahil Pet Shop
	55	Sbharwala Pet Clinic
	56	Your Pet Shop
	57	Pets paradise
	58	vaish Pet Shop
	59	Zoey Pet World
<b>Bhiwani</b>	60	Meet Pet Shop
	61	PLA Pet Clinic
	62	The Pet's Station
<b>Ambala</b>	63	Regal Pet World
	64	Pet Paradise
	65	Pet expo Dog Dealer
	66	Sabharwal Pet Clinic
	67	Doggies Awesome
	68	Shri Garg Dog Dealer
	69	Dogs Care
	70	Nitin Kennel and Pet Shop
	71	The Pet Plaza
<b>Jind</b>	72	Vardaan Pet Shop
	73	Jind Pet Medicals
<b>Rewari</b>	74	Scooby Dooby Doo Pet Shop
	75	Royal Pet Shop
	76	Rewari Pet Clinic
<b>Palwal</b>	77	Bhardwaj Pet Shop
	78	Chauhan Pet Shop
	79	Abhimanyu Pet Shop
	80	Ansh Pet Shop
	81	Satish Pet Shop
<b>Hisar</b>	82	4 Pets
	83	Arora's Pet Shop
	84	Bhati Pet Shop
<b>Narnaul</b>	85	NarnAuliya Pet Shop
	86	Ankit Pet Shop
<b>Fatehabad</b>	87	Shine Pet Shop
	88	Pankaj Trading Company

**PETA**INDIA





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 619]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

**सा.का.नि. 844(ब).—**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 दिसंबर, 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1152 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2016 द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित करते हुए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 16 दिसंबर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं—**(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) “पशु कल्याण संगठन” से बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन अभिप्रेत है;

(ग) “प्रजनक” से कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो प्रजनन और विक्रय के लिए पालतू पशु रखता है और इसके अंतर्गत भोजनालय युक्त कुत्ताघर प्रचालक, मध्यवर्ती संचालक और व्यापारी भी हैं;

(घ) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र” से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(ङ.) “फार्म” से प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट फार्म अभिप्रेत है;

(च) “शिथिलांग पशु” से ऐसा कोई पशु अभिप्रेत है जो जन्म से या जन्म के पश्चात् हुई किसी क्रियात्मक या शारीरिक विकार, दोष या नियोग्यता या किसी कमी से ग्रस्त है;

(छ) “निरीक्षक” से राज्य पशु कल्याण बोर्ड या एस पी सी ए द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत राज्य सरकार का पशु चिकित्सक अभिप्रेत है;

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो पालतू पशु दुकानदार या प्रजनक है या रहा है या पालतू पशु दुकानदार या प्रजनक से संबंधित है इन नियमों के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ;

(ज) “स्थानीय प्राधिकारी” से नगर पालिका समिति, एस पी सी ए या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का नियंत्रण और प्रशासन विधि द्वारा तत्समय निहित है;

(झ) “अंग विच्छेदन” से किसी पशु को किसी शल्य चिकित्सा या प्रक्रिया जैसे कर्ण कटाई, दुम कटाई या दाहांकन या किसी दोष या विकार सिवाय आरोग्यकारी शल्य चिकित्सा के अन्यथा शल्य चिकित्सा या प्रक्रिया करना अभिप्रेत है ;

(ञ) “पालतू पशु” के अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिन्नी पिग, हैमस्टर, मूसक या चूहिया प्रवर्ग के कृतंक तथा पिंजरबंद पक्षी भी हैं, और ऐसे अन्य पशु जिनका स्वामित्व और उनका व्यापार जिसे किसी अन्य विधि नियम या विनियमों द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है ;

(ट) “पालतू पशु दुकान” से ऐसी दुकान, स्थान या परिसर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत साप्ताहिक या अन्य बाजार में कोई ऐसी दुकान, स्थान या परिसर भी है जहां पालतू पशुओं का विक्रय किया जाता है या उन्हें घर में रखा जाता है, विक्रय के लिए रखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या जहां पालतू पशुओं के विक्रय या व्यापार वाले किसी खुदरे या थोक विक्रय कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म भी हैं जिन पर, जहां कहीं संदर्भ अनुज्ञा देता है वहां पालतू पशुओं का विक्रय और क्रय किया जाता है;

(ठ) “पालतू पशु दुकान स्वामी” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके स्वामित्व में कोई पालतू पशु दुकान है या जिस पर उसका नियंत्रण है;

(ड) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) “एस पी सी ए” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण संबंधी किसी जिले में स्थापित सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ण) “राज्य बोर्ड” से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(त) “स्तन्यपानी पशु” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे पशु की संतान जिसने वह आयु प्राप्त कर ली है जिस पर यह प्रसामान्यतः भोजन, गर्माहट और सुरक्षा जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र जीने का कौशल प्राप्त करते हैं; और

(ii) आठ सप्ताह से कम आयु के बिलौटे और पिल्ले तथा परिपक्व उड्डयन पिच्छ रहित पिंजरबंद पक्षी ।

(थ) “पशु चिकित्सा व्यवसायी” से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के उपाबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त सभी निबंधन और पदों का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

**3. रजिस्ट्रीकरण के बिना पालतू पशु दुकानों के प्रचालन का प्रतिषेध—**(1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अनुसार प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना,—

(क) पालतू पशुओं के विक्रय का कारबार या व्यापार, चाहे वह खुदरा या थोक में हो, नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा ; या

(ख) पालतू पशुओं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के विक्रय, क्रय या विनिमय में लगी किसी पालतू पशु दुकान या अन्य स्थापन को स्थापित या प्रचालित नहीं करेगा :

परंतु इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पालतू पशु दुकान प्रचालित करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ के साठ दिन के भीतर इन नियमों के अधीन पालतू पशु दुकान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति साठ दिन की ऐसी अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है या इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी कारण से रजिस्ट्रीकरण के लिए वंचित कर दिया जाता है तो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी राज्य बोर्ड या सोसाइटी दुकान को सीलबंद कर देगा और विक्रय के लिए प्रदर्शित या आवासित पालतू पशुओं का समपहण करेगा और इस प्रकार समपहृत किए गए पालतू पशुओं को अधिनियम की धारा 29 के उपबंधों के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझे गए व्यक्ति को सौंपेगा तथापि ऐसे साठ दिवस की अवधि या उस तारीख जिसको रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है की समाप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि का नोटिस पालतू पशु की जन्ति से पहले पालतू पशु दुकानदार को दिया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पालतू पशु दुकान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को पालतू पशु दुकान में प्रमुखतः प्रदर्शित करेगी ।

(3) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी राज्य बोर्ड या सोसाइटी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखेगा ।

**4. पालतू पशु दुकान का रजिस्ट्रीकरण—**(1) कोई व्यक्ति, इन नियमों के अधीन पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि,—

(क) व्यक्ति के मामले में, वह प्राप्तवय न हो गया हो और स्वस्थ चित का न हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संविदा करने से निरर्हित न कर दिया गया हो ;

(ख) किसी अन्य मामले में, व्यक्ति कोई निगम, कंपनी या व्यक्तियों का अन्य संगम है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्यक्तः रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो ।

(2) पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में उसमें अपेक्षित जानकारी देते हुए और पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस के साथ राज्य बोर्ड को किया जाएगा ।

(3) व्यक्ति से पालतू पशुओं के विक्रय के कारबार या उनके व्यापार को करने या जारी रखने के लिए चाहे वह खुदरा हो या थोक विक्रय के लिए प्रयोग किए जा रहे या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक पालतू पशु दुकान या परिसरों के लिए पृथक् आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(4) पालतू पशु दुकान का स्वामी उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ यह उपदर्शित करते हुए कि पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी शर्तें पूरी की जा चुकी है, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(5) राज्य बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, पालतू पशु दुकान को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और पालतू पशु दुकान के संबंध में आवेदक को प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा तथा राज्य बोर्ड प्ररूप 3 में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रजिस्टर का रखरखाव करेगा ।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् तीन माह के भीतर राज्य सरकार के प्राधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा पालतू पशु दुकान का निरीक्षण कराएगा ।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट पशु चिकित्सक निरीक्षण करने के पश्चात् राज्य बोर्ड को हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(8) राज्य बोर्ड पशु चिकित्सा की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान होने पर कि पालतू पशु दुकान इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, पालतू पशु दुकान का रजिस्ट्रीकरण जारी रख सकेगा ।

(9) राज्य बोर्ड, पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण को अनुज्ञात नहीं करेगा, यदि,—



(क) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मिथ्या पाई गई है या आवेदक ने आवेदन में तात्विक और जानबूझकर मिथ्या कथन किया है या राज्य बोर्ड को मिथ्या या कूटरचित अभिलेख उपलब्ध कराए हैं; या

(ख) आवेदक पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन के प्रस्तुतीकरण से पहले किसी प्रक्रम पर इस अधिनियम या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन किसी अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ग) आवेदक ने निरीक्षक या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को उसकी केन्द्रों तक निर्बाध और अबाधित पहुंच को अनुज्ञात करने के लिए इंकार कर दिया है; या

(घ) आवेदक, पालतू पशु दुकान को विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना प्रचालित कर रहा था और अपनी दुकान के सीलबंद किए जाने के परिणामस्वरूप उसके लिए आवेदन करने में असफल हुआ है।

(10) जहां राज्य बोर्ड, पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण को अनुज्ञात नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड आवेदक को राज्य बोर्ड द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवसों के भीतर उसके लिखित में कारण सूचित करेगा।

(11) राज्य बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और राज्य बोर्ड को आवेदन किए जाने पर पांच हजार रुपए की फीस के साथ उसका नवीकरण कर सकेगा।

(12) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

(13) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित व्यक्तियों से इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से संचालित पशु आश्रय या बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत पशु कल्याण संगठन ;

(ख) कोई अन्य सुविधा या स्थापन जो पशुओं के कल्याण के लिए संचालित है और किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि पशुओं के विक्रय या क्रय में सम्मिलित नहीं है ;

(ग) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति (सीपीसीएसईए) के साथ रजिस्ट्रीकृत और पशुओं पर प्रयोग, प्रजनन और व्यापार के प्रायोजन के लिए समय-समय पर यथासंशोधित पशुओं का प्रजनन और प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के विस्तार के अधीन आने वाले स्थापन को इन नियमों से छूट दी जाएगी।

**5. रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण**—पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदक, राज्य बोर्ड को प्ररूप। में रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले किया जाएगा और नियम 4 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

**6. आवास, संरचना और आवासन**—(1) पालतू पशु दुकान स्थायी संरचना या भवन में अवस्थित होगी जिसमें जल और बिजली जैसी मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था तथा पर्याप्त विद्युत बैकअप होगा।

(2) किसी व्यक्ति को झोंपड़ी, कुटी, पटरी या किसी अस्थायी या काम चलाऊ इंतजाम पर पालतू पशु दुकान चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) पालतू पशु दुकान में बाड़ा या कक्ष या खगालय जिसमें पालतू पशुओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, दूसरी अनुसूची में यथा उपवर्णित पर्याप्त आकार और स्थान के होंगे जिससे,—

(क) उसमें रखे गए पालतू पशुओं को खड़ा किया, बैठाया, लेटाया, चारों तरफ घुमाया, पैर फैला कर बैठाया जा सके और जगह की कमी के कारण हुई अड़चन, व्यवधान या रुकावट के बिना अन्य सामान्य भंगिमा समायोजन किए जा सकें।

(ख) पक्षियों को भीतर ही उड़ाया, फुदकाया, कुदाया, चढ़ाया और अन्यथा चलाया जा सके और अलग अलग उनके पंखों को फैलाया जा सके तथा जगह की कमी के कारण हुई अड़चन, व्यवधान या रुकावट के बिना सामान्य स्थिति में बैठाया जा सके तथा जल पक्षियों द्वारा जल क्रीड़ा करने के लिए पानी की कुंडियों का उपबंध किया जाएगा।

(4) विक्रय के लिए पालतू पशुओं का प्रदर्शन या आवासन के लिए बाड़े या कक्ष का फर्श इस प्रकार संनिर्मित किए जाएंगे कि पशुओं के पैरों या टांगों को कोई चोट न पहुंचे या उन्हें कोई अन्य चोट न पहुंचे तथापि जाली का फर्श प्रयोग किया जाता है तो एक ट्रे ढेर लगने की दशा में पिंजरे में जैविक पदार्थ गिरने से बचाने के लिए लगाई जाएगी।

(5) बाड़ों या कक्षों या खगालयों में जिनमें पालतू पशुओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, में तापमान आरामदेह होगा जो पशु दर पशु और नस्ल दर नस्ल परिवर्तनशील हो सकेगा और पालतू पशु दुकान के स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उन

नस्लों या प्रजातियों की अपेक्षाओं से स्वयं सुविज्ञ रहे कि जिनका वह व्यापार करने का आशय रखता है और उनके लिए परिवेशी तथा आरामदेह तापमान की व्यवस्था करे।

(6) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी, पालतू पशु दुकान में और विशिष्टतया बाड़ों, जिनमें पालतू पशुओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, में उपयुक्त अपवाह या सफाई करते समय अपशिष्ट या जल को शीघ्रतया निष्कासित करने के ढंग की व्यवस्था करेगा।

(7) विक्रय के लिए पालतू पशु को प्रदर्शित करने या रखने वाली प्रत्येक पालतू पशु दुकान—

(क) पर्याप्त रूप से संवातित होगी और उसमें अल्प ध्वनि निर्वातक पंखा या प्रणाली संस्थापित होगी।

(ख) ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगी और उन क्षेत्रों जहां उंचा शोर सुना जा सकता है या उत्सर्जित विषैला धुआं या दुर्गंध जिनके अंतर्गत कारखाने भी हैं और अन्य वैसे ही औद्योगिक स्थापन के समीपस्थ नहीं होगी;

(ग) पशु वधशालाओं, या बूचड़खानों या कसाईखानों के आसपास सौ मीटर के भीतर अवस्थित नहीं होगी और ऐसे अन्य पशुओं का प्रवेश जो पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए रखे गए या प्रदर्शित किए गए पालतू पशुओं को तंग करे या हानि पहुंचाए, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(घ) पालतू पशु दुकान में धुआं संसूचन और अग्निशमन उपस्कर लगा होगा तथा उपलब्ध होगा और उपयोग के लिए तैयार होगी।

(ङ.) कोई ऐसा एकांत या करंतीन क्षेत्र जहां पालतू पशुओं को सांसर्गिक बीमारी से संक्रमित हुए हैं या संक्रमित होने का संदेह है, विक्रय के लिए आशयित शेष पशुओं से अलग किया जा सकता है।

**7. पशुओं की साधारण देखभाल, पशु चिकित्सीय देखभाल और अन्य संक्रियात्मक अपेक्षाएं—**(1) प्रत्येक पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पालतू पशुओं को आवास और परिवेश, आकार, तापमान, प्रकाश, संवातन तथा अन्य वैसे ही मानकों के संबंध में उनकी प्रजातियों के लिए अनुकूल पर्यावरण में विक्रय के लिए सभी समयों पर प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है और कोई पालतू पशु या पक्षी पालतू पशु दुकानों पर या उनके बाहर या प्रदर्शन खिड़की में प्रदर्शन के लिए नहीं रखा जाएगा या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि,—

(क) विक्रय के लिए आशयित पालतू पशुओं की आहार संबंधी अपेक्षाओं और आयु से संगत किस्म का पर्याप्त भोजन उन्हें दिया जाता है;

(ख) सभी समयों पर विक्रय के लिए आशयित पालतू पशुओं हेतु स्वच्छ पेय जल उपलब्ध है;

(ग) पालतू पशुओं को भोजन कराने तथा जल पिलाने के लिए प्रयुक्त आधानों को साफ और विण्टा या मूत्र के संदूषण में मुक्त रखा जाता है;

(घ) ऐसे बाड़ों या कक्षों या खगालयों को जिनमें विक्रय के लिए पालतू पशुओं को प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, प्रायः प्रतिदिन या उससे अधिक तब साफ रखा जाता है जब विण्टा या अन्य अवशिष्ट से मैला हो जाना और बीमारी के प्रकोपन की संभावना को रोकने के लिए बारम्बार विसंक्रमित होना पाया जाता है;

(ङ.) जहां आवास में ऊपर तल कतारबद्ध प्रणाली है वहां जल, भोजन और अन्य पातन को निम्नतर आवासन में प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा;

(च) पशु बाड़ों से भोजन अपशिष्ट, पशु विण्टा प्रयुक्त बिस्तर, मलबा और कोई अन्य जैविक अपशिष्ट प्रतिदिन या अवधि बारम्बार हटाया जाता है;

(छ) पक्षियों के अपशिष्ट या उनके खाने से बचे हुए भोजन को ढेर लगने से रोकने के लिए खगशालाओं को प्रतिदिन या उससे अधिक बारम्बार साफ किया जाता है;

(ज) उन बाड़ों या कक्षों या खगशालाओं जिनमें विक्रय के लिए पालतू पशुओं को प्रदर्शित या रखा जाता है ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने या आरामदेह ढंग से विश्राम करने में उन्हें समर्थ बनाते हैं तथा बिस्तर सामग्री की अपेक्षा करनेवाले पालतू पशुओं को उन्हें प्रदान किया जाता है और बिस्तर में कोई चारा नहीं डालने दिया जाता है;

(झ) उसी बाड़े में प्रदर्शित किए गए या रखे गए सभी पालतू पशु एक ही प्रजाति और आयु समूह के होते हैं और उन्हें ऐसी रीति में समूहीकृत किया जाता है जो संगम या भयभीत करने तथा लड़ने को प्रतिवारित करती है;

(ज) पालतू पशुओं, जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखते हैं, संसक्त बाड़ों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है या नहीं रखा जाता है और कुत्ते तथा बिल्लियों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तथा पक्षियों, खरगोशों, गिन्नी पिगों, हैमेस्टर, कृतकों को कुत्तों और बिल्लियों के समीप नहीं रखा जाता है क्योंकि वे अत्यधिक कष्ट कारित कर सकते हैं ;

(ट) केवल स्वस्थ पालतू पशु, जिन्हें पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसा होने के लिए लिखित में प्रमाणित किया गया है, पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए प्रस्थापित किए जाते हैं; और

(ड) विक्रय के लिए पालतू पशुओं को रात में उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त परिचरों की संख्या के बिना पालतू पशु, दुकान में नहीं छोड़ा जाएगा ।

(3) पालतू पशु, दुकान में विक्रय के लिए स्तन्यपानी पशु तरुण की देखभाल करने वाले गर्भिणी पशुओं या मादाओं या विक्रय के लिए पुनः प्रस्थापित करने हेतु प्रदर्शित या आवासित नहीं करेगी ।

(4) कोई पालतू पशु दुकान ऐसे कीटों या पशुओं की कुछ प्रजातियों जो मानव उपभोग के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं किंतु अन्य पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, के सिवाय भोजन, चमड़ी तथा उत्पाधनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आशयित किसी पशु का विक्रय नहीं करेगी ।

(5) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी—

(क) केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा जिन्हें पालतू पशुओं को संभालने या उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो अविकृत चित्त का है या जो आक्रामक या असामान्य व्यवहार के लक्षणों का है या जिसका स्वभाव पशुओं के साथ काम करने के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं होता है ; और

(ख) पालतू पशु दुकान में पालतू पशुओं को उचित रूप से देखभाल करने और उनकी सेवा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद नियोजित करेगा ।

(6) प्रत्येक पालतू पशु स्वामी पशु चिकित्सा देखभाल, जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखभाल भी है, के लिए व्यवस्था करेगा और पशु चिकित्सा व्यवसायी की आपात संपर्क सूत्र को पालतू पशु दुकान में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा जिससे कि पालतू पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में कर्मचारियों और ग्राहकों को अपनी समस्याओं के साथ प्रकेन्द्र पर पशु चिकित्सा व्यावसायी तक पहुंचाया जा सके ।

(7) पालतू पशु दुकान स्वामी किसी जुनोतिक या सांसारिक बीमारी या संकर्मक के प्रकोप या आशंकित प्रकोप की तुरंत पशु पालन के लिए उत्तरदायी स्थानीय प्राधिकारी, एस.पी.सी.ए. राज्य बोर्ड और राज्य सरकार के विभाग को तुरंत रिपोर्ट करेगा ।

(8) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी, रुग्ण या बीमार पालतू पशुओं या रुग्ण या बीमार होने की आशंका वाले पालतू पशुओं या नए लाए गए पालतू पशुओं को पृथक् करने के लिए कम से कम एक कक्ष या बाड़ा प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) संगरोधित रुग्ण या बीमार पालतू पशुओं को नए लाए गए पालतू पशुओं के साथ नहीं रखा जाता है;

(ख) संगरोध या एकांतवास केंद्र को संगरोधित या पृथक् किए गए पालतू पशुओं को वहां से हटाए जाने के पश्चात् और अतिरिक्त पालतू पशुओं के कक्ष में रखे जाने से पूर्व पूर्णतः विसंक्रमित किया जाता है;

(ग) संगरोध या एकांतवास केंद्र में प्रयोग किए गए उपस्कर और आधानों को पृथक् और सुभिन्नतः रखा जाता है ।

(9) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई ऐसा पालतू पशु जो असाध्य रूप से बीमार है या मरणांत रूप से बीमार है या घातक रूप से घायल हो जाता है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा विहित रीति में उसे पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सुख मृत्यु दी जाती है और ऐसे मामलों का अभिलेख रखा जाएगा तथा ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट राज्य बोर्ड को दी जाती है ।

(10) प्रत्येक पालतू पशु दुकान में ऐसे पालतू पशुओं के शवों के निपटान करने का इंतजाम होगा जिनकी केंद्र में मृत्यु हो जाती है और मृत पशुओं को अन्य पालतू पशुओं की दृष्टि से शीघ्रतया हटा लिया जाएगा ।

(11) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी पालतू पशु दुकान में केंद्र को चलाने के लिए उसको प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा ।

(12) पालतू पशुओं की प्रजाति तथा संख्या और कीमतों जिनके लिए उन्हें विक्रय हेतु प्रस्थापित किया जाता है ।

(13) प्रत्येक विक्रय किए गए पशु के लिए प्ररूप 4 में रसीदें जारी की जाएंगी और प्रत्येक रसीद की प्रति पालतू पशु दुकान में रखी जाएगी ।

(14) किसी पालतू पशु दुकान में किसी भी रूप में अंग विच्छेदित पालतू पशुओं का विक्रय नहीं किया जाएगा तथापि आवश्यक उपचारात्मक शल्य चिकित्सा की पशु चिकित्सक के नुस्खे के आधार पर छूट होगी ।



(15) किसी पालतू पशु दुकान स्तन्यपानी पशु या अप्राप्तवय पशुओं या पक्षियों का विक्रय नहीं किया जाएगा।

(16) प्रत्येक पिल्ले पर पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा माइक्रोचिप लगाई जाएगी और प्रत्येक पालतू पशु दुकान में परिसर के भीतर एक क्रियात्मक माइक्रोचिप रीडर होगा तथा यह इन नियमों की ऐसी अपेक्षा है कि माइक्रोचिप लगे हुए पिल्लों का ही विक्रय किया जाएगा।

(17) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी के पास सोलह सप्ताह की आयु से अधिक के पिल्लों और पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक समुचित लिखित अभ्यास योजना प्रचलन में जो पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसका कड़ाई से पालन किया जाता है।

(18) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी ऐसे पालतू पशु के जिसे उस समय से जब उसे पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए पहली बार प्रदर्शित किया गया था, तीन मास बीत जाने के बावजूद भी क्रेता नहीं मिला है, अंगीकरण करने या पुनः घर लाने को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा :

परंतु उस समय जब पालतू पशु दुकान में अविक्रीत पशुओं के अंगीकरण या पुनः घर लाने की सभी विशिष्टियां, पालतू पशुओं की दुकान में रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी :

परंतु यह और कि पालतू पशु दुकान स्वामी गली में या अन्यथा अविक्रीत पालतू पशु को परित्यक्त नहीं करेगा या उसका त्याग नहीं करेगा।

(19) यदि पालतू पशु दुकान स्वामी खरहरा सेवाओं का उपबन्ध करने का आशय रखता है तो उसे अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा तथा खरहरा क्षेत्र को वस्तुतः प्राथमिक पशु बाड़ों और पशु चारा भंडारण क्षेत्रों से पृथक् किया जाएगा।

(20) विक्रय के लिए आशयित किसी या सभी चीजों, चाहे फुटकर या थोक विक्रय में हों जिनके अंतर्गत पालतू पशु उत्पाद और उपसाधन भी हैं, को पालतू पशु दुकान के भीतर पशु क्षेत्रों में विक्रय के लिए भंडारित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(21) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी देखभाल की डिग्री और रीति के बारे में तथा क्रय की जा रहे पालतू पशुओं के लक्षणों तथा व्यवहारात्मक पैटर्नों के बारे में पालतू पशु देखभाल पत्रक या अन्य वैसे ही लिखित अनुदेश क्रय करने के समय प्रभार रहित ग्राहकों को उपलब्ध कराएगा।

(22) किसी पालतू पशु दुकान में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, कोई पालतू पशु विक्रय नहीं किया जाएगा।

(23) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी या पालतू पशु व्यापार में अंतर्गर्त कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि वे उनकी देखभाल और उनकी अभिरक्षा में पशुओं के आवासन, रखरखाव और अनुरक्षण में अधिकतम देखभाल की व्यवस्था करते हैं और वे उनकी अग्नि दुर्घटना अन्य पशुओं से आक्रमण या अन्य खतरनाक घटनाओं से उनकी संरक्षा करने के लिए सभी आवश्यक पूर्व सावधानियां बरतेगा।

(24) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी पालतू पशु दुकान में प्रत्येक पशु की जांच करने के लिए पशु चिकित्सा व्यवसायी रखेगा और प्रत्येक मास में या ऐसे किसी समय में जो रुग्णता के किसी लक्षण के दिखाई देने पर पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा यथा सूचित आरोग्य प्रमाण पत्र देगा।

(25) कोई पालतू पशु दुकान बिना अनुज्ञप्त प्राप्त प्रजनक से प्राप्त किए गए किसी पालतू पशु का विक्रय तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रजनक प्रवृत्त सुसंगत नियमों की अपेक्षानुसार रजिस्ट्रीकृत न हो।

(26) पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा स्वास्थ्य रिकार्ड, जिसके अंतर्गत टीकाकरण के ब्यौरे भी हैं, रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

**8. अभिलेखों का अनुरक्षण—**(1) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी अभिलेख पुस्तिका में इस अनुसूची से उपलब्ध प्ररूप-5 में विक्रय के लिए आशयित पालतू पशुओं के प्रजनकों और प्रदायकर्ताओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत प्राप्त किए गए पालतू पशुओं का नाम, पता, संपर्क ब्यौरे और संव्यवहार की तारीख और उनकी संख्या, उनकी नस्ल या प्रजातियों तथा पक्षी पर पट्टे, संख्या, यदि कोई हो, भी है, रखी जाएंगी।

(2) पालतू पशु स्वामी, उसे पालतू पशु क्रय करने वाले ग्राहकों का अभिलेख प्ररूप-6 में एक अभिलेख पुस्तिका में रखेगा, जिसमें क्रय किए गए पालतू पशुओं के नाम, पते, संपर्क ब्यौरे और उनके ब्यौरे तथा वह कीमत, जिन पर उन्हें क्रय किया गया है, और जारी की गई रसीद होगी।

(3) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी उन पालतू पशुओं का अभिलेख प्ररूप-7 में रखेगा, जिनकी पालतू पशु दुकान में मृत्यु हो जाती है, जिसमें मृत्यु का दिन, तारीख और समय तथा पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित मृत्यु का कारण और चिकित्सा देखभाल के ब्यौरे

और किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में प्रमाणित मृत पालतू पशु का उसकी मृत्यु से पूर्व उसे प्रदान की गई देखरेख तथा पशु शवों के निपटान की रीति का अभिलेख रखेगा।

(4) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी असाध्य, रुग्ण या मरणांत रूप से बीमार या घातक रूप से घायल ऐसे पालतू पशु, जिन्हें सुख मृत्यु दी गई है, का पृथक अभिलेख प्ररूप-8 में रखेगा, जिसमें पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित दिन, तारीख और मृत्यु का समय तथा मृत्यु का कारण और चिकित्सा देखभाल के व्यौरे तथा मृत पालतू पशु को उसकी मृत्यु से पूर्व प्रदान की गई देखभाल और पशु शवों के निपटान की रीति होगी।

(5) इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेख राज्य बोर्ड या किसी आशयित क्रेता द्वारा निरीक्षण के लिए पालतू पशु दुकान में उपलब्ध होंगे।

**9. नियमों का अननुपालन—**(1) राज्य बोर्ड, लिखित परिवाद के प्राप्त हो जाने पर या अन्यथा, पालतू पशु दुकान स्वामियों द्वारा इन नियमों के किसी अननुपालन की जांच कर सकेगा या स्थानीय प्राधिकारी या एस.पी.सी.ए. द्वारा जांच की गई लिखित में परिवाद को प्राप्त कर सकेगा।

(2) यदि निरीक्षण के दौरान, किसी पालतू पशु के बीमार होने की या किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव करने की आशंका है तो निरीक्षक या राज्य बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति खराब स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देने के लिए पालतू पशु दुकान स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह बीमार पशु के लिए चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करे और पालतू पशु दुकान स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निरीक्षण की तारीख के बाद सात दिन के भीतर स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करे और सात दिन के पश्चात् यदि प्राधिकृत निरीक्षक या व्यक्ति मामले में प्रगति से संतुष्ट नहीं है, तो वह पालतू पशु का अधिहरण कर लेगा और उसे ऐसे कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् की ऐसी कार्यवाही आवश्यक है, और इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति पालतू पशु दुकान स्वामी और पशु कल्याण संगठन को देने के पश्चात् समुचित आवास सुविधा वाले बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पशु कल्याण संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह को उपचार तथा देखभाल के लिए हटवाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पालतू पशु का उपचार करने तथा उनकी देखभाल करने के लिए उपगत व्यय पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और पशु कल्याण संगठन पशु को पालतू पशु दुकान स्वामी को पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात् वापस लौटाएगा और उसके उपचार तथा उसे प्रदान की गई देखभाल के व्यय की पशु कल्याण संगठन को प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

(4) पालतू पशु दुकान स्वामी इस नियम के अधीन बीमार या अन्यथा परेशान पालतू पशु के हटाए जाने की दशा में राज्य बोर्ड या पशु कल्याण संगठन से किसी प्रतिकर, जो भी हो, का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(5) यदि निरीक्षक द्वारा पालतू पशु दुकान के निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अपेक्षाओं का कोई अन्य उल्लंघन पाया जाता है तो राज्य बोर्ड, पालतू पशु दुकान स्वामी को एक नोटिस, जिसके साथ इस नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर बोर्ड को कारण बताओं कि उसका रजिस्ट्रीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए, जारी करेगा।

(6) राज्य बोर्ड, यदि उसका पालतू पशु दुकान स्वामी के उत्तर से समाधान नहीं होता है या यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और लिखित में उसके कारणों को पालतू पशु दुकान स्वामी को संसूचित कर सकेगा।

(7) पालतू पशु दुकान को, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, राज्य बोर्ड द्वारा तब तक सील नहीं की जाएगी,—

(क) जब तक ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध अपील करने की अवधि समाप्त न हो गई हो; और

(ख) उस मामले में, जहां अपील की गई है और लंबित है, अपील के निपटारा किए जाने तक।

(8) जहां अपील नामंजूर कर दी गई है, वहां राज्य बोर्ड दुकान को सील कर सकेगा और विक्रय के लिए प्रदर्शित किए गए या रखे गए पशुओं को अधिहृत कर सकेगा तथा तब अधिहृत पशु के साथ उपनियम (5) में उपवर्णित रीति से व्यवहार किया जाएगा।

**10. स्थापन का निरीक्षण—**(1) राज्य बोर्ड, या तो परिवाद की प्राप्ति पर या किसी अन्य कारण से, किसी पालतू पशु दुकान का इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक को, अपना प्राधिकार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी,—

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर पालतू पशु दुकान में प्रवेश करने और स्थापन के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी पशुओं तथा अभिलेखों तक पहुंच रखने तथा यह अभिनिश्चित करने कि क्या इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है ;

(ख) अभिलेख की तस्वीर लेने, वीडियो रिकार्ड करने और उसकी प्रतियां बनाने ।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पालतू पशु दुकान का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा ।

(4) निरीक्षक, निरीक्षण की रिपोर्ट लिखित में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(5) यदि राज्य बोर्ड, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, की यह राय है कि पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा इन नियमों की अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा का उल्लंघन किया गया है तो वह पालतू पशु दुकान स्वामी को रिपोर्ट की एक प्रति और कारण बताओं का अवसर देने के पश्चात् पालतू पशु दुकान स्वामी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और उसे पालतू पशु दुकान स्वामी को लिखित में उसके कारणों को संसूचित कर सकेगा ।

**11. अपील—**(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसाइटी (एसपीसीए) या राज्य बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई भी पालतू पशु दुकान स्वामी ऐसे विनिश्चय के तीस दिन के भीतर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी के विनिश्चय के विरुद्ध राज्य बोर्ड के समक्ष या राज्य बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध सचिव, पशुपालन, राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, राज्य बोर्ड, सचिव, पशुपालन, राज्य सरकार, पालतू पशु दुकान स्वामी को और यथास्थिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी या राज्य बोर्ड को सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील को उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं और पालतू पशु दुकान स्वामी और, यथास्थिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी या राज्य बोर्ड को संसूचित किए जाएं, अस्वीकार कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा ।

**12. पालतू पशु दुकान द्वारा रिपोर्टें—**(1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पालतू पशु दुकान, —

(क) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर राज्य बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय किए गए, व्यापार किए गए, अदला-बदली किए गए, दलाली किए गए, दान में दिए गए, चढ़ाए गए या प्रदर्शित किए गए या मारे गए या सुख मृत्यु दिए गए पशुओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी होगी ।

(ख) राज्य बोर्ड को ऐसी जानकारी, जिसकी, यथास्थिति, समय-समय पर अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगी ;

(2) राज्य बोर्ड, प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगा जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय किए गए, व्यापार किए गए, अदला-बदली किए गए, चढ़ाए गए या प्रदर्शित किए गए पशुओं की संख्या के बारे में जानकारी होगी और ऐसी अन्य जानकारी होगी जो, यथास्थिति, समय-समय पर बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

**13. इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पालतू पशु दुकान स्वामी की मृत्यु का प्रभाव—**यदि इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पालतू पशु दुकान स्वामी की रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पालतू पशु दुकान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण, पालतू पशु दुकान के सम्बन्ध में उसके विधिक वारिसों को प्रदान किया गया समझा जाएगा और वह स्वामी की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक विधिमान्य रहेगा और उसके पश्चात् पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन पालतू पशु दुकान को चालू रखने के लिए इन नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

**14. रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं—**किसी भी पालतू पशु दुकान को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक पालतू पशु दुकान ने इन नियमों के अनुसार राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो ।

**15. पशुओं और पक्षियों का आयात—**पालतू पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा प्रदायकर्ता, जो पक्षियों और पशुओं की आयातित विदेशी नस्लों का प्रदाय करता है, विदेश व्यापार महानिदेशक से सभी आवश्यक अनुमोदन या अनुज्ञप्ति या दोनों, प्रादेशिक या राज्य पशु करंतीन और प्रमाणन सेवाओं से स्वच्छता आयात अनुज्ञापत्र और अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् इन पशुओं का आयात कर रहा है और पालतू पशु दुकान स्वामी स्वयं अपना यह समाधान करेगा कि जीवित पशुओं का आयात विधिक और समुचित चैनलों के माध्यम से किया गया है।

**16. पालतू पशु दुकानों से प्राप्त राजस्व का प्रबंध—**रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण फीस के रूप में पालतू पशु दुकान से प्राप्त राजस्व का प्रबंध राज्य द्वारा इन नियमों को प्रवृत्त करने के लिए अपनी गतिविधियां चलाने के लिए किया जाएगा ।

**17. शक्तियों का प्रत्यायोजन —**राज्य बोर्ड, लिखित में आदेश द्वारा, इन नियमों (नियम 11 और नियम 12 के अधीन के सिवाय) के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी (एसपीसीए) को अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी शक्ति और कृत्य का प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

**पहली अनुसूची****प्ररूप - 1****[नियम 4(2) और नियम 5 देखिए]****रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप**

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड,

.....,

..... (जिले और राज्य का नाम) ।

विषय : पालतू पशु दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन ।

महोदय,

मैं/हम, ....., निवासी ....., कार्यालय पता सहित....., पालतू पशु दुकान का प्रचालन करने/प्रचालन जारी रखने के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :--

1. पालतू पशु दुकान का नाम और पता :
2. पालतू पशु दुकान स्वामी का नाम और पता :
3. टेलीफोन नं० (लैंडलाइन और मोबाइल) :
4. फोटोग्राफ सहित प्रस्तावित पालतू पशु दुकान में उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरे :
5. कार्य के घंटे और विश्राम दिवस, अर्थात् वह दिन, जिसको दुकान बंद रहेगी :
6. संवातन व्यवस्था :
7. प्रकाश व्यवस्था :
8. धूम्र-अभिज्ञान और अग्निशमन व्यवस्था :
9. तापन या शीतन व्यवस्था तथा वह रीति, जिसमें सभी पालतू पशुओं के लिए आरामदेय तापमान बनाए रखा जाएगा :
10. विद्युत बैकअप व्यवस्था :
11. खाद्य भंडारण के लिए व्यवस्था :
12. स्वच्छता, किस प्रकार रख-रखाव करने का प्रस्ताव किया गया है और पशु विषाणु और अपशिष्ट के हटाए जाने की व्यवस्था :
13. उन पशुओं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान के लिए व्यवस्था :
14. चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था :
15. पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित किए जाने या रखे जाने के लिए प्रस्तावित पालतू पशुओं के ब्यौरे :
16. फीस के संदाय के लिए चैक या डिमांड ड्राफ्ट नंबर के ब्यौरे :

**(रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदनों में पूर्व वर्ष के लिए पूर्ण अभिलेखों से संबंधित अतिरिक्त सूचना दी जाए)**

17. विक्रय के लिए उपलब्ध पालतू पशुओं की प्रजातियां और नस्ल तथा वह कीमत, जिस पर उन्हें विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जाएगा :
18. विक्रय के लिए उपलब्ध प्रत्येक पालतू पशु की आयु :
19. पूर्व वर्ष में विक्रय किए गए पशुओं की संख्या, वह कीमत, जिस पर उनका विक्रय किया गया, जारी प्राप्तियों की प्रतियां, पशु की मृत्यु का अभिलेख और इन नियमों की अपेक्षानुसार पशुओं (पालतु पशु) के प्रति क्रूरता निवारण नियम, 2018 के रखे जाने वाले अन्य सभी अभिलेख :



20. संपरीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखे :

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गई जानकारी ठीक और सही है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

### प्ररूप - 2

(नियम 3(1) और नियम 4(5) देखें)

#### पालतु पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.....(आवेदक का नाम और पता) को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतु पशु दुकान) नियम, 2018 में यथाउपबंधित पालतु पशु दुकान स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
2. पालतु पशु दुकान का अवस्थान.....में है।
3. पालतु पशु दुकान स्वामी को निम्नलिखित पशुओं से सम्बन्धित कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है  
.....
4. पालतु पशु दुकान स्वामी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 और तद्दीन बनाए गए नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबंधों का पालन करेगा।
5. पालतु पशु स्वामी 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूर्वोक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उत्तरवर्ती वर्ष की 31 जनवरी से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास पहुंच जानी चाहिए।
6. पालतु पशु दुकान में प्रमाणपत्र प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
7. प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय है।
8. प्रमाणपत्र, इस प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से पांच वर्ष तक विधिमान्य होगा और नवीकरण आवेदन समाप्ति की तारीख से तीस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य पशु कल्याण बोर्ड के

हस्ताक्षर और मुद्रा

तारीख :

### प्ररूप - 3

[नियम 4(5) देखें]

#### पालतु पशु दुकानों को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदक का नाम और पता	विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात पालतु पशुओं की किस्म
1	2	3

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	टिप्पणियां
4	5	6

**प्ररूप – 4**

[नियम 7(13) देखें]

**विक्रय किए गए पालतु पशुओं के लिए रसीद**

- पालतू पशु दुकान का नाम :
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख :
- विक्रय किए गए पालतु पशुओं की किस्म :
  - प्रवर्ग :
  - सामान्य नाम :
  - तकनीकी नाम :
  - नस्ल :
  - आयु :
  - टीकाकरण के ब्यौरे :
- विक्रय रकम :
- क्रेता का नाम और पता :
- क्रेता का संपर्क नं. :

स्थान:

पालतु पशु दुकान स्वामी के हस्ताक्षर स्टॉप/सील

तारीख:

टिप्पण: उपरोक्त प्रमाणपत्र दो प्रतियों में होगा, मूलप्रति क्रेता को तथा दूसरी प्रति पालतू पशु दुकान में रखी जाएगी।

**प्ररूप 5**

[नियम 8(1) देखें]

**पालतू पशुओं के प्रजननकर्ताओं और प्रदायकर्ताओं का रजिस्टर**

क्रम सं.	प्रजनक/प्रदायकर्ता का नाम और पता	संपर्क संख्या और ई-मेल	संव्यवहार की तारीख
1	2	3	4

पालतु पशु का वर्णन	पशु की आयु	टीकाकरण के ब्यौरे	टिप्पणी
5	6	7	8

**प्ररूप 6**

[नियम 8(2) देखें]

**पालतू पशुओं के विक्रय का रजिस्टर**

क्रम सं.	क्रेता का नाम और पता	संपर्क संख्या	विक्रय की रकम
1	2	3	4

विक्रीत पालतु का प्रकार						टिप्पणियां
प्रवर्ग	सामान्य नाम	तकनीकी नाम	नस्ल	आयु	टीकाकरण	
5	6	7	8	9	10	11

**प्ररूप 7**

[नियम 8(3) देखें]

**पालतु पशु दुकान में मरने वाले पालतू पशुओं का रजिस्टर**

क्रम सं.	पशु का नाम और वर्णन	पशु की मृत्यु की तारीख और समय	आयु
1	2	3	4

मृत्यु का समय	मृत्यु का कारण	प्रदत्त चिकित्सा उपचार	मृत पशु का निपटान किस प्रकार किया गया	टिप्पणी
5	6	7	8	9

**प्ररूप 8**

[नियम 8(4) देखें]

उन पालतु पशुओं के ब्यौरे का रजिस्टर जो ठीक न होने वाली रुग्णावस्था में हैं/रोग की अंतिम अवस्था में हैं/घायल होकर मृत्यु के निकट हैं

क्रम सं०	वह तारीख जब पशु ठीक न होने वाली रुग्णावस्था में/रोग की अंतिम अवस्था में/घायल होकर मृत्यु के निकट पहुंचा	पशु का नाम और वर्णन	आयु
1	2	3	4

मृत्यु का समय	मृत्यु का कारण	प्रदत्त चिकित्सा उपचार	मृत पशु का निपटान किस प्रकार किया गया	टिप्पण
5	6	7	8	9

**दूसरी अनुसूची**

[नियम 6(3) देखिए]

**न्यूनतम स्थान अपेक्षाएं****1. पक्षियों के लिए--**

(क) पक्षियों को बाड़े और लंबे-चौड़े खगालयों में रखा जाएगा।

- (ख) खगालय काफी बड़े होंगे, जिससे प्रत्येक पक्षी पूरे शरीर को फैला सके और काफी चौड़े होंगे, जिससे सभी के पूरे फैलाए हुए पंखों को आवासित किया जा सके तथा खगालय के भीतर वे सहज रूप से फुदक, उछल, चढ़ और उड़ सकें।
- (ग) प्रत्येक खगालय में सुव्यवस्थित पक्षिसाद की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर पक्षी किसी ऊपरी छत से सिर को उससे टकराए बिना और फर्श या जाली से पूंछ को छुए बिना सीधे खड़े हो सकते हैं तथा कुलिंग और चिड़ियां जैसी प्रजातियों के लिए, जो चढ़ने के बजाए उड़ना या उछलना पसंद करती हैं, पक्षिसाद ऐसी रीति में स्थित होंगे, जो ऐसा होने को अनुज्ञात करते हैं।
- (घ) पक्षिसाद सामरिक रूप से इस प्रकार रखे जाएंगे जिससे खाद्य और जल आद्यानों में रिसाव से होने वाले संदूषण को रोका जा सके।
- (ङ.) ऐसे पक्षियों, जो मिलनसार समूहों में रहते हैं और उन्हें उस रूप में रखा जाता है, के खगालयों के भीतर काष्ठ निर्मित घोंसलेदार बाक्स होने चाहिए।

## 2. बिल्लियों के लिए--

- (क) खुले बाड़े या खड़क का फर्श ठोस भूपृष्ठ का होगा और काफी बड़ा होगा जिससे सभी अधिभोगियों को अबाध संचलन और क्रीड़ा करने में समर्थ बनाया जा सके।
- (ख) बिल्लियों के लिए उत्थापित विश्राम भूपृष्ठ की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ग) चटाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (घ) बाड़े के भीतर नर्म और स्वच्छ क्रीड़ा खिलौनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ङ.) कचरा बाक्स द्वारा घेरे गए स्थान को कुल क्षेत्र के परिकलन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (च) बिल्लियों और बिलौटों को एक ऐसे कक्ष में रखा जाएगा, जिसको कोई दूसरा विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे कुत्ते द्वारा सांझा नहीं किया जाता है।

## 3. कुत्तों के लिए—

### पशुओं की संख्या

क्षेत्र (वर्ग फुट)	लघु (1-10 पौंड)	मध्यम (11-20 पौंड)	वृहद (21-30 पौंड)
24	3	2	1
48	6	3	2
72	10	4	3

- (क) खुले बाड़े या खड़क का फर्श ठोस भूपृष्ठ का होगा और काफी बड़ा होगा जिससे सभी अधिभोगियों को अबाध संचलन और क्रीड़ा करने में समर्थ बनाया जा सके।
- (ख) बाड़े या खड़क की ऊंचाई इतनी होगी कि कुत्ता या पिल्ला बचकर न निकल सके।
- (ग) तीस पौंड से अधिक वजन के कुत्तों के लिए न्यूनतम ऊंचाई और स्थान अपेक्षाएं व्यष्टिक आधार पर अवधारित की जाएगी और ऊपर विनिर्दिष्ट ऊंचाई और स्थान से अधिक होंगी।

**4. खरगोशों के लिए—**

क्षेत्र (वर्ग फुट)	पशुओं की संख्या		
	लघु (2 पौंड से कम)	मध्यम (2-4 पौंड)	बड़े (5-12 पौंड)
5	4	2	0
10	8	4	1
15	12	6	2

- (क) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 48 इंच होगी।
- (ख) खरगोश के प्राथमिक बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी तथा यह टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृणनिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस भूपृष्ठ का होगा, जिसमें खुदाई, चवाई और क्रीड़ा की व्यवस्था होगी।
- (ग) खरगोशों को एक ऐसे कक्ष में रखा जाएगा, जिसको कोई दूसरा विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे बिल्लियों और कुत्तों द्वारा सांझा नहीं किया जाता है।

**5. गिन्नी पियों के लिए—**

क्षेत्र (वर्ग फुट)	पशुओं की संख्या	
	तरुण (350 ग्राम से कम)	वयस्क (350 ग्राम से अधिक)
5	5	2
10	10	4
15	15	6

- (क) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 36 इंच होगी।
- (ख) गिन्नी पियों के प्राथमिक बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी तथा यह टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृणनिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस भूपृष्ठ का होगा।
- (ग) गिन्नी पियों को अन्य विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

**6. हैमस्टर्स के लिए—**

प्रत्येक हैमस्टर के लिए प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र 1.5 वर्ग फुट से कम का नहीं होना चाहिए।

- (क) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई बौने कद की प्रजातियों के लिए 36 इंच होगी। सभी अन्य हैमस्टर प्रजातियों के लिए प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 48 इंच होगी।



- (ख) हैमस्टर और हिरनमूसा को केवल प्राथमिक बाड़ों में रखा जाएगा, जो टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृननिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस फर्श का होगा और हैमस्टर के प्राथमिक बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी।
- (ग) उन्हें अन्य विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

## 7. चूहों के लिए—

- (क) प्रत्येक चूहे के लिए प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र 1.0 वर्ग फुट से कम का नहीं होगा।
- (ख) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 8 इंच होगी।
- (ग) चूहों को केवल जालीदार प्राथमिक बाड़ों में रखा जाएगा, और उनके बाड़े का फर्श जालीदार और छीलन वाला होगा।
- (घ) वजन में 500 ग्राम से अधिक के चूहों के लिए न्यूनतम ऊंचाई तथा स्थान अपेक्षाएं व्यष्टिक आधार पर अवधारित की जाएंगी और ऊपर विनिर्दिष्ट ऊंचाई तथा स्थान से अधिक होगी।
- (ङ) चूहों को अन्य विद्वेषी पशु प्रजातियों, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

## 8. मूषकों के लिए—

- (क) प्रत्येक मूषक के लिए प्रदान किया गया क्षेत्र 1 वर्ग फुट से कम का नहीं होगा।
- (ख) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 6 इंच होगी।
- (ग) मूषक को केवल प्राथमिक बाड़ों में रखा जाएगा, जो टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृननिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस फर्श का होगा और उनके बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी।
- (घ) मूषकों को अन्य विद्वेषी पशु प्रजातियों, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी (पार्ट)]

मंजू पाण्डे, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

**G.S.R.844(E).**—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 1152(E), dated the 16<sup>th</sup> December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16<sup>th</sup> December, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 16<sup>th</sup> December, 2016;

And whereas, objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
  - (b) “Animal Welfare Organisation” means a welfare organisation for animals recognised by the Board;
  - (c) “breeder” means an individual or group of persons who own pet animal for breeding and sale, and includes a boarding kennel operator, intermediate handler and trader;
  - (d) “certificate of registration” means a certificate of registration issued under these rules;
  - (e) “Farm” means a Farm contained in the First schedule;
  - (f) “infirm animal” means any animal that is suffering from any functional or physiological disorder, defect or disability, or any deficiency from birth, or acquired after birth;
  - (g) “inspector” means a veterinarian of the State Government authorised in writing by the State Animal Welfare Board or SPCA:  
Provided that any person who is or has been a pet shop owner or breeder, or is related to a pet shop owner or breeder, shall not be authorised as an inspector under these rules;
  - (h) “local authority” means a municipal committee, SPCA or other authority for the time being invested by law with the control and administration of any matter within a specified local area;
  - (i) “mutilating” means subjecting an animal to a surgery or procedure such as ear cropping, tail docking or branding or otherwise performing a surgery or procedure to camouflage or hide any defect or infirmity except curative surgery;
  - (j) “pet animal” includes dog, cat, rabbit, guinea pig, hamster, rodents of the rat or mice category, pet birds and such other type of animals, the ownership of, and trade in which, is not prohibited by any other law, rules or regulations;
  - (k) “pet shop” means a shop, place or premises, including any shop, place or premises in a weekly or other market, where pet animals are sold or housed, kept or exhibited for sale, or where any retail or whole-sale business involving the selling or trading of pet animals are carried out, and includes online platforms over which the sale and purchase of pet animals is carried out wherever the context permits;
  - (l) “pet shop owner” means any person who owns or has control over any pet shop;
  - (m) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;
  - (n) “SPCA” means Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rule, 2001 made under the Act;
  - (o) “State Board” means the State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government;
  - (p) “un-weaned animal” means —
    - (i) the offspring of an animal that has not attained the age at which it normally acquires independent survival skills to meet its basic needs like food, warmth and safety; and
    - (ii) kittens and pups below eight weeks, and captive birds without mature flight feathers.
  - (q) “veterinary practitioner” means a veterinary practitioner registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).
- (2) Word and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Prohibition of operating pet shops without registration.**—(1) No person shall—

- (a) carry on or continue the business of sale or trade in pet animals, whether retail or wholesale; or

(b) establish or operate a pet shop, or any other establishment engaged in sale, purchase or exchange of pet animals by whatever name called,

without obtaining a certificate of registration in Form II:

Provided that any person operating a pet shop on the date of the commencement of these rules shall, within sixty days of such commencement, obtain a certificate of registration of pet shop under these rules:

Provided further that if a person referred to in the first proviso fails to apply for the registration within such period of sixty days or is refused the registration for any reason specified in these rules, then, the State Board or Society for Prevention of Cruelty to Animals shall seal the shop, and confiscate the pet animals displayed or housed for sale and the pet animals so confiscated shall be handed over to as deemed fit by the magistrate under the provisions of section 29 of the Act, however, thirty days notice shall be given to the pet shop owner before confiscation of the pet animals from the date of expiry of such period of sixty days or from the date on which the registration has been refused.

(2) Every pet shop owner shall prominently display the certificate of registration in the pet shop.

(3) Every pet shop owner shall keep the pet shop open for inspection by an inspector authorised in writing by the State Board or the Society for Prevention of Cruelty to Animals.

**4. Registration of pet shop.—**(1) A person shall not be eligible for registration of pet shop under these rules unless,—

(a) in the case of an individual, he has attained the age of majority and is of sound mind and is not disqualified from contracting under any other law for the time being in force; and

(b) in any other case, the person is a corporation, company or other association of persons duly registered in accordance with any law for the time being in force.

(2) An application for registration of pet shop shall be made to the State Board in Form-I providing all information required therein and accompanied with a non-refundable fee of five thousand rupees.

(3) A person shall be required to make separate applications for every pet shop or premises being used or intended to be used for carrying on or continuing the business of sale or trade in pet animals, whether retail or wholesale.

(4) Pet shop owner shall submit an affidavit with the application referred to in sub-rule (2) stating that all the conditions for registration of pet shop have been fulfilled.

(5) The State Board, on receipt of an application under sub-rule (2), may register the pet shop and issue a certificate of registration in Form II to the applicant in respect of that pet shop, and the state Board shall maintain a Register of certificate of registration in Form III.

(6) The State Board shall, after registration of pet shop under sub-rule (5), cause the pet shop to be inspected by an authorised veterinarian of the State Government within a period of three months.

(7) The veterinarian referred to in sub-rule (6) shall after making inspection submit a signed report to the State Board.

(8) The State Board may, after considering the report of the veterinarian and on being satisfied that the pet shop complies with the requirements specified under these rules, continue the registration of pet shop.

(9) The State Board shall not permit continuation of registration of pet shop, if—

(a) the information submitted by the applicant has been found to be false or the applicant has made material and deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the State Board; or

(b) the applicant has, at any stage prior to submission of his application for registration of pet shop, been convicted of any offence under the Act, or the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force; or

(c) the applicant has refused to allow the inspector or the representative of the State Board authorised in writing, free and unimpeded access to his facilities; or

(d) the applicant was operating a pet shop without a valid certificate of registration, and failed to apply for the same resulting in sealing of his shop.

(10) Where the State Board does not permit the registration of pet shop, the State Board shall inform the applicant in writing the reasons thereof within thirty days from the date of receipt of inspection report by the State Board.

(11) A certificate of registration issued by the State Board shall be valid for a period of five years, and may be renewed upon an application being made to the State Board together with a fee of five thousand rupees.

(12) A certificate of registration issued under these rules shall be non-transferable.

(13) Notwithstanding anything in these rules, the following persons shall not require a license under these rules, namely:—

- (a) an animal shelter operated by or on behalf of a local authority, or an Animal Welfare Organisation registered with the Board;
- (b) any other facility or establishment that operates for the welfare of animals, and is not engaged in commercial activity such as sale and purchase of animals;
- (c) an establishment registered with the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), and coming under the purview of the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules 1998 as amended from time to time for the purpose of experiments, breeding and trading of animals, and shall be exempted from these rules.

**5. Renewal of registration.**—An application for renewal of registration of pet shop shall be made, at least thirty days prior to the expiry of the registration, to the State Board in the Form-I and the provisions of rule 4 shall *mutatis mutandi* apply.

**6. Accommodation, infrastructure and housing.**—(1) A pet shop shall be located within a permanent structure or building, with adequate arrangement for basic amenities such as water and electricity, and adequate power back up.

(2) No person shall be allowed to operate a pet shop on a shanty, shack, pavement or any temporary or make shift arrangement.

(3) The enclosures or rooms or aviaries in a pet shop in which the pet animals for sale are displayed or housed shall be of adequate size and space as set out in the Second Schedule, so as to permit—

(a) the pet animal housed therein to stand, sit, lie down, turn around, stretch and make other normal postural adjustments without obstruction, interference or impediment occasioned by paucity of space;

(b) the birds within to fly, hop, jump, climb and otherwise move about, and individually spread their wings, and perch in normal position without obstruction, interference or impediment occasioned by paucity of space, and the water birds shall be provided water troughs to wallow.

(4) The floor of the enclosure or room for displaying or housing pet animals for sale shall be constructed such that no injury to the animals' feet, or legs, or any other injury is caused to them, however, wherever mesh floors are used, a tray shall be provided to avoid any organic matter falling into the cages below in case of stacking.

(5) The temperature at the enclosures or rooms or aviaries in which pet animals are displayed or housed for sale shall be comfortable, which may vary from animal to animal, and from breed to breed, and it shall be incumbent upon the pet shop owner to familiarise himself with the requirements of the breeds or species that he intends to deal in, and provide ambient and comfortable temperature for them.

(6) Every pet shop owner shall provide in the pet shop and particularly, in the enclosures or rooms or aviaries in which the pet animals are displayed or housed for sale, suitable drainage or a way to quickly eliminate waste and water when cleaning.

(7) Every pet shop displaying or housing pet animals for sale shall—

(a) be adequately ventilated and a low noise exhaust fan or system shall be installed;

(b) be free from noise pollution, and shall not be adjacent to areas where loud noises can be heard, or noxious fumes and odors emitted, including factories and other similar industrial establishments;

(c) not be located within the vicinity of hundred meters from butcher shops, or butcheries, or abattoirs, and entry of other animals that may disturb or harm the pet animals housed or exhibited for sale in pet shops shall not be allowed;

(d) install and make smoke-detection and fire-fighting equipment available and ready for use at the pet shop; and

(e) have an isolated or quarantine area where pet animals infected with a contagious disease or suspected of being infected can be segregated from the rest of the animals intended for sale.

**7. General care of animals, veterinary care and other operational requirements.—**

(1) Every pet shop owner shall ensure that pet animals are at all times displayed or housed for sale in accommodation and environment suitable to their species with respect to situation, size, temperature, lighting, ventilation and cleanliness, and other similar standards and no pet animals or birds shall be on display, or displayed outside pet shops, or in show windows.

(2) Every pet shop owner shall ensure that—

(a) sufficient food of a type consistent with the dietary requirements and age of the pet animals intended for sale is provided to them;

(b) clean drinking water is available to the pet animals intended for sale at all times;

(c) vessels used for feeding and watering of pet animals are kept clean and free from contamination of excrement or urine;

(d) the enclosures or rooms or aviaries in which pet animals for sale are displayed or housed are cleaned daily or more often, if found to be soiled by excrement or other waste, and disinfected frequently to preclude the possibility of outbreak of disease;

(e) where accommodation is on a tiered system, water, food or other droppings are not allowed to enter the lower housing;

(f) food wastes, animal excreta, used bedding, debris and any other organic wastes are removed daily, or more frequently, from the animal enclosures;

(g) aviaries are cleaned daily, or more frequently, to prevent buildup of bird wastes and uneaten food;

(h) the enclosures or rooms or aviaries in which pet animals for sale are displayed or housed are such as enable them to move about freely, or rest comfortably, and the pet animals requiring bedding material are provided the same, and no feed is allowed to mix in the bedding;

(i) all pet animals displayed or housed in the same enclosure are of the same species and age group and are grouped in a manner that precludes mating or bullying and fighting;

(j) pet animals that are inimical to each other are not displayed or housed in abutting enclosures, and dogs and cats are not kept adjacent to each other, and birds, rabbits, guinea pigs, hamsters, and rodents are not kept adjacent to dogs and cats, since the same can cause acute stress;

(k) only healthy pet animals, certified in writing by a veterinary practitioner as being so, are offered for sale at the pet shop; and

(l) pet animals for sale are not left in the pet shop at night without sufficient number of attendants to attend to them.

(3) A pet shop shall not display or house pregnant animals or mothers caring for un-weaned young for sale or offer them for sale.

(4) No pet shop shall sell any animal intended to be used for food, skin or accessories except insects or some species of animals that are not used for human consumption but used as food for other animals.

(5) Every pet shop owner shall—



(a) employ only such persons as are trained for handling or taking care of pet animals, and shall not employ any person who is of unsound mind or displaying signs of aggressive or abnormal behavior or whose temperament does not seem suited for working with animals; and

(b) have sufficient dedicated staff at the pet shop to take care of, and attend to pet animals properly.

(6) Every pet shop owner shall make provision for veterinary care, including emergency medical care, and display at a conspicuous place in the pet shop the emergency contact information of the veterinary practitioner so as to allow the employees and customers access to the veterinary practitioner, with their concerns regarding the health of the pet animals at the facility.

(7) The pet shop owner shall immediately report the outbreak or suspected outbreak of any zoonotic or contagious disease or infection to the local authority, the SPCA, the State Board and the State Government Department responsible for Animal Husbandry.

(8) Every pet shop owner shall provide at least one room or enclosure for quarantining sick or diseased pet animals, or pet animals suspected to be sick or diseased, or segregating newly acquired pet animals and ensure that—

(a) quarantined sick or diseased pet animals are not kept together with newly acquired pet animals;

(b) the quarantine or isolation facility is cleaned and disinfected thoroughly after quarantined or isolated pet animals have been removed from the same, and prior to the placement of additional pet animals into the room or enclosure; and

(c) the equipment and vessels used at the quarantine or isolation facility are kept separate and distinct.

(9) Every pet shop owner shall ensure that any pet animal that becomes incurably sick or terminally ill or mortally wounded is euthanised by a veterinary practitioner in the manner specified by the Veterinary Council of India, and maintain a record of such cases and report such instances to the State Board.

(10) Every pet shop shall have arrangement to dispose-off carcasses of pet animals that die at the facility, and dead animals shall be removed at the earliest from the sight of other pet animals.

(11) Every pet shop owner shall prominently display at the pet shop, the license granted to him for operating the facility.

(12) The species and numbers of pet animals, and the prices for which they are offered for sale shall be prominently displayed at the pet shop.

(13) Receipts shall be issued for every pet animal sold in Form IV and a copy of each receipt shall be retained at the pet shop.

(14) No pet shop shall sell pet animals with any form of mutilation, however, necessary curative surgery shall be exempted based on the prescription of the veterinarian.

(15) No pet shop shall sell un-weaned or underage animals or birds.

(16) Every puppy shall be micro-chipped by a veterinary practitioner, and each pet shop shall have a functional micro-chip reader within the premises and it is a requirement of these rules that only micro-chipped puppies shall be sold.

(17) Every pet shop owner shall have in place an appropriate written exercise plan for pups over sixteen weeks of age and for different species of animals, signed and certified by a veterinary practitioner, and ensure that the same is strictly adhered to.

(18) Every pet shop owner shall make efforts to ensure the adoption or re-homing of any pet animal that has not found a buyer despite three months having elapsed since it was first displayed for sale at the pet shop:

Provided that all particulars of adoption or re-homing of unsold animals shall be entered in a register to be kept at the pet shop:

Provided further that the pet shop owner shall not abandon or discard un-sold pet animal on to the streets or otherwise.

(19) If the pet shop owner intends to provide grooming services, the same shall be specifically mentioned in the application for grant of license, and the grooming area shall be physically separated from primary animal enclosures and animal food storage areas.

(20) Any and all items intended for sale, whether retail or whole-sale, including pet products and accessories, shall not be stored or displayed for sale in the animal areas within a pet shop.

(21) Every pet shop owner shall make available to customers free of charge at the time of purchase, pet care leaflets or other similar written instructions regarding the degree and manner of care, and regarding traits and behavioral patterns of the pet animal being purchased.

(22) No pet shop shall sell any pet animal to a person who has not attained the age of majority.

(23) Every pet shop owner and any person involved in the pet trade shall ensure that they provide the maximum care in the housing, upkeep and maintenance of the animals under their care and in their custody, and take all necessary precautions to protect them against fire, accidents, attacks from other animals, or other dangerous occurrences.

(24) Every pet shop owner shall engage a veterinary practitioner to check each animal in the pet shop and give a certificate of fitness once in every month or at anytime as informed by the pet shop owner on noticing any symptom of illness.

(25) No pet shop shall sell any pet animal acquired from a breeder unless the breeder is registered as required by the relevant rules in force.

(26) Adequate measures shall be taken by the pet shop owner to maintain health records including details of vaccination.

**8. Maintenance of records.**—(1) Every pet shop owner shall maintain in a record book in Form V, the particulars of breeders and suppliers of pet animals intended for sale, including name, address, contact details, and date of transaction, and the number of pet animals received, their breed or species, and bird band number if applicable.

(2) The pet shop owner shall maintain a record in Form VI of customers buying pet animals from him in a record book, with names, addresses, contact details, and the details of pet animal purchased, and the price at which purchased, and the receipt issued.

(3) Every pet shop owner shall maintain a record in Form VII of the pet animals that die at the pet shop, with the day, date and time of death, and cause of death certified by a veterinary practitioner, and details of the medical attention and care provided to the deceased pet animal prior to its death certified in writing by a veterinary practitioner, and manner of disposal of carcasses.

(4) Every pet shop owner shall maintain a separate record in Form VIII of the incurably sick or terminally ill or mortally wounded pet animals that are euthanised, with the day, date and time of death, and cause of death certified by a veterinary practitioner, and details of the medical attention and care provided to the deceased pet animal prior to its death, and manner of disposal of carcasses.

(5) The records maintained under this rule shall be available at the pet shop for inspection by the State Board or any intending purchaser.

**9. Non-compliance with these rules.**—(1) The State Board may, upon receipt of a written complaint or otherwise, inquire into or get the complaint inquired into in writing by the local authority or SPCA in order to establish the non-compliance of these rules by the pet shop owners.

(2) If during an inspection, a pet animal is suspected to be sick or experiencing any kind of distress then the inspector or any person, authorised by the State Board in writing to give a certificate of ill health may require the pet shop owner to provide medical attention to the sick animal and require the pet owner to submit health report within seven days post the inspection date, and after seven days, if the authorised inspector or person is not satisfied with the progress in the matter, he shall confiscate the pet animal, and remove it for treatment and care to a shelter house run by an Animal Welfare Organisation registered with Board having appropriate housing facility, after recording in writing the reasons why such action is necessitated, and giving a copy of the reasons so recorded to the pet shop owner and the Animal Welfare Organisation.

(3) The expenses incurred for treating and attending to the pet animal under sub-rule (2) shall be borne by the pet shop owner, and the Animal Welfare Organisation shall return the animal to the pet shop owner after the pet animal has recovered fully, and the expense for its treatment and the care provided has been reimbursed to the Animal Welfare Organisation.

(4) The pet shop owner shall not, in the event of removal of a sick or otherwise distressed pet animal under this rule, be entitled to claim any compensation whatsoever, from the State Board or the Animal Welfare Organisation.

(5) If any other violation of the requirements of these rules is discovered during an inspection of a pet shop by the inspector or person referred to in sub-rule (2), the State Board shall issue a notice to the pet shop owner to show cause within fifteen days of receipt of the notice, why his registration be not cancelled.

(6) The State Board may, if it is not satisfied with the response of the pet shop owner, or if no response is received, cancel the registration and communicate the reasons thereof in writing to the pet shop owner.

(7) The pet shop, the registration of which has been cancelled, shall not be sealed by the State Board—

(a) until the period for making appeal against such cancellation has expired; and

(b) in case where an appeal has been preferred and is pending, until the disposal of the appeal.

(8) Where the appeal has been rejected, the State Board may seal the shop, and confiscate the animals displayed or housed for sale and the confiscated animals shall then be dealt with in the manner set out in rule 3.

**10. Inspection of establishment.**—(1) The State Board may, either upon receipt of a complaint or for any other reason, cause any pet shop to be inspected by an inspector authorised in writing by it in this behalf.

(2) The inspector so authorised under sub-rule (1) shall, on producing his authority, have power to—

(a) enter into the pet shop at any reasonable time and access to all areas within the establishment and all animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;

(b) take pictures, record videos and make copies of the records.

(3) A pet shop registered under these rules shall be inspected at least once every year.

(4) The inspector shall submit to the State Board a report in writing of the inspection.

(5) If the State Board, after considering the report, is of the opinion that any requirements of these rules are contravened by the pet shop owner, it may, after giving a copy of the report to the pet shop owner and an opportunity to show cause, cancel the registration of the pet shop and communicate it the reasons thereof in writing to the pet shop owner.

**11. Appeal.**—(1) Any pet shop owner aggrieved by the decision of the SPCA or State Board may, within thirty days of receipt of the decision, prefer an appeal before the State Board against the decision of SPCA or Secretary, Animal Husbandry, State Government against the decision of State Board.

(2) The State Board or Secretary, Animal Husbandry, State Government, as the case may be, shall after giving notice to the pet shop owner and SPCA or the State Board as the case may be, and giving an opportunity of hearing to the parties, either reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing and communicated to the pet shop owner and SPCA or the State Board as the case may be.

**12. Reports by pet shop.**—(1) Every pet shop registered under these rules shall,—

(a) submit at the end of every year, a report to the State Board, consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded, exhibited, died or euthanised, during the previous year;

(b) provide to the State Board, such information as may be required by the State Board, as the case may be from time to time.

(2) the State Board shall send a consolidated report at the end of every year to the Board consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded or exhibited during the previous year and any such other information as may be required by the Board, as the case may be, from time to time.

**13. Effect of death of owner of pet shop registered under these rules.**—In the case the owner of a pet shop registered under these rules dies before the expiry of the period of registration, the registration in respect of the pet shop shall be deemed to have been granted to his legal heirs in respect of that pet shop and shall remain valid till the end of a period of three months from the date of death of the owner and thereafter a fresh application for registration of the pet shop shall be made in accordance with these rules for continuing the pet shop.

**14. No license without registration.**—No pet shop shall be granted a license by the local authority, unless the pet shop has obtained a certificate of registration from the State Board in accordance with these rules.

**15. Import of birds and animals.**—Pet shop owner shall ensure that the suppliers who supply imported, exotic breeds of birds and animals are importing these animals after obtaining all necessary approvals or license or both from the Director General of Foreign Trade, Sanitary Import Permit and Permission from Regional or State Animal Quarantine and Certification Services, and the pet shop owner shall satisfy himself that the imports of live animals have been done through legal and appropriate channels.

**16. Management of revenue received from pet shops.**—The revenue received from the pet shops as registration and renewal fee shall be managed by the State Board for running their activities for enforcing these rules.

**17. Delegation of powers.**—The State Board may, by an order in writing, delegate any of its powers and functions under these rules (except under rules 11 and 12) to the Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

### THE FIRST SCHEDULE

#### FORM-I

[See rules 4(2) and 5]

#### APPLICATION FORM FOR REGISTRATION/RENEWAL

To

The State Animal Welfare Board

-----

----- (name of the district and State)

Subject : Application for grant of license for Pet Shop

Sir,

I/We ----- r/o----- with office address -----

-----, do hereby apply for registration to operate/continue operating a pet shop,  
the particulars of which are set out below:—

1. Name and address of the pet shop:
2. Name and address of pet shop owner:
3. Telephone number (landline and mobile):
4. Details of accommodation and infrastructure available at proposed pet shop with photographs:
5. Working hours and rest day, i.e. day on which shop shall remain closed:
6. Ventilation arrangement:
7. Lighting arrangement:
8. Smoke-detection and fire fighting arrangement:
9. Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all pet animals:
10. Power back-up arrangement:
11. Arrangements for food storage:
12. Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of animal excreta and waste:
13. Arrangement for disposal of animals that die:
14. Arrangement for medical and veterinary support:
15. Details of pet animals proposed to be displayed or housed in the pet shop for sale:
16. Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

**(ADDITIONAL INFORMATION PERTAINING TO THE FULL RECORDS OF THE PRECEDING YEAR TO BE PROVIDED IN APPLICATIONS FOR RENEWAL OF REGISTRATION)**

17. Species and breeds of pet animals available for sale, and price at which offered for sale:
18. Age of each pet animal available for sale:
19. Records from the previous year of number of animals sold, prices at which sold, copies of receipts issued, animal deaths and all other records required by the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 these rules to be maintained:
20. Audited balance sheets and profit and loss accounts:

I/We do hereby declare that the information provided herein is accurate and true.

Place:

Signature of Applicant

Date:

\_\_\_\_\_

**Form II**

[See Rules 3(1) and 4(5)]

**Certificate of Registration of Pet Shop**

1. Certificate of Registration is granted to ..... (name and address of applicant) to establish a pet shop as provided in the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.
2. The location of the pet shop is at .....
3. The owner of pet shop is permitted to deal with the following pet animals .....
4. The owner of pet shop shall abide by the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the rules and notifications made and issued thereunder.
5. The owner of the pet shop shall submit annual report in compliance with clause (a) of sub-rule(1) of rule 12 of the aforesaid rules for the year ending the 31<sup>st</sup> December to reach the undersigned before the 31<sup>st</sup> January of the succeeding year.
6. The Certificate shall be displayed prominently in the pet shop.
7. The Certificate is non-transferable.
8. The Certificate shall be valid up to five years from the date of issue of this Certificate and renewal application should be submitted thirty days prior to the expiry date.

Date:

Signature and Seal of

State Animal Welfare Board



**Form III**

[See rule 4(5)]

**Register of Certificates of Registration issued to Pet Shops**

Sl. No.	Name and address of applicant	Type of pet animals permitted to be sold
1	2	3

Date of Registration	Name of Local Authority	Remarks
4	5	6

**Form IV**

[See Rule 7(13)]

**Receipt for Pet Animals sold**

1. Name of the pet shop :
2. Number and date of Certificate of Registration :
3. Type of pet animal sold :
  - (a) Category
  - (b) Common name:
  - (c) Technical name:
  - (d) Breed:
  - (e) Age :
  - (f) Vaccination details:
4. Sale amount:
5. Name and address of purchaser :
6. Contact number of purchaser:

Place:

Signature of pet shop Owner

Date:

Stamp/Seal

Note: The above Certificate shall be in duplicate, the original to be given to the Purchaser and duplicate to be retained in the Pet Shop.

**Form V**

[See rule 8(1)]

**Register of breeders and suppliers of pet animals**

Sl. No.	Name and address of Breeder/Supplier	Contact number and e-mail	Date of transaction
1	2	3	4

Description of pet animal	Age of animal	Vaccination details	Remarks
5	6	7	8

**Form VI**

[See rule 8(2)]

**Register of sale of pet animals**

Sl. No.	Name and address of purchaser	Contact number	Sale amount
1	2	3	4

Type of pet animal sold						Remarks
Category	Common name	Technical name	Breed	Age	Vaccination	
5	6	7	8	9	10	11

**Form VII**

[See rule 8(3)]

**Register of pet animals that die in pet shop**

Sl. No.	Name and description of animal	Date and time of death of animal	Age
1	2	3	4

Cause of death	Medical treatment provided	How dead animal was disposed	Remarks
5	6	7	8

**Form VIII**

[See rule 8(4)]

**Register of details of pet animals which are incurably sick/  
terminally ill mortally wounded**

Sl. No.	Date on which animal was incurably sick/terminally ill/mortally wounded	Name and description of animal	Age
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Time of death	Cause of death	Medical attention provided	How dead animal were disposed	Remarks
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

**THE SECOND SCHEDULE**

[See rule 6(3)]

**MINIMUM SPACE REQUIREMENTS****1. FOR BIRDS.—**

- (a) Birds shall be housed in large and spacious aviaries.
- (b) The aviaries shall be large enough to allow each bird full body extension, and wide enough to accommodate the fully stretched wings of all, and allow easy hopping, jumping, climbing and flight within the aviary.
- (c) Well-placed perches shall be provided within each aviary where the birds can stand upright without having head contact with any ceiling, and tail contact with the floor or grate, and for species such as finches and canaries that prefer flying or jumping to climbing, perches shall be positioned in a manner that allows the same.
- (d) Perches shall be strategically placed so as to prevent droppings from contaminating food and water vessels.
- (e) Birds that live in social groupings and are housed as such must have wooden nesting boxes constructed within the aviaries.

**2. FOR CATS.—**

- (a) The floor of the open enclosure or pen shall have a solid surface and should be large enough to enable all the occupants to exercise free movement and play.
- (b) Elevated resting surfaces must be provided for cats.
- (c) Matting must be provided.
- (d) Soft and clean play toys must be provided within the enclosure.
- (e) The space taken by the litter box shall not be included in the calculation of the total area.
- (f) Cats or kittens shall be kept in a room which is not shared by other, inimical animal species such as dogs.

**3. FOR DOGS.—**

Area (square feet)	Number of Animals		
	Small	Medium	Large
	(1-10 pound)	(11-20 pound)	(21-30 pound)
24	3	2	1
48	6	3	2
72	10	4	3

- (a) The floor of the open enclosure or pen shall have a solid surface and shall be large enough to enable all occupants to exercise free movement and play.
- (b) The height of the enclosure or pen shall be such that the dog or pup cannot escape.
- (c) Minimum height and space requirements for dogs weighing over thirty pounds shall be determined on an individual basis and shall be larger than the height and space specified above.

**4. FOR RABBITS.—**

Area (square feet)	Number of Animals		
	Small (less than 2 pound) expand)	Medium (2-4 pound)	Large (5-12 pound)
5	4	2	0
10	8	4	1
15	12	6	2

- (a) The minimum height of the primary enclosure shall be 48 inches.
- (b) The floor of the rabbit's primary enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings and it shall be solid surface such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface with arrangement for digging, chewing and playing.
- (c) Rabbits shall be kept in a room which is not shared by other, inimical animal species such as cats and dogs.

**(5) FOR GUINEA PIGS.—**

Area (square feet)	Number of Animals	
	Young (less than 350 grams)	Adult (above 350 grams)
5	5	2
10	10	4
15	15	6

- (a) The minimum height of the primary enclosure shall be 36 inches.
- (b) The floor of the guinea pigs' primary enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings and it shall be solid surface such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface.
- (c) Guinea pigs shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

---

**6. FOR HAMSTERS.—**

- (a) The area to be provided for each hamster must not be less than 1.5 square feet.
- (b) The minimum height of the primary enclosure shall be 36 inches for dwarf species. For all other hamsters species, the minimum height of the primary enclosure shall be 48 inches.
- (c) Hamsters and gerbils shall only be housed in primary enclosures with solid floor such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface and the floor of the hamster's primary enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings.
- (d) They shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

**7. FOR RATS.—**

- (a) The area to be provided for each rat shall not be less than 1.0 square foot.
- (b) The minimum height of the primary enclosure shall be 8 inches.
- (c) Rats shall only be housed in primary enclosures with mesh and have a mesh floor or wood shavings.
- (d) Minimum height and space requirements for rats over 500 grams in weight will be determined on an individual basis and shall be larger than the height and space specified above.
- (e) Rats shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

**8. FOR MICE.—**

- (a) The area provided for each mouse shall not be less than 1 square foot.
- (b) The minimum height of the primary enclosure shall be 6 inches.
- (c) Mice shall only be housed in primary enclosures with solid floor such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface and the floor of their enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings.
- (d) Mice shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

[F.No.1/1/2010-AWD (Pt)]  
MANJU PANDEY, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ ज्येष्ठ 2, 1939

No. 397]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/ JYAISTHA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

**सा.का.नि. 496(अ)**--भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 11 जनवरी, 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 19(अ), तारीख 11 जनवरी, 2017 द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 जनवरी, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं**--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "पशु कल्याण संगठन" से ऐसा कल्याण संगठन अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा पशुओं के लिए मान्यताप्राप्त है और जिसमें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण करने के लिए स्थापन और सोसाइटियों का विनियमन) नियम, 2001 के अधीन किसी जिले में स्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी भी सम्मिलित है ;



(ग) "प्रजनक" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो प्रजनन और श्वान तथा पिल्लों के विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट नस्लों के निजी श्वान रखता है और जिसमें श्वान गृह भोजन व्यवस्थापक प्रचालक, मध्यवर्गी संचालक और व्यापारी सम्मिलित हैं;

(घ) "श्वान गृह भोजन व्यवस्थापक प्रचालक" जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित है जहां श्वानगृह या किसी अन्य स्थापन में अस्थायी रूप से स्थानन के लिए पालतू श्वान और पिल्लों को रखा जाता है;

(ङ) "वाहक" से ऐसा कोई एयरलाइन, वायुयान, रेल पथ, मोटर वाहक, पोत परिवहन लाइन या अन्य उद्यम अभिप्रेत है जो किराए पर पशुओं के परिवहन के कारबार में लगा हुआ है;

(च) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है;

(छ) "श्वान" में पिल्ले सम्मिलित हैं;

(ज) "मध्यवर्ती प्रबंधक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो पशुओं की उनके विक्रय या क्रय के दौरान अंतरिम अभिरक्षा के लिए ग्रहण करता है,;

(झ) "निरीक्षक" से राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

परंतु कोई व्यक्ति, जो पालतू पशु दुकान का मालिक या प्रजनक है या रह चुका है या पालतू पशु दुकान मालिक या प्रजनक से संबंधित रहा है, इन नियमों के अधीन निरीक्षक के रूप में प्राधिकृत नहीं किया जाएगा;

(ञ) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ट) "व्यापारी" में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित है जो किसी प्रजनक या पालतू पशु की दुकानों से या अपने या उनकी अपनी प्रजनन सुविधा से या विक्रय के लिए आयातित या किसी अन्य रीति में प्राप्त किए गए श्वानों और पिल्लों का विक्रय करता है;

(ठ) "पालतू पशु दुकान" से ऐसा दुकान, स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसमें साप्ताहिक या अन्य बाजार में कोई दुकान, स्थान या परिसर सम्मिलित है जहां पालतू पशुओं को विक्रय किया जाता है या ठहराया या रखा या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या जहां कोई खुदरा या थोक कारबार जिसमें पालतू पशुओं का विक्रय या व्यापार किया जाता है, सम्मिलित है;

(ड) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण के लिए सोसाइटी (एस पी सी ए)" से इस अधिनियम के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण करने के लिए स्थापन और सोसाइटियों का विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एस पी सी ए अभिप्रेत है;

(ण) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो इनका उस अधिनियम में है।

**3. बिना रजिस्ट्रीकरण के श्वानों के प्रजनन का प्रतिषेध--**(1) कोई प्रजनक अपने श्वानों या रखे हुए श्वानों के प्रजनन के लिए और श्वानों तथा पिल्लों के विक्रय के लिए किसी प्रजनन क्रियाकलापों को नहीं करेगा और न ही जारी रखेगा जब तक प्रजनक ने प्रयुक्त किए जाने वाले या उसके द्वारा श्वानों के प्रजनन या प्रजनन के लिए रखे जाने के लिए आशयित स्थापन के संबंध में इन नियमों के अनुसरण में बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो।

(2) प्रत्येक प्रजनक स्थापन में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

(3) प्रत्येक प्रजनक अपने द्वारा प्रजनन के लिए या श्वानों के प्रजनन कराने के लिए या विक्रय के लिए प्रयुक्त स्थापन को राज्य बोर्ड द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखेगा।

**4. प्रजनक और स्थापन का रजिस्ट्रीकरण--**(1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रजनक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि,-

(क) व्यक्ति की दशा में, उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो और स्वस्थ चित्त हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संविदा करने के लिए निरर्हित न हो; और

(ख) किसी अन्य दशा में, व्यक्ति, निगम, कंपनी या व्यक्तियों का संघ है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।

(2) प्रयुक्त प्रजनन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जो उसके द्वारा प्रजनन या प्रजनन के लिए रखे श्वानों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के आशय से स्थापन के संबंध में है, पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप-I में, उससे अपेक्षित सभी सूचनाओं को देते हुए और पांच हजार रुपये के गैर-प्रतिदाय वाली शुल्क सहित राज्य बोर्ड को करेगा।

(3) प्रजनक से श्वानों के प्रजनन या श्वानों की प्रजनन के लिए रखे जाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने से आशयित प्रत्येक स्थापन के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन करना अपेक्षित होगा।

(4) राज्य बोर्ड, उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रजनक के स्थापन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि और पशु चिकित्सा व्यवसायी सहित एक टीम द्वारा निरीक्षण कराएगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट टीम निरीक्षण के पश्चात् राज्य बोर्ड को टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और समाधान होने पर कि प्रजनक और स्थापन इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो उस स्थापन और पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप-II में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्रजनक को रजिस्टर करेगा। तथापि, राज्य बोर्ड स्थापन में उपलब्ध स्थान सुविधाओं और जनशक्तियों को ध्यान में रखते हुए अतिभीड़ से बचने के लिए प्रत्येक श्वान प्रजनन स्थापन के लिए न्यूनतम हैसियत धारिता नियत करेगा।

(7) राज्य बोर्ड, किसी स्थापन के संबंध में रजिस्टर नहीं करेगा, यदि,-

(क) प्रजनक द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना असत्य पाई जाती है या आवेदन में सार रूप से और जानबूझ कर असत्य कथन किया गया है या राज्य बोर्ड को मिथ्याकृत या गढ़े हुए अभिलेख प्रदान किए गए हैं; या

(ख) प्रजनक रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अधिनियम या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है; या

(ग) प्रजनक निरीक्षण टीम को स्थापन के खुले और निर्बाध निरीक्षण के लिए अनुमति नहीं देता है; या

(घ) प्रजनक नियम 6 के अधीन अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

(8) जहां राज्य बोर्ड प्रजनक को उसके स्थापन के संबंध में रजिस्टर नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य बोर्ड उसके कारणों को प्रजनक को लिखित में सूचित करेगा।

(9) राज्य बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और राज्य बोर्ड को पांच हजार रुपये की फीस के साथ किए गए आवेदन पर उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

(10) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा।

(11) ऐसे स्थापनों को, जो पशुओं पर प्रयोगों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट, समिति के साथ रजिस्ट्रीकृत है और जो पशुओं पर प्रयोग, उनके प्रजनन और व्यापार के प्रयोजन के लिए पशुओं पर प्रयोग और उनके प्रजनन (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के कार्यक्षेत्र के अधीन आते हैं, उपरोक्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त होगी।

**5. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण--**(1) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम तीस दिन पहले पहली अनुसूची में संलग्न प्ररूप-I में राज्य बोर्ड को करेगा और नियम 4 के उपबंध परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) राज्य बोर्ड, स्थापन के संबंध में प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण नहीं करेगा जब तक राज्य बोर्ड टीम की रिपोर्ट पर विचार कर समाधान कर लेता है कि प्रजनक और स्थापन नियम 6 और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है।

**6. प्रजनक और प्रजनन के लिए रखे गए श्वानों या प्रजनन के लिए प्रयुक्त स्थान द्वारा अपेक्षाओं का पूरा किया जाना--**प्रजनक दूसरी अनुसूची में बताए गए मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

**7. स्थापनों का निरीक्षण--**(1) राज्य बोर्ड, शिकायत के प्राप्त होने पर या किसी अन्य कारण से प्रजनक के किसी स्थापन का, इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करा सकेगा।

(2) निरीक्षक को, अपना प्राधिकार प्रस्तुत करने पर,--

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर स्थापन में प्रवेश और स्थापन में सभी क्षेत्रों पर पहुंच कर तथा सभी पशुओं और अभिलेख क्या इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, को विनिश्चित करने की,

(ख) चित्र लेने, वीडियो रिकार्ड करने, और अभिलेखों की प्रतियां बनाने की, शक्ति होगी।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक का स्थापन प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षक, राज्य बोर्ड को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि राज्य बोर्ड, उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह विचार रखता है कि इन नियमों की किसी अपेक्षा का प्रजनक द्वारा उल्लंघन किया गया है तो प्रजनक रिपोर्ट की प्रति देने के पश्चात् कारण बताने का अवसर देता है, उसके स्थापन की बाबत प्रजनक का रजिस्ट्रेशन अप्रतिसंहत कर देगा और उसके कारण लिखित में उसको सूचित करेगा।

#### 8. विक्रय के लिए शर्त--(1) प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) आठ सप्ताह से कम आयु के पिल्ले न विक्रय किए जाएं ;

(ख) छह मास से अधिक आयु के श्वान बिना प्रथम विसंक्रमित किए नहीं बेचे जाएं जब तक कि वे दूसरे अनुज्ञप्ति धारक प्रजनक को नहीं बेचे जाने हैं ;

(ग) श्वान और पिल्ले परीक्षण में प्रयोग के लिए नहीं बेचे जाएं जब तक कि क्रयकर्ता अधिनियम की धारा 15 के अधीन गठित पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति से रजिस्ट्रीकृत न हो ;

परंतु क्रेता द्वारा केवल ऐसी प्रसुविधा को ही किया जाएगा, जो पशुओं पर प्रयोगों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन संबंधी समिति से रजिस्ट्रीकृत हो ;

(घ) केवल अच्छे स्वास्थ्य में श्वान, जिन्हें चिकित्सीय टीके लगाए जा चुके हैं, ही विक्रय किए जाएंगे ;

(ङ) प्रत्येक विक्रीत पिल्ले माइक्रोचिप युक्त है और उपचार और टीका दिए जाने का पूरा अभिलेख रखा जाए ;

(च) तुरंत विक्रय के प्रयोजन के लिए लोक स्थानों में पिल्ले प्रदर्शित न किए जाएं ; और

(छ) प्रत्येक क्रेता को विक्रय की रसीद दी जाए और उसकी प्रति विक्रीत पिल्ले के माइक्रोचिप संख्या और विक्रयकर्ता के नाम तथा फोन संख्या सहित रखी जाए।

(2) प्रजनक क्रेता को पोषण के ब्यौरे, टीकाकरण की तारीख और पिल्लों में विकृमिकरण तथा पशु चिकित्सा व्यवसायी जिसने उसका उपचार किया है, का नाम और पता लिखित में देगा।

(3) प्रत्येक प्रजनक संभावित क्रेताओं की नस्ल की उचित देखभाल करने की संभावना को, विशेषकर कोई बड़ी संभावना हो, उसकी देखभाल, समाजिकीकरण, स्थानिक और पशु चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता तथा उसके रखरखाव और भरणपोषण के लिए खर्च को वहन करने की क्षमता को अभिनिश्चित करने के लिए जांच परख करेगा।

(4) कोई प्रजनक बिना किसी अनुज्ञप्ति के पालतू पशु दुकान चलाने वाले को विक्रय नहीं करेगा या कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगा, जो किसी अन्य विधि के उल्लंघन में है।

(5) प्रजनक उत्पादित और विक्रीत सभी पिल्लों का ध्यान रखेगा और यह प्रजनक का दायित्व होगा कि उनकी प्रगति और उसके द्वारा बेचे सभी श्वानों के स्वास्थ्य की दशा का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार जानकारी प्राप्त करें।

(6) प्रत्येक प्रजनक छह मास की अवधि में विक्रीत न हुए पिल्ले को पुनर्वास बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संगठन के माध्यम से पुनर्वास करेगा।

9. अभिलेख--(1) प्रत्येक प्रजनक स्थापन में रखे सभी पशुओं, जिसके अंतर्गत प्रजनन के लिए रखे श्वान और विक्रय के लिए श्वान तथा निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले श्वान भी सम्मिलित हैं, के अभिलेख पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप III में रखेगा।

(2) प्रत्येक प्रजनक हर श्वान दोनों तर और मादा का अभिलेख जिसमें निम्नलिखित सूचना भी सम्मिलित है, रखेगा, अर्थात् :-

(क) प्रजनन ;

(ख) नाम और संख्या (या लिटर सं.) ;

(ग) माइक्रोचिप सं. ;

(घ) लिंग, रंग और निशान ;

(ङ) जन्म की तारीख ;

- (च) नाम और प्रजनक और मादा का माइक्रोचिप सं. ;
- (छ) प्रजनक का नाम जिससे अर्जित किया गया है (जहां लागू हो) ;
- (ज) व्यक्ति का नाम और पता, जिससे सीधे अर्जित किया गया है (जहां लागू हो) ;
- (झ) अर्जित करने की तारीख ;
- (ञ) पट्टे की तारीख और अवधि, यदि कोई हो ;
- (ट) संगम की तारीख और स्थान ;
- (ठ) संगम करने वाले व्यक्ति के नाम ;
- (ड) श्वान का नाम और सं., जिसमें माइक्रोचिप सं., जिससे संगम हुआ सहित ;
- (ढ) मालिक का नाम और पता (जहां लागू हो) ;
- (ण) ब्याने की तारीख ;
- (त) ब्याहे पिल्लों की संख्या, लिंग, रंग और निशान (थ) ब्याने का रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो ;
- (द) विक्रय की तारीख, प्रत्येक पिल्ले की मृत्यु या पुनर्वास वर्णन सहित ;
- (ध) क्रेता का नाम और पता ;
- (न) स्थापन में मृत प्रत्येक श्वान का पशु चिकित्सक द्वारा यथा अवधारित मृत्यु का कारण ; और
- (प) कोई अन्य सूचना, जो बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा सुसंगत हो ।

(3) प्रत्येक प्रजनक, विक्रय दस्तावेज, पट्टा बंदोबस्त, अण्डग्रन्थ्युच्छेदन या अकर्मक संविदाओं और श्वानों और पहली अनुसूची से संलग्नक प्ररूप-IV में उनके स्थापन में श्वानों से युक्त किसी अन्य संविदाओं का उपयोग स्पष्ट और संक्षिप्त में करेगा ।

(4) प्रत्येक प्रजनक प्रत्येक श्वान का पहली अनुसूची से संलग्नक प्ररूप-V में अलग-अलग टीकाकरण के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सीय अभिलेख रखेगा, चाहे वह नर या मादा हो तथा प्रत्येक छोटे श्वान या पिल्ले के, जो बेचा जाएगा, अभिलेख की प्रति क्रेता को प्रदान की जाएगी ।

(5) इन नियमों के अधीन प्रजनक द्वारा रखे सभी अभिलेख कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे जब तक कि राज्य बोर्ड अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अधिक अवधि के लिए अभिलेख रखने के लिए लिखित में निर्देश न दे ।

**10. अपील--**(1) राज्य बोर्ड के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई प्रजनक विनिश्चय की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सचिव, राज्य पशु पालन विभाग को अपील करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सचिव, प्रजनक और राज्य बोर्ड को सूचना देने के पश्चात् पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अपील को, कारणों को अभिलिखित करके, मंजूर या नामंजूर करेगा तथा प्रजनक और राज्य बोर्ड को संसूचित करेगा ।

(3) यदि अपील की सुनवाई एक बार में कर ली जाती है और उसे नामंजूर करने पर प्रजनक स्थापन में सभी श्वानों की आयु छह मास से अधिक हो जाती है तो उन्हें किसी पशु जन्म नियंत्रक सुविधा पर बधिया (नपुंसक) कर दिया जाएगा और ऐसे सभी पिल्ले की, जिनकी आयु छह मास से कम है, उन्हें अंगीकरण के लिए पशु कल्याण संगठन को भेज दिया जाएगा, जिसका अभिलेख राज्य बोर्ड को भेजा जाएगा ।

**11. प्रजनक द्वारा रिपोर्ट--**(1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक प्रजनक,--

(क) प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें कुल बेचे गए, व्यापार किए गए, बदले गए, दिए गए, पूर्व वर्ष के दौरान रखे गए या प्रदर्शित किए गए पशुओं की संख्या होगी ;

(ख) राज्य बोर्ड को, ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिसकी राज्य बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षा की जाए ;

(2) राज्य बोर्ड, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक समेकित रिपोर्ट, जिसमें पूर्व वर्ष में कुल विक्रीत, व्यापार किए गए, बदले गए, दलाली किए गए, दिए गए, रखे गए या प्रदर्शित किए गए पशुओं की संख्या होगी और ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

**12. इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक की मृत्यु का प्रभाव--**इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक की दशा में रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से पहले मृत्यु होने पर स्थापन की बाबत रजिस्ट्रीकरण उस स्थापन की बाबत उसके विधिक

उत्तराधिकारियों को प्रदान कर दिया जाएगा और प्रजनक की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि के अंत तक प्रभावी रहेगा और उसके पश्चात् स्थापन की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन इन नियमों के अनुसार स्थापन को जारी रखने के लिए करेगा।

**13. रजिस्ट्रीकरण के बिना अनुज्ञप्ति नहीं**--प्रजनन के लिए प्रजनन करने या रखे जाने वाले श्वानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले या किए जाने से आशयित स्थापन को स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि प्रजनक ने राज्य बोर्ड से इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।

### पहली अनुसूची

[नियम 4(2) और नियम 5(1) देखें]

#### प्रारूप I

#### किसी स्थापन की बाबत प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य पशु कल्याण बोर्ड,

-----

----- (राज्य का नाम)

**विषय- स्थापन के संबंध में प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।**

महोदय,

मैं/हम ..... नि. .... कार्यालय पते सहित ..... ) नीचे दी गई विधिष्ठियों के अनुसरण में ..... स्थापन की बाबत प्रजनक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :-

- (1) आवेदक (प्रजनक का नाम और पता :
- (2) स्थापन का नाम और पता :
- (3) दूरभाषा संख्या :
- (4) प्रस्तावित स्थापन पर उपलब्ध आवास और आधारभूत संरचना का व्यौरा :
- (5) कार्य दिवस और विश्राम दिवस जैसे जिस दिन स्थापन बंद रहेगा
- (6) संवातन व्यवस्था
- (7) प्रकश व्यवस्था :
- (8) उष्मण या शीतलन व्यवस्था और रीति जिसमें सभी पालतू पशुओं के लिए सहज तापमान रहे :
- (9) खाद्य भंडारण की व्यवस्था :
- (10) स्वच्छता, पशुओं के मलमूत्र और अवशिष्ट के हजाने की व्यवस्था कैसे रखी जाएगी :
- (11) मृत पशुओं के निस्तारण के लिए व्यवस्था :
- (12) चिकित्सीय और पशु चिकित्सीय सहायता :
- (13) स्थापन के प्रजनन के लिए प्रस्तावित श्वानों के व्यौरे :
  - (क) प्रत्येक नस्ल के श्वान की नस्ल और संख्या :
  - (ख) श्वान की आयु :
  - (ग) आवास और पिंजड़ों और वाडों की संख्या और आकार :
- (14) प्रजनन क्रियाकलापों के संबंध में आवेदक (प्रजनक) की अर्हता और अनुभव :

(15) फीस के भुगतान का विवरण अथवा चैक और डिमांड ड्राफ्ट संख्या और ब्यौरे :

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में अतिरिक्त ब्यौरे

(16) अर्जित और संगम कराए गए श्वानों के ब्यौरे :

क्र. सं.	श्वान की माइक्रोचिप सं.	अर्जन की तारीख	संगम की तारीख	किससे संगम कराया गया उसका माइक्रोचिप सं.	पैदा हुए पिल्ले (माइक्रोचिप सं.)

(17) मृत्यु, शव परीक्षण रिपोर्ट के कारणों सहित श्वानों और पिल्लों की संख्या और माइक्रोचिप संख्या :

(18) विक्रय किए गए श्वानों/पिल्लों के ब्यौरे :

क्र. सं.	विक्रय किए गए श्वान/पिल्ले (माइक्रोचिप सं.)	श्वान/पिल्लों की आयु	विक्रय की तारीख	विक्रय मूल्य	क्रेता का नाम, पता और दूरभाष सं.

(19) अविक्रीत पिल्लों की संख्या और उनके पुनर्वास की रीति :

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप II

[नियम 4(6) देखें]

### श्वान प्रजनन केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

- यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 में यथा विहित किसी श्वान प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के लिए .....(आवेदक का नाम और पता) को दिया गया है।
- प्रजनन केन्द्र का स्थान.....पर है।
- श्वान प्रजनन केन्द्र का स्वामी निम्नलिखित श्वान नस्लों को बढ़ावा देने के लिए अनुज्ञप्त है।
- श्वान प्रजनन केन्द्र का स्वामी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) और इसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के उपबंधों द्वारा पालन करेगा।
- श्वान प्रजनन केन्द्र का स्वामी पूर्वोक्त नियमों के नियम 11 के खंड (क) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 31 जनवरी से पहले अधोहस्ताक्षरी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दुकान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनंतरणीय है।
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.....तक विधिमान्य है और नवीकरण आवेदन इसके समाप्ति की तारीख से तीस दिन पहले प्रस्तुत करना होगा।

तारीख :

हस्ताक्षर और राज्य पशु कल्याण बोर्ड की मुद्रा

## प्ररूप III

[नियम 9(1) देखें]

श्वानों और पिल्लों के प्रजनक/प्रदायकर्ता का रजिस्टर

क्रम सं.	प्रजनक/प्रदायकर्ता का नाम और पता	फोन नंबर और ई-मेल	संव्यवहार की तारीख
1	2	3	4

श्वान नस्ल का वर्णन	पशु की आयु	टीके के ब्यौरे	स्थापन में श्वान के नस्ल
5	6	7	8

श्वान नस्ल के माइक्रो-चिप	टिप्पणियां
9	10

## प्ररूप IV

[नियम 9(3) देखें]

श्वानों / पिल्लों के विक्रय का रजिस्टर

क्रम सं.	क्रेता का नाम और पता	फोन नंबर	विक्रय रकम
1	2	3	4

विक्रीत श्वान का प्रकार						टिप्पणियां
प्रवर्ग या नस्ल	रंग	माइक्रो-चिप संख्या	लिंग	आयु	टीका	
5	6	7	8	9	10	11

## प्ररूप V

[नियम 9(4) देखें]

श्वानों / पिल्लों के स्वास्थ्य और चिकित्सीय अभिलेख का रजिस्टर

क्रम सं.	वह तारीख जिसको पशु पर टीका लगाया गया था	पशु का लिंग	पशु की आयु
1	2	3	4

ब्याने के ब्यौरे, यदि कोई हों	क्रय या अन्यथा व्ययन की तारीख	उपलब्ध चिकित्सीय ध्यान	मृत्यु की दशा में पशु को कैसे निपटाया गया था	टिप्पणियां
5	6	7	8	9

## दूसरी अनुसूची

[नियम 5(2) और नियम 6 देखें]

## भाग 1

प्रजनक द्वारा स्थापन में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

1. उचित श्वान-घर या निवास स्थान – श्वान, हमेशा उचित श्वान-घर या निवास स्थान में सभी संदर्भों में उपर्युक्त रीति में रखे जाएंगे, जहां सन्निर्माण, आकार, श्वानों की संख्या, व्यायाम सुविधाएं, उचित तापमान, प्रकाश, संवातन और सफाई हो।

2. पर्याप्त गृह – (1) पर्याप्त गृह जिसमें स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, कठोर मौसम से संरक्षण, उचित संवातन और समुचित स्थान उपलब्ध होगा।

(2) सभी आवास अपारगम्य सामग्री से बने होंगे जिसको स्वच्छ किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए काष्ठ का उपयोग नहीं किया जाएगा।

3. आंतरिक आवास सुविधा – संस्थापन में आंतरिक आवास सुविधा के साथ पर्यावरण नियंत्रण, आवासन या श्वान घर से आशयित है और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अर्थात् :-

(i) यह कोठार या भवन में पूर्णतया संबद्ध दौड़ या बाड़ा से मिलकर या पूर्णतया संबद्ध भवन के अंतर्गत संलग्नित भीतर या बाहर दौड़ या बाड़ा से मिलकर बन सकेगा ;

(ii) उस प्रजाति को जिसके लिए परिसीमा निर्धारित की गई है वह गृह या संरचना तापमान भवन के अंदर, पशु की उम्र, आर्द्रता का स्तर बनाए रखने के लिए तथा गृह के अंदर शीघ्रता से दुर्गन्ध को हटाने के सक्षम होगा ;

(iii) एक इसकी अपारगम्य सतह होगी। अपारगम्य सतह से ऐसी सतह अभिप्रेत से है जो किसी तरल पदार्थ का अवशोषण अनुज्ञात नहीं करती है ;

(iv) यह एक ऐसा बाड़ा होगा जो अनवरत छत, फर्श और दीवारों से संयोजित होते हुए निर्मित होगा ;

(v) इसमें कम से कम एक प्रवेश और निकास होगा जो खोला और बंद किया जा सकता हो, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध हो, जो एक पारदर्शक पदार्थ जैसे, कांच या कठोर प्लास्टिक से आच्छादित होगा।

4. श्वानों की देखरेख और अनुरक्षण – श्वानों को निम्नलिखित प्रदाय किया जाएगा –

(क) उचित अंतरालों में जो आठ घंटे से अधिक का नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद भोजन और जो उस प्रजाति या उम्र के लिए पर्याप्त हो तथा प्रत्येक पशु के युक्तियुक्त पोषण स्तर बनाए रखे के लिए पर्याप्त हो तथा सुरक्षित पात्र, थाली या आधान में परोसा जाए; या

(ख) सुरक्षित पात्र, थाली या आधार में ताजा, स्वच्छ पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति और प्रत्येक समय उपलब्ध होगा ; और

(ग) समुचित अभ्यास के लिए एक बाड़ायुक्त क्षेत्र या पट्टे के साथ कुत्ते के अभ्यास की व्यवस्था होगी।

## भाग 2

प्रजनकों द्वारा पालन की जाने वाली अपेक्षाएं

5. प्रजनन संबंधी अपेक्षाएं – (1) प्रजनक प्रत्युत्पादन, पोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य और देखभाल, आरंभिक व्यवहार विकास और प्रजनन आचार का जानकार होगा।



(2) केवल सामान्य, स्वस्थ, परिपक्व श्वान जो अठारह मास की हो गई हो, संवर्धित किया जाएगा तथा संवर्धन से कम से कम दस दिन पूर्व उसके स्वास्थ्य को किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(3) किसी मादा श्वान को लगातार दो प्रजनन काल में बच्चे देने के लिए शोषित नहीं किया जाएगा।

(4) किसी मादा श्वान का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा कि वे पिछले पिल्लों को जन्म देने के दिन के पश्चात् बारह मास पूर्व पिल्लों को जन्म दे।

(5) एक वर्ष में केवल एक ही बार पिल्ले पैदा करेगी। कृत्रिम या अप्रकृतिक तकनीकों अर्थात् कृत्रिम गर्भाधान और बलात्संग से ठहराव श्वानों में गर्भाधान कराने का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(6) किसी मादा श्वान को इस बात के लिए शोषित नहीं किया जाएगा कि वह अपने जीवनकाल के दौरान पांच बार पिल्ले पैदा करे।

(7) श्वान को प्रजनन के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वस्थ, परिपक्वता और अठारह वर्ष की उम्र पूर्ण न कर ले तथा सहवास से कम से कम दस दिन पूर्व उसके स्वास्थ्य को पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

6. सामान्य प्रजनन तकनीक – (1) प्रजनन निम्नलिखित चार सामान्य प्रजनन तकनीक के जानकार हों, अर्थात् :-

(i) बाह्य प्रजनन ;

(ii) श्रेणी प्रजनन ;

(iii) अंतः प्रजनन ; और

(iv) अगम्यागमन प्रजनन।

(2) पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित दो प्रजनन तकनीकों को इस नियम के अधीन अनुमति और स्वीकृति प्रदान की गई है, अर्थात् :-

(i) बाह्य प्रजनन – श्वानों का संसर्ग, जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है; और

(ii) श्रेणी प्रजनन – श्वानों के मध्य संसर्ग, जो एक दूसरे से सीमांत रूप से संबंधित हों और ऐसे मामले में श्वानों को उनके विशेष गुण के लिए चुना जाता है।

(3) निम्नलिखित दो संसर्ग तकनीक की अनुज्ञात नहीं है और इन नियमों के अधीन प्रतिबंधित किया गया है –

(i) अंतः प्रजनन – श्वानों के मध्य संसर्ग, जो संबंधित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों ओर से प्रजनक या प्रजनिका में से कम से कम कोई एक पूर्वज हो। प्रजनन में प्रथम चार पीढ़ियों के भीतर सीधी और पार्श्व पंक्ति में द्वितीय से चतुर्थ श्रेणी के बीच संबंधित हों जैसे चाचा और भतीजी, भतीजा और चाची, चचेरा भाई बहन, पितामह पितामही से पौत्र पौत्री तक।

(ii) सगोत्र प्रजनन – माता पिता और बच्चे या भाई और बहन के बीच संसर्ग, जैसे प्रथम श्रेणी के संबंधी। सगोत्र प्रजनन साथ ही साथ सतत् अंतः प्रजनन और श्रेणी प्रजनन जोखिमयुक्त है, जो वंशानुगत रोगों के खतरे को बढ़ाता है।

(4) मादा श्वान आठ वर्ष की उम्र के पश्चात् संसर्ग नहीं करेगी।

(5) प्रत्येक प्रजनक, पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मादा श्वान या प्रजनन उम्र का प्रमाण देगा।

(6) प्रत्येक प्रजनक एक बार के पिल्ले का एक पूर्ण अभिलेख रखेगा जो श्वान या मादा श्वान से पूर्वतः उत्पादित और एक बार के पिल्ले से संबंधित अन्य विवरण होगा।

(7) प्रत्येक प्रजनन करने वाली मादा श्वान को संसर्ग से पूर्व उसके टीकाकरण वर्धकों और कृमिरहित करके अद्यतन रखा जाएगा।

(8) पिल्ले का पूंछ काटना, कान काटना या किसी अन्य प्रकार का अंग-विच्छेद और कृत्रिम साधनों द्वारा किसी प्रकटन का परिवर्तन कठोरता से निषिद्ध होगा।

(9) श्वानों या अनोखे दिखने वाले नस्लों का प्रजनन सर्वदा प्रतिषिद्ध होगा।

## भाग 3

## स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं

7. स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं – प्रत्येक श्वान को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा और सभी सामाजिक अवसरों, टीकाकरण और स्वच्छता जो अधिकतम मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए अधिकतम आवश्यक हों, उपलब्ध किया जाएगा।

8. पशु चिकित्सा देखरेख – (1) प्रत्येक प्रजनक के पास परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं आपात चिकित्सा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगी और उसके भ्रमणों के अभिलेखों को लिखित में रखा जाएगा।

(2) परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी आवधिक रूप से स्थापन का नियमित अंतरालों पर भ्रमण करेगा और स्थापन में प्रत्येक श्वान की चिकित्सा जांच प्रत्येक मास कम से कम एक बार की जाएगी और प्रजनिक द्वारा उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) 8 सप्ताह से अधिक आयु के या मुक्त किए गए या किसी चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा उपचार किए गए सभी जानवरों का, चाहे इनमें से जो भी पहले हुआ हो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेख रखा जाएगा।

(4) दिए गए बच्चों के स्वास्थ्य अभिलेखों को बच्चों के लिए तब रखा जाएगा जब बच्चों के जोड़ों का उपचार समान औषधियों या प्रक्रिया से किया जाता है और स्वास्थ्य अभिलेख (या उसकी प्रति) स्वामित्व अंतरण पर सभी जानवरों के साथ होगी।

(5) प्रत्येक श्वान के स्वास्थ्य और उसकी देखभाल का पता लगाने के लिए प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि दैनिक परीक्षण किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या किसी परा-पशु चिकित्सक द्वारा किया जाए यदि प्रत्यक्ष और निरंतर संचार का एक तंत्र स्थापित किया जाता है तो पशु स्वास्थ्य, व्यवहार और देखभाल की समस्याओं पर समयबद्ध और सटीक सूचना का सलाहकार पशु चिकित्सा व्यवसायी को संप्रेषण किया जा सके।

(6) पशु देख-रेख में सम्मिलित कार्मिकों के पर्याप्त प्रशिक्षण और मार्ग दर्शन के लिए जिसके अंतर्गत प्राणियों का दैनिक संप्रेक्षक है की अपेक्षा हो तो प्रजनक केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित स्तर पर कार्य कर सकें।

(7) यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी स्थापन को भ्रमण के प्रक्रम के दौरान या राज्य बोर्ड द्वारा उस ओर उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर यह पाता है कि प्रजनक श्वान से कोई पशु संक्रामक संचारी या संसर्गज रोग से पीड़ित है या वह किसी रोग से पीड़ित है तो पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उस स्थापन को तब तक एक संगरोध जारी किया जा सकेगा जब तक कि पशु-

(i) ठीक नहीं हो जाते हैं और रोग को पारेषित करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं; या

(ii) उन्हें अलग नहीं कर दिया जाता है; या

(iii) उनकी जांच नहीं कर दी जाती है, टीकाकरण नहीं किया जाता है या अन्यथा उपचार नहीं किया जाता है; या

(iv) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मानवीय रूप से उनकी मृत्यु कारित नहीं की जाती है और समुचित रूप से उनका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(8) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी संगरोध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में निर्मुक्त नहीं कर दिया जाता और ऐसे संगरोध के विषय में जारी सूचना पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार के पशु पालन विभाग और राज्य बोर्ड को लिखित में प्रदान नहीं कर दी जाती है।

(9) सभी पिल्लों का टीकाकरण किया जाएगा जो सात-आठ सप्ताह की आयु पर प्रारंभ किया जा सकता है और जिसे प्रायिक रूप से अठारह सप्ताह की आयु तक पूरा कर लिया जाता है।

(10) श्वान की आनुवांशिक खामियों के लिए जांच की जाएगी जिसके अंतर्गत हिप डिस्कलेशिया, प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी, रात्रिअंधता, हाइपोथाइरोइडिज्म, एंट्रोपियोन, एक्ट्रोपियोन, ओवरशोट, अंडरशोट जॉ (जब कृतक एक-दूसरे को नहीं छूते या फंसते हैं), राई माउथ, दो या उससे अधिक दांतों का न होना, एकतरफा क्रिप्टोरकिड या पूर्णतया क्रिप्टोरकिड मेल्स

**9. सहजमृत्यु—** श्वानों को सहज मृत्यु केवल इस कारण से नहीं दी जाएगी कि वे अब प्रजनन नहीं कर सकते या उनका विक्रय नहीं किया जा सकता और इसलिए वाणिज्यिक रूप से वे लाभप्रद नहीं रहे हैं और घातक रूप से बीमार या मरणांत रोग से ग्रस्त पशुओं संबंधी सभी सहज मृत्यु, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् या राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित रीति और पद्धति के माध्यम से कारित की जाएगी तथा ऐसे सभी पशुओं, जिन्हें सहज मृत्यु दी गई है, शव परीक्षण रिपोर्ट सहित अभिलेख रखे जाएंगे तथा सभी कंकालों को, जिनके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत हुए पशुओं के कंकाल भी है, भस्म किया जाना चाहिए और उनका विक्रय नहीं किया जाएगा।

## भाग 4

## कुत्तों के आवास के लिए आवास सुविधा और रीति

**10. संरचना और संनिर्माण-** (1) श्वानों के लिए आवास सुविधाएं संरचनात्मक रूप से ठोस होंगी और पशुओं को सुरक्षित रूप से रखने के लिए अच्छी मरम्मत में रखी जाएंगी और उसमें अन्य पशुओं का प्रवेश निर्विधित होगा।

(2) आवास सुविधाओं के भीतर के क्षेत्र को स्वच्छ और खलबली से मुक्त रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत उपस्कर, फर्नीचर और भंडारण सामग्री भी हैं, किन्तु उसके अंतर्गत क्षेत्र और समुचित पशुपालन पद्धति के लिए आवश्यक फिक्चर या उपस्कर को साफ करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयुक्त और आवश्यक सामग्री हो सकेगी।

(3) आवास सुविधाओं को प्रकृति के अनुसार किसी अन्य कारबार से पृथक् रखा जाएगा।

(4) आवास सुविधा में सभी सतह और अन्य सभी निर्माण ऐसे होंगे, जिनमें वे सहज रूप से साफ और स्वच्छ रहें या जब फटे या मैले होने पर उन्हें हटा दिया गया हो या बदल दिया गया हो।

(5) वहां पर ऐसे कांटेदार कोर या नुकीले नोक नहीं होंगे, जो पशुओं को क्षति पहुंचाए।

(6) अंतरंग आवास सुविधाओं की छतें नमी से अप्रभावित होंगी।

**11. भंडारण सुविधाएं -** (1) खाद्य और शय्या की पूर्ति को पशु क्षेत्र से बाहर और ऐसी रीति में भंडारित किया जाएगा, जो पूर्ति को रद्दी से संरक्षित रखे।

(2) पूर्ति को फर्श और दीवार से अलग, किसी पूर्ति को उनके नीचे और आसपास से स्वच्छ रखने के लिए, भंडारित किया जाएगा।

(3) प्रशोधन की अपेक्षा वाले खाद्य का भंडार तदनुसार किया जाना चाहिए और सभी खाद्यों का ऐसी रीति में भंडार किया जाना चाहिए जिससे उसकी पोषक उपयोगिता को संदूषण और क्षय से रोका जा सके।

(4) खाद्य और शय्या की सभी खुली पूर्तियों को कसकर फिट किए गए ढक्कनों वाले रिसाव अभेद्य पात्रों में, जिससे उसको संदूषण और रद्दी से रोका जा सके और केवल ऐसे खाद्य और शय्या को ही पशु क्षेत्रों में रखा जाए, जिसका उसी समय उपयोग किया जाता हो।

**12. सफाई-** (1) ऐसी कठोर सतहों की, जिसके संपर्क में श्वान आते हैं, दैनिक स्थल सफाई और स्वच्छता की जाएगी।

(2) वहां मल-मूत्र का कोई संचयन नहीं होगा और रेत, बजरी, घास या अन्य समान सामग्री से बनी फर्शों को पर्याप्त बारम्बारता के साथ खुरचा हुआ और स्थल-साफ रखा जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पशु मल-मूत्र के संपर्क में आने से बचने के लिए मुक्त हैं।

**13. जल निकास और अपशिष्ट व्ययन-** (1) नियमित अपशिष्ट व्ययन, पशु और खाद्य अपशिष्ट, त्यक्त शय्या, मलबा, कूड़ा, जल, अन्य तरल और अपशिष्टों को हटाने और व्ययन की व्यवस्था की जाएगी।

(2) आवास सुविधाएं ऐसी व्ययन सुविधाओं और जल निकास प्रणाली से सुसज्जित होंगी जो पशु अपशिष्ट और जल के शीघ्र समाप्ति को सुनिश्चित करे और यदि बंद जल निकास प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो वह जाल से सुसज्जित होंगी, जो गैस मल के फर्श पर वापसी प्रवाह को रोक दे।

(3) पशु बाड़ों और पार्श्वस्थ क्षेत्रों में जल के स्थायी कीचड़ की जल निकासी की जाएगी और पोछा जाएगा, जिससे पशु शुष्क रह सकें।

(4) आवास सुविधाओं, खाद्य भंडारण और खाद्य निर्मित क्षेत्रों में कचरे के पात्र, रिसाव अभेद्य होंगे और सभी समयों पर कसकर फिट किए हुए ढक्कनों के साथ रखे जाएंगे।

**14. जल और विद्युत -** आवास सुविधा में विश्वसनीय और पर्याप्त विद्युत पूर्ति जिसके अंतर्गत विद्युतबंदी समय की दशा में आपातपयोगी व्यवस्था भी है और पशुओं की पेय आवश्यकताओं, सफाई और अन्य पशुपालन की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त चालू पेयजल होगा।

**15. परिवेशी और सुखद तापमान-** (1) पशुओं के लिए अंतरंग आवास सुविधा के भीतर तापमान इस प्रकार परिवेशी और सुखद होगा, जो उसमें रखे गए श्वानों की नस्ल पर निर्भर है।

(2) तापमान ऐसा होगा जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए व्यवस्थित हो।

**16. संवातन -** (1) श्वानों वाली अंतरंग आवास सुविधाओं में खिड़कियों, द्वारों, हवाकश या वातानुकूलन के साधनों द्वारा पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(2) हवा का फैलाव पंखों, धोकनियों और वातानुकूलन द्वारा किया जाएगा, जिससे कूड़ा-करकट, गंध और नमी संघनन को कम किया जा सके।

**17. प्रकाश -** (1) पशुओं के लिए अंतरंग आवास सुविधा, नित्य निरीक्षण और सुविधा की सफाई तथा पशुओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकाशित होंगी।

(2) प्रारंभिक बाड़े इस प्रकार रखे जाएंगे, जिससे पशुओं की अत्यधिक प्रकाश से संरक्षा की जा सके।

**18. रसायन** – (1) सामान्य पशुपालन पद्धति, सफाई, विसंक्रामण और इसी प्रकार के लिए प्रयुक्त रसायन, जो पशुओं के विपैले हों, को खाद्य भंडारण या खाद्य निर्मित क्षेत्रों में भंडारित नहीं किया जाएगा किन्तु उन्हें पशु क्षेत्रों में पार्श्वस्थ कमरों में या सुरक्षित पेटिकाओं में भंडारित किया जा सकेगा।

(2) सभी रसायनों पर स्पष्ट लेबल लगा होगा।

**19. ओषधि-** (1) सभी ओषधियों को साफ, धूल निर्बद्धित पात्रों में ठीक प्रकार से फिट किए गए द्वारों सहित या ठीक प्रकार से बंद किए गए ढक्कनों सहित अन्य उपयुक्त पात्रों में भंडारित किया जाएगा।

(2) सभी ओषधियों पर स्पष्ट चिह्नांकन या लेबल लगा होगा।

(3) विनिर्माता का लेबल, जिसके अंतर्गत समाप्ति की तारीख भी है, को हटाया या विरूपित नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसी ओषधियों को ही, जैसे डुबाने और साफ करने वाली और व्यय, जिन पर ऊपरी उपयोग का चिह्न लगा है, उसी पेटिका में भंडारित किया जा सकेगा किन्तु उन्हें प्रकृति के अनुसार अन्य ओषधियों से पृथक् रखा जाएगा।

**20. अग्नि का पता लगाना और अग्निशामक** - सभी अंतरंग आवास सुविधाएं और छतदार आवास सुविधाएं, अंतरंग भागों में समुचित रूप से अनुरक्षित, धूम्र या ताप खोज युक्तियों और अग्निशामकों से सुसज्जित होंगी।

**21. बहिरंग आवास सुविधाएं** – (1) श्वानों के निम्नलिखित प्रवर्गों को तब तक बहिरंग सुविधाओं में नहीं रखा जाएगा, जब तक उस पद्धति को उनकी देखभाल करने वाले पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विनिर्दिष्टतया लिखित में अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो-

- (i) ऐसे श्वान, जो प्रसंगत क्षेत्र में विद्यमान तापमान के अभ्यस्त नहीं हैं;
- (ii) श्वान की ऐसी नस्ल, जो प्रसंगत क्षेत्र में विद्यमान तापमान को सहन नहीं कर सकते, जैसे उच्च तापमान स्थानों में लंबे बालों वाली नस्ले; और
- (iii) बीमारी, अंग शैथिल्य, वृद्ध या अल्पवय पशु।

(2) श्वानों के लिए बहिरंग सुविधाओं के अंतर्गत छतवाली एक या अधिक संरचनाएं हैं, जैसे एक या अधिक आश्रय, जिन तक प्रत्येक बहिरंग सुविधा प्रत्येक पशु की पहुंच हो और जो संरचना के भीतर प्रत्येक पशु को सामान्य रीति में बैठने, खड़ा होने और लेटने तथा मुक्त रूप से घूमने के लिए पर्याप्त हो और इसके अतिरिक्त सभी पशुओं को एक साथ रखने और उन्हें सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों से संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त रूप से वृहत्त छाया के एक या अधिक पृथक् बाहरी क्षेत्रों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) पशुओं के लिए बहिरंग सुविधाओं के आश्रयों में छत, चार ढाल और फर्श होगी तथा-

- (i) पशु को ताप और शीत से पर्याप्त संरक्षण और आश्रय प्रदान किया जाएगा;
- (ii) पशु को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों से तथा हवा, वर्षा, बर्फ या अन्य वृष्टिपात से संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(4) पशुओं के लिए प्रारंभिक बाड़ों में निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा--

- (क) प्रारंभिक बाड़े उपयुक्त सामग्री से संनिर्मित होंगे और संरचनात्मक रूप से ठोस होंगे;
- (ख) उन्हें अच्छी मरम्मत में रखा जाएगा;
- (ग) उनमें कोई नुकीले या कोर नोक नहीं होंगे, जिससे पशु को क्षति हो सके;
- (घ) वे ऐसे होंगे, जो पशु को सुरक्षित रखें और बाड़े में अन्य पशुओं के प्रवेश को रोकें;
- (ङ) पशु को शुष्क और साफ रहने में समर्थ बनाएं;
- (च) अत्यधिक ताप और मौसम स्थिति से आश्रय और संरक्षण प्रदान करें, जो पशु के लिए असुविधाजनक या परिसंकटमय हो;
- (छ) प्रारंभिक बाड़े में एक ही समय रखे गए सभी पशुओं के आश्रय के लिए पर्याप्त छाया प्रदान करें;
- (ज) सभी पशुओं को स्वच्छ खाद्य और जल तक सरल और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करें;
- (झ) ऐसी सभी सतह, जिनके संपर्क में पशु आए, सहज रूप से साफ और स्वच्छ हो या फटे या मैले होने पर बदली जाए;
- (ञ) उनमें फर्श ऐसी रीति में संनिर्मित हों, जो पशु के पैर और टांग को क्षतिग्रस्त होने से संरक्षण करें;

(ट) उसमें प्रत्येक पशु को सुखद, सामान्य स्थिति में मुक्त रूप से घूमने, खड़ा होने, बैठने, लेटने के लिए तथा सामान्य रीति में चलने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो ;

(5) प्रारंभिक बाड़े में रखे गए प्रत्येक श्वान (दूध छुड़ाई पिल्ले सहित) को फर्श स्थान की न्यूनतम मात्रा दी जाएगी, जिसकी गणना निम्न प्रकार से है-

(क) बाड़े की लंबाई : श्वान की लंबाई से चार गुना, जो उसकी नाक के अग्र बिंदु से उसकी पूंछ के मूल तक मापी जाए ; और

(ख) बाड़े की चौड़ाई : श्वान की लंबाई से दो गुना, जो उसकी नाक के अग्र बिंदु से उसकी पूंछ के मूल तक मापी जाए ।

(6) पोषणार्थ पिल्लों वाली प्रत्येक कुतिया को अतिरिक्त फर्श स्थान दिया जाएगा, जो उसकी नस्ल तथा व्यवहार लक्षण पर आधारित और परिचर्या करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा यथा अवधारित साधारणतया स्वीकृत पशुपालन पद्धतियों के अनुसार हो ।

(7) आरंभिक बाड़े की आंतरिक ऊंचाई बाड़े में सबसे लंबे कुत्ते के सिर से कम से कम छह इंच होगी, जब वह सामान्य स्थिति में खड़ा हो ।

(8) पशुओं को अल्प समयावधि के लिए रखने के लिए प्रयुक्त पिंजरे या क्रेट पशु को सामान्य रीति में खड़े होने, बैठने, लेटने और घूमने के लिए पर्याप्त रूप से बृहत् होंगे ।

(9) श्वानों को रात्रि के सिवाय जब देखभाल करने वाला निवृत्त होता है या जब चिकित्सा कारणों के लिए आवश्यक हो, पिंजरे में नहीं रखा जाएगा ।

22. श्वान को खूटे से बांधना- (1) श्वान केवल बाह्य आवास सुविधा में खूटे से बांधे जा सकते हैं यदि वे इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और केवल तब जब खूटे इस पैरा की अपेक्षाओं को पूरा करते हों ।

(2) खूटे श्वान के शरणगृह ढांचे के सामने या ढांचे सामने या शरणगृह के सामने खंभे से लगे होने चाहिए और श्वान की लंबाई जो ना के सिरे से इसकी पूंछ के आधार तक नापी जाएगी, से कम से कम तीन गुना होने चाहिए ।

(3) खूटे से श्वान की शरणगृह और खाने और जल पात्र तक आसान पहुंच बनी रहनी चाहिए ।

(4) खूटा श्वान के आकार के लिए प्रयुक्त सामान्य प्रकार और लंबाई का होगा तथा उचित रूप से लगे पट्टे द्वारा श्वान बंधा होना चाहिए जो श्वान को अपघात या उपहृति कारित करे ।

(5) पट्टा तार, सपाट चैन या पैसे सिरे वाली चैन या जंग लगी या बिना समान जोड़े वाली जैसी सामग्री बनी होना प्रतिषिद्ध है ।

(6) खूटे इस प्रकार लगे होने चाहिए कि श्वान बाह्य आवास सुविधा में अन्य वस्तुओं या अन्य श्वानों के शारीरिक संपर्क में आकर खतरे में न पड़ें और खूटे से पूरी दूरी तक घूम सकें ।

(7) परिमिति दीवाल इतनी ऊंचाई की होनी चाहिए कि अवांछनीय बाहरी पशु श्वान रखने के क्षेत्र जहां श्वान खूटे पर हैं, से बाहर रहें ।

(8) दीवार ऐसी बनाई जाए कि यह समान या बड़े आकार के अन्य श्वान के अंदर या नीचे से बाहर जाने से श्वानों को बचाए ।

23. संगति - (1) प्रेक्षण द्वारा यथावधारित उसी प्राथमिक बाड़े में रखे गए सभी श्वान संगत होंगे ।

(2) उसी प्राथमिक बाड़े में 12 से अनधिक वयस्क श्वान नहीं रखे जाएंगे ।

(3) प्रजनन के लिए के सिवाए, उत्तेजित मादा श्वान लैंगिक रूप से वयस्क नर श्वानों के साथ उसी प्राथमिक बाड़े में नहीं रखे जाएंगे ।

(4) प्रजनन क्लॉनीज़ में जब रखी जाती है, के सिवाय, झोल सहित मादा श्वान अन्य वयस्क श्वानों के साथ उसी प्राथमिक बाड़े में नहीं रखी जाएगी ; चार मास से कम आयु के पिल्लों को, उनकी मादा या पोषक मादा से अन्यथा उसी बाड़े में वयस्क श्वानों के साथ नहीं रखा जाएगा ।

(5) दूषित और आक्रामक प्रकृति के श्वानों को अन्य श्वानों से अलग रखा जाएगा और शीतलन को ऐसे श्वानों के प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(6) ऐसे श्वान जिनको संक्रामक रोग हैं या होने की संभावना है, स्वस्थ पशुओं से अलग रखे जाएंगे ।

(7) जब पशुओं का समग्र समूह या कक्ष किसी संक्रामक या सांसर्गिक कारक के संपर्क में आते हैं तो समूह को निदान, उपचार और नियंत्रण के दौरान उसी दशा में रखा जाएगा ।

24. श्वानों के लिए कसरत और सामाजीकरण – (1) वाणिज्यिक श्वानघर, वाणिज्यिक प्रजनक, व्यापारी, अन्य व्यौहारी और प्रदर्शक, श्वानों को कसरत कराने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु किसी समुचित योजना का विकास, प्रलेखन और अनुसरण करेंगे।

(2) योजना को प्रजनक और देखरेख करने वाले पशु-चिकित्सक द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत कसरत के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अनुसरित की जाने वाली लिखित मानक प्रक्रियाएं हैं।

(3) राज्य बोर्ड को अनुरोध पर, योजना भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) योजना, कम से कम निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपालन करेगी –

(क) झोल सहित मादा श्वान के सिवाय, किसी पशु आश्रय, बोर्डिंग श्वानघर, वाणिज्यिक श्वान घर, वाणिज्यिक प्रजनक, व्यापारी, अन्य व्यौहारी, प्रदर्शक या अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आश्रित, रखे गए या अनुरक्षित 12 सप्ताह से अधिक की उम्र के श्वान नियमित रूप से कसरत के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा; और

(ख) कसरत के लिए अवसर की बारंबारता, पद्धति और अवधि परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) प्रजनक, अपनी योजना को विकसित करने में, मनुष्यों के साथ सकारात्मक शारीरिक संपर्क, जो खेल या समान गतिविधियों के माध्यम से कसरत को प्रोत्साहित करे, प्रदान करने पर विचार करेगा और यदि कोई उत्तर अन्य श्वान के साथ संवेदी संपर्क के बिना किसी सुविधा में आश्रित, रखा या अनुरक्षित किया जाता है, तो उसे कम से कम दिन में एक बार मनुष्यों के साथ सकारात्मक शारीरिक संपर्क प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

(6) कसरत के लिए अवसर कई प्रकार से प्रदान किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत –

(क) पिंजरों, बाड़ों या घेरों में सामूहिक आवास, जो यदि इस नियम की न्यूनतम फर्श स्थान अपेक्षाओं के अधीन पृथक्कृत रखे जाते हैं तो प्रत्येक श्वान के लिए अपेक्षित स्थान के कम से कम एक सौ प्रतिशत प्रदान करते हैं;

(ख) देखभाल करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा विहित बारंबारता और अवधि पर घेरे या खुले क्षेत्र के लिए पहुंच की व्यवस्था करना;

(ग) या तो किसी बाड़ लगे क्षेत्र में या अन्य किनारे पर किसी व्यक्ति के साथ पट्टे पर पर्याप्त कसरत;

(घ) प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट दो बार कसरत करना;

(ङ) वयस्कों के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे और चार मास से कम उम्र के पिल्लों के लिए प्रतिदिन 5 घंटों के बराबर उपयुक्त अंतराल पर लोगों के साथ सामाजीकरण करना; और

(च) अन्य समान गतिविधियां

(7) प्रत्येक स्थापन केयरटेकरों, जो इन कार्यों को पूरा करता हो और समय, जिस पर प्रत्येक ऐसा कर्ता हो, के नाम प्रलेखित करते हुए जांच सूची रखेगा तथा जांच सूची निरीक्षणों के दौरान या जब मांगी जाए, बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) प्रत्येक स्थापन सुनिश्चित करेगा कि बलपूर्वक कसरत पद्धतियां या युक्तियां जैसे तैरना, ट्रेड मिल्स या पान गोष्ठी –प्रकार युक्तियां का उपयोग किया जाए:

परंतु यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी की राय में कतिपय श्वानों के लिए उनके स्वास्थ्य, स्थिति या उनकी भलाई के कारण कसरत करना अनुचित है तो प्रजनक को केवल उन विशिष्ट श्वानों के लिए इस पैरे में अपेक्षाओं को पूरा करने से छूट दी जा सकेगी।

25. भोजन – (1) पशुओं को विहित मानकों के अनुसार भोजन कराया जाएगा।

(2) भोजन, पशु की सामान्य स्थिति और भार को बनाए रखने के लिए असंदूषित, स्वास्थ्यकर, स्वाद और पर्याप्त मात्रा और पोष्टिक गुणों वाला होगा।

(3) डाइट प्रत्येक पशु की आयु और स्थिति के लिए समुचित होगी।

(4) पशुओं के उपयोग में लाए जाने वाले भोजन पात्र सभी पशुओं की सुगम पहुंच के भीतर होंगे और ऐसे अवस्थित किए जाएंगे ताकि मल मूत्र द्वारा न्यूनतम संदूषण को वर्षा से संरक्षित रहे। भोजन पात्र टिकाऊ सामग्री, जिसे आसानी से साफ और स्वच्छ किया जा सके, का बनाया जाएगा और साफ रखा जाएगा।

26. सफाई, स्वच्छता और गृह व्यवस्था – (1) मल और भोजन अपशिष्ट के अत्यधिक संचयन का निवारण करने के लिए, प्राथमिक बाड़ों में रखे गए पशुओं को गंदगी से निवारित करने के लिए रोग संकट, कीट और दुर्गंध कम करने के लिए प्राथमिक बाड़ों से मलमूत्र और भोजन अपशिष्ट प्रतिदिन तथा प्राथमिक बाड़ों के नीचे से जब जब आवश्यक हो, हटाए जाएंगे।

(2) जब प्राथमिक बाड़े को साफ करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, चाहे होजिंग, फलशिंग या अन्य पद्धतियों द्वारा, तो जब तक बाड़ा पर्याप्त रूप से बड़ा न हो ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पशुओं को इस प्रक्रिया में नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, गीला या परेशान नहीं किया जाता, पशुओं को हटाया जाएगा।

(3) प्राथमिक बाड़े को समीपवर्ती क्षेत्रों से ठहरा हुआ जल हटाया जाएगा।

(4) अन्य प्राथमिक बाड़ों में पशु सफाई के दौरान जल और अन्य अपशिष्टों से संदूषित होने से संरक्षित किए जाएंगे।

(5) प्राथमिक बाड़ों के सख्त तल और भोजन और जल पात्र समुचित प्रक्षालक घोलों के साथ धोकर और रोगाणुनाशकों के उपयोग से साफ और स्वच्छ किए जाएंगे।

(6) ऐसी सामग्री का उपयोग करने वाले बाड़े, घेरे और बाह्य आवास क्षेत्र जो रोड़ी, रेत, घास, मिट्टी या अवशोषित क्यारी जैसे पूर्ववर्ती कथित पद्धती का उपयोग करते हुए साफ और स्वच्छ नहीं किए जा सकते। दुर्गंध, रोग संकट और कीटों को निवारित करने के लिए यथाआवश्यक संदूषित सामग्री को हटाते हुए साफ और स्वच्छ किए जाएंगे।

27. परिसर के लिए गृह व्यवस्था – किसी स्थापन में जहां आवासीय सुविधा अवस्थित है, जिसके अंतर्गत भवन और आसपास के मैदान है, साफ और अच्छी मरम्मत में रखे जाएंगे तथा कूड़ा कचरा, अपशिष्ट उत्पादों और फेंकी हुई वस्तुओं और खरपतवारों, घास और झाड़ियों के संचयन से मुक्त रखे जाएंगे और इस प्रकार नियंत्रित किए जाएंगे ताकि सुविधा की सफाई, नियंत्रण और पिस्सू और किलनियों से निवारित करना सुकर बनाया जा सके तथा पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण का संरक्षण किया जा सके तथा देखभाल के समय नियमित डी-टिकिंग करवाई जाएगी।

28. श्वानों का वार्षिक टीकाकरण – प्रत्येक प्रजनन स्थापन में श्वानों का रेबीज़ (और अधिमानतः केनाइन डिस्टेंपर, पैरवो-वायरस, लैप्टोस्प्राइरोसिस और वायरल हैपाटाइटिस के विरुद्ध) के विरुद्ध प्रतिवर्ष टीकाकरण किया जाएगा।

29. कर्मचारिण – (1) प्रत्येक प्रजनक के पास इन नियमों द्वारा अपेक्षित पशुपालन व्यवहार और देखभाल के स्तर को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिण होंगे।

(2) कर्मचारिण जो पशुओं के लिए पशुपालन और देखभाल या नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं, उचित प्रकार से प्रशिक्षित होंगे तथा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा जिसके पास ऐसा करने के लिए पशुपालन और श्वानों की देखभाल में पर्याप्त ज्ञान, पृष्ठभूमि और अनुभव हो।

30. श्वानों की पहचान – प्रत्येक प्रजनक सुनिश्चित करेगा कि (क) प्रत्येक श्वान, श्वानों के कालर में चिपकाए सरकारी टैग से पहचाना जाता है;

(ख) सभी प्रजनन पशुओं और तीन मास से अधिक के पिल्लों की पहचान माइक्रो चिपिंग के माध्यम से किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी।

(ग) टैग क्रमानुसार संख्यांकित और अभिलेख के अनुसार संदर्भित किए जाते हैं, जो श्वान के स्रोत, सभी चिकित्सा उपचार या प्रक्रियाएं जिनसे वे गुजरे हों और पशु के स्वभाव पूरी तरह और सही प्रकार से पहचान करते हों; और

(घ) उसी प्रयोजन के लिए माइक्रो चिप्स को क्रमसंख्यांक आवंटित की जाती हैं और टैग संख्या और माइक्रो चिप संख्या के अभिलेख का उपयोग श्वान की पहचान, प्रत्येक ऐसे श्वान के साथ जो स्थापन से विक्रीत किया जाता है या अन्यथा बाहर ले जाया जाता है, के लिए किया जाता है।

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्लूडी (पार्ट)]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

**G.S.R.496(E).**—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 19(E), dated the 11<sup>th</sup> January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11<sup>th</sup> January, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11<sup>th</sup> January, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(b) “Animal Welfare Organisation” means a welfare organisation for animals recognised by the Board, and includes a Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act;

(c) “breeder” means an individual or group of persons who own dogs of specific breeds for breeding and sale of dogs and pups, and includes boarding kennel operator, intermediate handler and trader;

(d) “boarding kennel operator” includes an individual or group of persons that keep pet dogs and pups for temporary housing in kennel or any other establishment;

(e) “carrier” means the operator of any airline, aircraft, railroad, motor carrier, shipping line or other enterprise which is engaged in the business of transporting animals on hire;

(f) “certificate of registration” means a certificate of registration issued under these rules;

(g) “dog” includes a pup;

(h) “intermediate handler” means any person who receives interim custody of animals during the course of their sale or purchase;

(i) “inspector” means a person authorised in writing by the State Animal Welfare Board:

Provided that any person who is or has been a pet shop owner or breeder, or is related to a pet shop owner or breeder, shall not be authorised as an inspector under these rules;

(j) “State Board” means the State Animal Welfare Board constituted, in a State, by the State Government;

(k) “trader” includes an individual or group of persons who sells dogs and pups acquired from any breeder or pet shop, or from his or their own breeding facility, or imported for sale, or acquired in any other manner;

(l) “pet shop” means a shop, place or premises, including any shop, place or premises in a weekly or other market, where pet animals are sold or housed, kept or exhibited for sale, or where any retail or whole-sale business involving the selling or trading of pet animals are carried out;

(m) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;

(n) “Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)” means a SPCA established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act”;

(o) “veterinary practitioner” means a veterinary practitioner registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).



(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Prohibition of breeding of dogs without registration.—** (1) No breeder shall carry on or continue any breeding activity or own or house dogs for breeding and sale of dogs and pups, unless the breeder has obtained a certificate of registration in respect of the establishment being used or intended to be used by him for breeding or housing the dogs for breeding, from the State Board in accordance with these rules.

(2) Every breeder shall prominently display the certificate of registration in the establishment.

(3) Every breeder shall keep the establishment used by him for breeding or for housing the dogs to be bred or sold, open for inspection by a person authorised in writing by the State Board.

**4. Registration of breeder and establishment.—** (1) A person shall not be eligible for registration as breeder under these rules unless,—

(a) in the case of an individual, he has attained the age of majority and is of sound mind and is not disqualified from contracting under any law for the time being in force; and

(b) in any other case, the person is a corporation, company or other association of persons duly registered in accordance with any law for the time being in force.

(2) An application for registration of breeder in respect of an establishment used or intended to be used by him for breeding or housing the dogs for breeding, shall be made to the State Board in Form-I appended to the First Schedule providing all information required therein and accompanied with a non-refundable fee of five thousand rupees.

(3) A breeder shall be required to make separate applications for every establishment being used or intended to be used for breeding or housing dogs for breeding.

(4) The State Board shall, on receipt of an application for registration under sub-rule (2), cause the establishment of the breeder to be inspected by a team comprising of an authorised representative of the State Board and a veterinary practitioner.

(5) The team referred to in sub-rule (4) shall after making inspection submit, to the State Board, a report signed by all the members of the team.

(6) The State Board, after considering the report of the team submitted under sub-rule (5) and on being satisfied that the breeder and the establishment complies with the requirements specified under these rules, register the breeder in respect of that establishment and issue certificate of registration in Form-II appended to the First Schedule and the State Board shall, depending upon the available space, facilities and manpower in the establishment, fix the maximum holding capacity for each dog breeding establishment to avoid overcrowding.

(7) The State Board shall not register the breeder in respect of an establishment, if—

(a) the information submitted by the breeder has been found to be false or the applicant has made material and deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the State Board; or

(b) the breeder has, at any stage prior to submission of his application for registration, been convicted of any offence under the Act, or the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force; or

(c) the breeder has refused to allow the inspection team free and unimpeded access to the establishment; or

(d) the breeder does not meet the requirements laid down under rule 6.

(8) Where the State Board does not register the breeder in respect of an establishment, the State Board shall inform the breeder in writing the reasons thereof within thirty days from the date of receipt of application by the State Board.

(9) A certificate of registration issued by the State Board shall be valid for a period of two years, and may be renewed upon an application being made to the State Board together with a fee of five thousand rupees.

(10) A certificate of registration issued under these rules shall be non-transferable.

(11) The establishments registered with the Committee, referred to in section 15 of the Act, for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals, and coming under the purview of the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998 for the purpose of experiments, breeding and trading of animals, shall be exempted from registration under these rules.

**5. Renewal of registration.—** (1) An application for renewal of registration shall be made, at least thirty days prior to the expiry of the registration, to the State Board in the Form-I appended to the First Schedule and the provisions of rule 4 shall *mutatis mutandi* apply.

(2) The State Board shall not renew the registration of a breeder in respect of an establishment, unless the State Board, after considering the report of the team, referred to in sub-rule (4) of rule 4, is satisfied that the breeder and the establishment complies with the standards and requirements specified in rule 6 and the Second Schedule.

**6. Requirements to be met by breeders and establishments used for breeding or housing dogs for breeding.**— Every breeder shall comply with the standards and requirements set out in the Second Schedule.

**7. Inspection of establishment.**— (1) The State Board may, either upon receipt of a complaint or for any other reason, inquire into or cause any establishment of a breeder to be inspected by an inspector.

(2) The inspector shall, on producing his authority, have power to—

- (a) enter into the establishment at any reasonable time and access to all areas within the establishment and all animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;
- (b) take pictures, record videos, and make copies of the records.

(3) An establishment of a breeder registered under these rules shall be inspected at least once each year.

(4) The inspector shall submit to the State Board a report in writing of the inspection.

(5) If the State Board, after considering the report referred to in sub-rule (4) is of the opinion that any requirements of these rules are contravened by the breeder, it may, after giving a copy of the report to the breeder and an opportunity to show cause, revoke the registration of the breeder in respect of that establishment and communicate to him the reasons thereof in writing.

**8. Conditions for sale.**— (1) Every breeder shall ensure that—

- (a) pups less than eight weeks in age are not sold;
- (b) dogs over six months in age are not sold without first being sterilised, unless they are being sold to another licensed breeder;
- (c) dogs and pups are not sold for use in experiments, unless the purchaser is a breeder registered with the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals constituted under section 15 of the Act;

Provided that the sale of pups by the purchaser shall only be made to a facility registered with the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals;

- (d) only dogs in good health, that have been provided the medical inoculations, are sold;
- (e) each pup sold is micro-chipped and complete record of treatment and vaccination is maintained;
- (f) pups are not displayed in public places for the purpose of immediate sale; and
- (g) receipt for sale is provided to each purchaser and copy thereof is retained with the micro-chip number of the pup sold and name, address and phone number of the purchaser.

(2) The breeder shall furnish to the purchaser in writing, details of feeding, dates of inoculations and de-worming of the pup and the name and address of the veterinary practitioner who was attending to it.

(3) Every breeder shall screen prospective purchasers to ascertain their potential to take proper care of the breed, especially if it is a large one, to attend to its grooming, socialising, spatial and veterinary needs, and to bear the expense for its upkeep and maintenance.

(4) No breeder shall sell a dog to a pet shop operating without a licence or for any other activity which is in contravention of any other law.

(5) The breeder shall keep track of all pups produced and sold and it shall be the responsibility of the breeder to obtain information regarding the progress and state of health of all dogs sold by him, at least once each year.

(6) Every breeder shall rehabilitate a pup not sold within a period of six months, through an Animal Welfare Organisation.

**9. Records.**— (1) Every breeder shall maintain records of all animals housed in the establishment, including dogs for breeding and dogs for sale and be kept at the establishment for inspection in Form-III appended to the First Schedule.

(2) Every breeder shall maintain records of individual dogs, both male and female, including the following information, namely:—

- (a) breed;
- (b) name and number (or litter number);

- (c) micro-chip number;
- (d) sex, colour and markings;
- (e) date of birth;
- (f) names and microchip numbers of sire and dam;
- (g) name of breeder from whom acquired (where applicable);
- (h) name and address of person from whom directly acquired (where applicable);
- (i) date of acquisition;
- (j) date and duration of lease, if any;
- (k) date and place of mating;
- (l) names of persons handling the mating;
- (m) name and number of dog, including micro-chip number, with which mated;
- (n) name and address of owner (where applicable);
- (o) date of whelping;
- (p) number of pups whelped, by sex colour and markings;
- (q) litter registration number if any;
- (r) date of sale, death or rehabilitation of each pup so described;
- (s) name and address of purchaser;
- (t) cause of death as determined by a veterinary doctor and post mortem report of each dog that dies in the establishment; and
- (u) any other information that is deemed relevant by the Board or the State Board.

(3) Every breeder shall use clear and concise contracts to document sales, lease arrangements, spaying or neutering contracts, and any other contract pertaining to the dogs at their establishments in Form-IV appended to the First Schedule.

(4) Every breeder shall maintain health and medical records along with separate vaccination record, in Form-V appended to the First Schedule, of each dog, whether male or female, and of every pup in every litter and a copy of the records of any dog or pup that is sold shall be provided to the purchaser.

(5) All records maintained by the breeder under these rules shall be kept at least for a period of eight years, unless the State Board directs in writing that the records be maintained for a longer period for the purpose of investigation.

**10. Appeal.**— (1) Any breeder aggrieved by the decision of the State Board may, within thirty days of receipt of the decision, prefer an appeal to the Secretary, Animal Husbandry, Department of the State.

(2) Secretary, referred to in sub-rule (1), shall, after giving notice to the breeder and the State Board, and giving an opportunity of hearing to the parties, either reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing and communicated to the breeder and the State Board.

(3) Once the appeal is heard and rejected, all dogs over six months of age, in the breeding establishment shall be neutered at an Animal Birth Control facility and all pups that are not six months of age shall be given to the Animal Welfare Organisation for adoption, records of which shall be supplied to the State Board.

**11. Reports by breeder.**— (1) Every breeder registered under these rules shall —

(a) submit, at the end of each year, a report to the State Board, consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded or exhibited during the previous year;

(b) provide to the State Board, such other information as may be required by the State Board, from time to time; and

(2) The State Board shall send a consolidated report at the end of each year to the Board consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded or exhibited during the previous year and any such other information as may be required by the Board, from time to time.

**12. Effect of death of breeder registered under these rules.**— In the case a breeder registered under these rules, dies before the expiry of the period of registration, the registration in respect of the establishment shall be deemed to have been granted to his legal heirs in respect of that establishment and shall remain in force until the end of a period of three months from the date of death of the breeder and thereafter a fresh application for registration of the breeder in respect of that establishment shall be made in accordance with these rules for continuing the establishment.

**13. No licence without registration.**— No establishment being used or intended to be used for breeding or housing dogs for breeding shall be granted any licence by the local authority, unless the breeder has obtained a certificate of registration from the State Board in accordance with these rules.

### THE FIRST SCHEDULE

[See rules 4(2) and 5(1)]

#### FORM-I

#### APPLICATION FOR REGISTRATION OF BREEDER IN RESPECT OF AN ESTABLISHMENT

To

The State Animal Welfare Board

-----

----- (name of the State)

Subject: Application for registration of breeder in respect of an establishment

Sir,

I/We ----- r/o----- with office address -----  
-----, do hereby apply for a registration as breeder in respect of the establishment ---  
----- (details of establishment) in accordance with the particulars set out below:—

- (1) Name and address of the applicant (breeder):
- (2) Name and address of the establishment:
- (3) Telephone number:
- (4) Details of accommodation and infrastructure available at proposed establishment:
- (5) Working hours and rest day, i.e. day on which establishment shall remain closed:
- (6) Ventilation arrangement:
- (7) Lighting arrangement:
- (8) Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all pet animals:
- (9) Arrangements for food storage:
- (10) Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of animal excreta and waste:
- (11) Arrangement for disposal of animals that die:
- (12) Arrangement for medical and veterinary support:
- (13) Details of dogs proposed to be bred in the establishment:
  - (a) Breeds and number of dogs of each breed.
  - (b) Age of each of dog.
  - (c) Accommodation and number and size of cages and enclosures.
- (14) Qualification and experience of the applicant (breeder) in respect of breeding activities:
- (15) Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

**ADDITIONAL DETAILS IN CASE OF RENEWAL OF REGISTRATION**

(16) Details of dogs acquired and mated:

Sl. No.	Dog's micro-chip number	Date of acquisition	Date of mating	Mated with (micro-chip number of mate)	Pups born (micro-chip numbers)

(17) Number of dogs and pups died with reasons of death, post mortem report and micro-chip number:

(18) Details of dogs/pups sold:

Sl. No.	Dog/pup sold (micro-chip number)	Age of dog/pup	Date of sale	Sale price	Name, address and telephone number of purchaser

(19) Number of pups unsold and manner of their rehabilitation:

I/We do hereby declare that the information provided by us is accurate and true.

Place:

Signature of Applicant

Date:

**Form II**

[See rule 4(6)]

**Certificate of Registration of Dog Breeding Centre**

1. This Certificate of Registration is granted to ..... (Name and address of applicant) to establish a Dog Breeding Centre as prescribed in Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017.
2. The location of the Breeding Centre is at .....
3. The owner of Dog Breeding Centre is permitted to deal with the following dog breeds .....
4. The owner of Dog Breeding Centre shall abide by provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and the rules and notifications issued thereunder.
5. The owner of Dog Breeding Centre shall submit every year an annual report in compliance with clause (a) of rule 11 of the aforesaid rules for the year ending 31<sup>st</sup> December to reach the undersigned before 31<sup>st</sup> January of the succeeding year.
6. The Certificate of Registration shall be displayed prominently in the Shop.
7. The Certificate of Registration is non-transferable
8. The Certificate of Registration is valid up to ..... and renewal application should be submitted thirty days prior to the expiry date

Signature and Seal of

Date:

the State Animal Welfare Board

**Form III**

[See rule 9(1)]

**Register of Breeders and Suppliers of Dogs/Pups**

Sl. No.	Name and address of Breeder/Supplier	Contact Number and e-mail	Date of Transaction
1	2	3	4

Description of Dog breed	Age of animal	Vaccination details	Dog breeds at establishment
5	6	7	8

Micro-chip number of the dog breed	Remarks
9	10

**Form IV**

[See rule 9(3)]

**Register of Sale of Dogs/Pups**

Sl. No.	Name and address of Purchaser	Contact Number	Sale amount
1	2	3	4

Type of Dog Sold						Remarks
Category Or Breed	Colour	Micro-chip number	Sex	Age	Vaccination	
5	6	7	8	9	10	11

**Form V**

[See rule 9(4)]

**Register of health and medical records of Dogs/Pups**

Sl No.	Date on which animal was vaccinated	Sex of animal	Age of animal
1	2	3	4

Details of litter, if any	Date of Sale or Disposal otherwise	Medical attention provided	In case of death, how the animal was disposed	Remarks
5	6	7	8	9

**THE SECOND SCHEDULE**

[See rules 5(2) and 6]

**PART I****FACILITIES TO BE PROVIDED BY BREEDER IN AN ESTABLISHMENT**

- 1. Suitable kennels or accommodation.**— The dogs shall at all times be kept in kennels or accommodation suitable in all respects, in terms of construction, size, number of dogs, exercising facilities, proper temperature, lighting, ventilation and cleanliness.
- 2. Adequate housing.**— (1) Adequate housing with the provision of a sanitary facility, protection from the extremes of weather conditions, proper ventilation and appropriate space shall be provided.  
(2) All housing shall be made of impervious materials that can be sanitised and wood shall not be allowed for this purpose.
- 3. Indoor housing facility.**— The indoor housing facility at the establishment with environmental controls, housing or intended to house dogs and meeting the following requirements shall be provided, namely:—
  - (i) it may consist of runs or pens totally enclosed in a barn or building, or of connecting inside or outside runs or pens within a totally enclosed building;
  - (ii) it should be capable of controlling the temperature within the building or structure within the limits set forth for that species and age of animal, of maintaining humidity levels, and of rapidly eliminating odors from within the building;
  - (iii) it shall have an impervious floor; impervious surface means a surface that does not permit the absorption of fluids;
  - (iv) it shall be an enclosure created by the continuous connection of a roof, floor and walls; and
  - (v) it shall have at least one door for entry and exit that can be opened and closed and any windows or openings which provide natural light shall be covered with a transparent material such as glass or hard plastic.
- 4. Care and upkeep of dogs.**— The dogs shall be supplied with—
  - (a) adequate quantity of wholesome food at suitable intervals of not more than eight hours, and suitable for that species and age and enough to maintain a reasonable level of nutrition in each animal and served in a safe receptacle, dish or container;
  - (b) adequate supply of fresh, clean drinking water in a safe receptacle, dish or container and available at all times; and
  - (c) a fenced area for adequate exercise or provision for exercising the dog on a leash exists.

**PART II****GENERAL REQUIREMENTS TO BE ADHERED TO BY BREEDERS**

- 5. Breeding requirements.**— (1) The breeder shall be knowledgeable about reproduction, nutrition, wellness and care, early behavioral development, and breeding ethics.  
(2) Only normal, healthy, mature female dogs that have reached their eighteenth month shall be bred and shall be certified as healthy by a veterinary practitioner at least ten days prior to their being bred.  
(3) No female dog shall be exploited to produce litters in two consecutive breeding seasons.  
(4) Female dogs shall not be used such that they give birth to pups before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to pups.  
(5) Only one litter shall be produced in one year and artificial or unnatural techniques such as artificial insemination and rape stands shall not be used to impregnate dogs.  
(6) No female dog shall be exploited to give birth to more than five litters of pups during her lifespan.  
(7) No male dog shall be used for breeding unless he is a healthy, mature dog, and only after he has reached his eighteenth month and shall be certified as healthy by a veterinary practitioner at least ten days prior to his being mated.

**6. Common breeding techniques.**— (1) Breeders are known to utilise following four common breeding techniques, namely:—

- (i) out breeding;
- (ii) line breeding;
- (iii) in breeding; and
- (iv) incest breeding.

(2) Notwithstanding anything in sub-paragraph (1), the following two breeding techniques are permitted and accepted under these rules, namely:—

- (i) out breeding— the mating of dogs, which are not at all related to one another; and
- (ii) line breeding— mating between dogs that are marginally related to each other and in this case dogs are chosen for their special attributes to obtain certain types.

(3) The following two mating techniques are not permitted and are prohibited under these rules, namely:—

- (i) in breeding— mating between dogs that are related, which means that at least one ancestor of either is present on the side of both sire and dam and in breeding is breeding between relatives of the 2nd to 4th grade in straight or side line within the first four generations e.g. uncle to niece, nephew to aunt, cousin to cousin, grandparents to grandchildren;
- (ii) incest breeding— mating between parents and children or between brother and sister, i.e. 1st grade relatives and incest breeding as well as continued inbreeding and line breeding is risky, since it increases the danger of hereditary diseases.

(4) Female dogs shall not be mated after the age of eight years.

(5) Every breeder shall furnish the proof of age of their breeding female dogs certified by a veterinary practitioner.

(6) Every breeder shall keep a full record of the litter that the male dog or female dog has previously produced and other relevant details of the litter.

(7) Every breeding female dog shall be up-to-date with their vaccination boosters and de-worming prior to mating.

(8) There shall be no tail docking, ear cropping de-barking, de-clawing, branding, dyeing, injecting substances to enhance visual appeal, performing a surgery or procedure to camouflage or hide any defect or infirmity or any other kind of mutilation of any body part of the pup and any change of appearance by artificial means is strictly forbidden.

(9) Breeding to create new breeds of dogs or unusual looks shall be strictly prohibited.

### PART III

#### HEALTH RELATED REQUIREMENTS

**7. Health related requirements.**— Every dog shall be kept in a clean, healthy and safe environment and be provided with all socialisation opportunities, vaccinations, and de-worming necessary to provide maximum mental and physical well-being.

**8. Veterinary care.**— (1) Every breeder shall have the services of a consultant veterinary practitioner available to attend to emergency medical requirements and records of his visits shall be maintained in writing.

(2) The consultant veterinary practitioner shall visit the establishment periodically, at regular intervals and medical examination of each dog at the establishment shall be conducted at least once every month and a record of the same shall be maintained by the breeder.

(3) Individual health records shall be maintained of all animals above the age of eight weeks, or that have been weaned, or that have been treated with a medical procedure, whichever occurs first.

(4) Litter health records may be kept on litters when litter-mates are treated with the same medication or procedure and health records (or a copy) shall accompany all animals upon transfer of ownership.

(5) Every breeder shall ensure that frequent observation of all dogs to assess their health and well-being is performed by a veterinary practitioner or by a para vet if a mechanism of direct and frequent communication is established so that timely and accurate information on problems of animal health, behavior and well-being is conveyed to the consultant veterinary practitioner.



(6) Adequate training and guidance to personnel involved in the care of animals, including daily observation of animals, is required and the breeder shall employ only such persons who can perform at the level required by these rules.

(7) If the veterinary practitioner finds, either during the course of a visit to the establishment, or upon his attention being invited to the same by the State Board, that an animal or group of animals from a breeding kennel are suffering from contagious, communicable or infectious disease or exposure to any disease, a quarantine to that establishment may be issued by the veterinary practitioner until the animals are—

- (i) recovered and no longer capable of transmitting the disease; or
- (ii) isolated; or
- (iii) tested, vaccinated or otherwise treated; or
- (iv) humanely euthanised by a veterinary practitioner and properly disposed off.

(8) A quarantine issued by the veterinary practitioner shall remain in effect until released in writing by the veterinarian and the information regarding such a quarantine having been issued shall be provided by the veterinary practitioner to the State Board, in writing.

(9) All pups shall be vaccinated which can start at the age of seven-eight weeks, and are usually completed at the age of eighteen weeks.

(10) The dogs shall have been tested for genetic defects, including hip dysplasia, progressive retinal atrophy, night blindness, hypothyroidism, entropion, ectropion, overshoot, undershot jaw (when incisors do not touch or mesh), wry mouth, two or more missing teeth, unilateral cryptorchid or full cryptorchid males.

**9. Euthanasia.**— Dogs shall not be euthanised just because they can no longer breed or can not be sold and therefore not commercially viable and all euthanasia of mortally wounded or injured animals or incurably sick or terminally ill animals shall be accomplished by a registered veterinary practitioner under Veterinary Council of India or the State Veterinary Council in a manner and through a method approved by the Veterinary Council of India and the records including post mortem report shall be maintained of all animals euthanised, and all carcasses including those that naturally died must be incinerated and shall not be sold.

## PART IV

### HOUSING FACILITIES AND MANNER OF HOUSING DOGS

**10. Structure and construction.**— (1) Housing facilities for dogs shall be structurally sound, and be kept in good repair, contain the animals securely and restrict other animals from entering.

(2) Areas inside of housing facilities shall be kept neat and free of clutter, including equipment, furniture and stored material, but may contain materials actually used and necessary for cleaning the area, and fixtures or equipment necessary for proper husbandry practices.

(3) Housing facilities shall be physically separated from any other business.

(4) All surfaces in housing facilities, and all other constructions shall be such as allow them to be readily cleaned and sanitised, or removed or replaced when worn or soiled.

(5) There shall be no jagged edges or sharp points that may injure the animals.

(6) The ceilings of indoor housing facilities shall be impervious to moisture.

**11. Storage facilities.**— (1) Supplies of food and bedding shall be stored outside the animal area and in a manner that protects the supplies from spoilage.

(2) The supplies shall be stored off the floor and away from the walls, to allow cleaning underneath and around any supplies.

(3) Foods requiring refrigeration must be stored accordingly, and all food be stored in a manner that prevents contamination and deterioration of its nutritive value.

(4) All open supplies of food and bedding must be kept in leak-proof containers with tightly fitting lids to prevent contamination and spoilage and only food and bedding that is currently being used may be kept in the animal areas.

**12. Cleaning.**— (1) Hard surfaces with which the dogs come in contact shall be spot-cleaned daily and sanitised.

(2) There shall be no accumulation of excreta, and floors made of sand, gravel, grass or other similar material shall be raked or spot-cleaned with sufficient frequency to ensure all animals the freedom to avoid contact with excreta.

**13. Drainage and waste disposal.**— (1) Regular waste disposal, removal and disposal of animal and food waste, discarded bedding, debris, garbage, water, other fluids and wastes, shall be provided for.

(2) Housing facilities shall be equipped with disposal facilities and drainage systems that ensure rapid elimination of animal waste and water and if closed drainage systems are used they shall be equipped with traps that prevent the backflow of gases sewage onto the floor.

(3) Standing puddles of water in animal enclosures and adjacent areas shall be drained or mopped up so that the animals stay dry.

(4) Trash containers in housing facilities, food storage and food preparation areas shall be leak-proof and possessed of tightly fitted lids at all times.

**14. Water and electricity.**— The housing facility shall have reliable and adequate electricity supply including a backup provision in case of outage, and adequate potable running water for the animals' drinking needs, for cleaning, and for carrying out other husbandry requirements.

**15. Ambient and comfortable temperature.**— (1) The temperature within indoor housing facilities for animals shall be ambient and comfortable, depending on the breeds of dogs that are housed inside.

(2) The temperature shall be such as provides for their health and well-being.

**16. Ventilation.**— (1) Adequate ventilation at indoor housing facilities containing dogs shall be ensured by means of windows, doors, vents or air conditioning.

(2) The air shall be circulated by fans, blowers or air conditioning so as to minimise drafts, odors and moisture condensation.

**17. Lighting.**— (1) Indoor housing facilities for animals shall be well-lit enough to permit routine inspection, cleaning of the facility and observation of the animals.

(2) Primary enclosures shall be placed so as to protect the animals from excessive light.

**18. Chemicals.**— (1) Chemicals used for normal husbandry practices, cleaning, disinfecting, and the like, that may be toxic to the animals shall not be stored in food storage or food preparation areas, but may be stored in adjacent rooms or in secure cabinets in the animal areas.

(2) All chemicals shall be clearly labeled.

**19. Medicine.**— (1) All medication shall be stored in clean, dust restricting cabinets with well-fitting doors or other suitable containers with well-fitting lids.

(2) All medication shall be clearly marked, or labeled.

(3) Manufacturers' labels, including expiration date, shall not be removed or defaced.

(4) Medication such as dips, and rinses and those marked for external use only may be stored in the same cabinet but shall be physically separated from other medication.

**20. Fire detection and extinguishers.**— All indoor housing facilities and the indoor portion of sheltered housing facilities shall be equipped with properly maintained smoke or heat detection devices and extinguishers.

**21. Outdoor housing facilities.**— (1) The following categories of dogs shall not be kept in outdoor facilities, unless that practice is specifically approved by the attending veterinary practitioner in writing:—

(i) dogs that are not accustomed to the temperatures prevalent in the area or region in question;

(ii) dog breeds that cannot tolerate the temperatures prevalent in the area or region in question, such as long-haired breeds in high temperature locations; and

(iii) sick, infirm, aged or young animals.

(2) Outdoor facilities for dogs shall include one or more structures with roofs, i.e., one or more shelters that are accessible to each animal in each outdoor facility, and that are large enough to allow each animal within the structure to sit, stand and lie down in a normal manner, and to turn about freely and in addition, one or more separate outside areas of shade shall be provided, large enough to contain all the animals at once and protect them from the direct rays of the sun.

(3) Shelters in outdoor facilities for animals shall contain a roof, four sides and a floor, and shall—

(i) provide the animals with adequate protection and shelter from heat and cold; and

- (ii) provide the animals with protection from the direct rays of the sun and the direct effect of wind, rain, snow or other precipitation.
- (4) Primary enclosures for animals shall meet the following minimum requirements:—
  - (a) primary enclosures shall be constructed of suitable material and shall be structurally sound;
  - (b) they shall be kept in good repair;
  - (c) they shall have no sharp points or edges that can injure the animals;
  - (d) they shall be such as contain the animals securely, and keep other animals from entering the enclosure;
  - (e) enable the animals to remain dry and clean;
  - (f) provide shelter and protection from extreme temperatures and weather conditions that may be uncomfortable for or hazardous to the animals;
  - (g) provide sufficient shade to shelter all the animals housed in the primary enclosure at one time;
  - (h) provide all the animals with easy and convenient access to clean food and water;
  - (i) enable all surfaces that come in contact with the animals to be readily cleaned and sanitised, or replaced when worn or soiled;
  - (j) have floors that are constructed in a manner that protects the animal's feet and legs from injury; and
  - (k) provide sufficient space to allow each animal to turn about freely, to stand, sit and lie down in a comfortable, normal position, and to walk in a normal manner.
- (5) Each dog housed in a primary enclosure (including weaned pups) shall be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows:—
  - (a) length of the enclosure: four times the length of the dog, measured from the tip of its nose to the base of its tail; and
  - (b) breadth of the enclosure: two times the length of the dog, measured from the tip of its nose to the base of its tail.
- (6) Each female dog with nursing pups shall be provided with an additional amount of floor space, based on her breed and behavioral characteristics, and in accordance with generally accepted husbandry practices as determined by the attending veterinarian.
- (7) The interior height of a primary enclosure shall be at least six inches higher than the head of the tallest dog in the enclosure when it is in a normal standing position.
- (8) Cages or crates used to contain animals for short periods of time shall be large enough to permit the animal to stand, sit, lie and turn around in a normal manner.
- (9) Dogs shall not be caged except at night when the caregiver retires, or when necessary for medical reasons.
- 22. Dogs on tethers.**— (1) Dogs may be kept on tethers only in outside housing facilities that meet the requirements of these rules, and only when the tether meets the requirements of this paragraph.
- (2) The tether shall be attached to the front of the dog's shelter structure or to a post in front of the shelter structure and shall be at least three times the length of the dog, as measured from the tip of its nose to the base of its tail.
- (3) The tether shall allow the dog convenient access to the shelter structure, and to food and water containers.
- (4) The tether shall be of the type and strength commonly used for the size of dog involved, and shall be attached to the dog by a well-fitted collar that does not cause trauma or injury to the dog.
- (5) Collars made of materials such as wire, flat chains, or chains with sharp edges, or chains with rusty or non-uniform links, are prohibited.
- (6) The tether shall be attached such that the dog is not in danger of becoming entangled with other objects or coming into physical contact with other dogs in the outside housing facility, and such that the dog is able to roam to the full range of the tether.
- (7) A perimeter fence that is of sufficient height to keep unwanted animals out shall enclose the dog housing area where dogs are on tethers.

(8) The fence shall be constructed such that it protects the dogs by preventing other dogs of equal or greater size from going through it or under it, or even above it, and coming into contact with the dogs inside.

**23. Compatibility.**—(1) All dogs housed in the same primary enclosure shall be compatible, as determined by observation.

(2) Not more than twelve adult dogs shall be housed in the same primary enclosure.

(3) Female dogs in heat shall not be housed in the same primary enclosure with sexually mature males, except for breeding.

(4) Except when maintained in breeding colonies, female dogs with litters shall not be housed in the same primary enclosure with other adult dogs; pups less than four months of age shall not be housed in the same primary enclosure with adult dogs other than their dam or foster dam.

(5) Dogs with a vicious or aggressive disposition shall be housed separately from other dogs and sedation shall not be used to control behavior of such dogs.

(6) Dogs that have or are suspected of having a contagious disease shall be isolated from healthy animals.

(7) When an entire group or room of animals is known to have or believed to be exposed to an infectious or contagious agent, the group may be kept intact during the process of diagnosis, treatment and control.

**24. Exercise for dogs and socialising.**— (1) Commercial kennels, commercial breeders, traders, other dealers, and exhibitors shall develop, document and follow an appropriate plan to provide dogs with an opportunity for exercise.

(2) The plan shall be approved and signed by the breeder and the attending veterinarian, and include written standard procedures to be followed in providing the opportunity for exercise.

(3) The plan shall also be made available to the State Board upon request.

(4) The plan shall, at a minimum, comply with each of the following:—

(a) dogs over twelve weeks of age, except female dogs with litters, housed, held or maintained by any animal shelter, boarding kennel, commercial kennel, commercial breeder, trader, other dealer, exhibitor, or other licensee shall be provided the opportunity for exercise regularly; and

(b) the frequency, method and duration of the opportunity for exercise shall be determined by the consultant veterinary practitioner.

(5) The breeders, in developing their plan, shall consider providing positive physical contact with humans that encourages exercise through play or other similar activities and if a dog is housed, held or maintained at a facility without sensory contact with another dog, it shall be provided with positive physical contact with humans at least once daily.

(6) The opportunity for exercise may be provided in a number of ways, including—

(a) group housing in cages, pens or runs that provide at least one hundred per cent. of the required space for each dog if maintained separately under the minimum floor space requirements of these rules;

(b) providing access to a run or open area at the frequency and duration prescribed by the attending veterinarian;

(c) adequate exercise either in a fenced area or on a leash with a person on the other end;

(d) exercising for at least thirty minutes twice per day;

(e) socialising with people at suitable intervals equaling at least three hours per day for adult and five hours per day for pups less than four months of age; and

(f) other similar activities.

(7) Every establishments shall keep checklists documenting the name of the caretakers who complete these tasks, and the time at which each does so and checklists shall be made available to the State Board during inspections, or when demanded.

(8) Every establishment shall ensure that forced exercise methods or devices such as swimming, treadmills or carousel-type devices are resorted to or used:

Provided that if, in the opinion of the veterinary practitioner, it is inappropriate for certain dogs to exercise because of their health, condition or well-being, the breeder may be exempted from meeting the requirements of this paragraph for those specific dogs only.

**25. Feeding.**— (1) Animals shall be fed as per prescribed standards.

(2) The food shall be uncontaminated, wholesome, palatable and of sufficient quantity and nutritive value to maintain the normal condition and weight of the animal.

(3) The diet shall be appropriate for the individual animal's age and condition.

(4) Food receptacles used for animals shall be readily accessible to all animals and shall be located so as to minimise contamination by excreta and be protected from the rain and feeding pans shall be made of a durable material that can easily be cleaned and sanitised and shall be kept clean.

**26. Cleaning, sanitisation and housekeeping.**— (1) Excreta and food waste shall be removed from primary enclosures daily, and from under primary enclosures as often as necessary, to prevent an excessive accumulation of feces and food waste, to prevent soiling of the animals contained in the primary enclosures, and to reduce disease hazards, insects and odors.

(2) When water is used to clean the primary enclosure, whether by hosing, flushing or other methods, animals shall be removed unless the enclosure is large enough to ensure that the animals will not be harmed, wetted or distressed in the process.

(3) Standing water shall be removed from the primary enclosure and adjacent areas.

(4) Animals in other primary enclosures shall be protected from being contaminated with water and other wastes during the cleaning.

(5) Hard surfaces of primary enclosures and food and water receptacles shall be cleaned and sanitised, by washing them with appropriate detergent solutions and application of disinfectants.

(6) Pens, runs and outdoor housing areas using material that cannot be cleaned and sanitised using the method previously stated, such as gravel, sand, grass, earth or absorbent bedding, shall be cleaned and sanitised by removing the contaminated material as necessary to prevent odors, disease hazards, and insects.

**27. Housekeeping for premises.**— The establishment, where housing facilities are located, including buildings and surrounding grounds, shall be kept clean and in good repair, and free of accumulations of trash, junk, waste products and discarded matter, and weeds, grasses and bushes shall be controlled so as to facilitate cleaning of the facility, control and prevent fleas and ticks, and protect the health and well-being of the animals and regular de-ticking shall be practiced at the time of grooming.

**28. Annual vaccination of dogs.**— The dogs at every breeding establishment shall be annually vaccinated against rabies (and preferably against canine distemper, parvo-virus, leptospirosis and viral hepatitis).

**29. Employees.**— (1) Every breeder shall have enough employees to carry out the level of husbandry practices and care required by these rules.

(2) The employees who provide for husbandry and care or handle animals shall be properly trained, and supervised by an individual who has the requisite degree of knowledge, background and experience in proper husbandry and care of dogs to be able to do so.

**30. Identification of dogs.**— Every breeder shall ensure that—

(a) every dog is identified by an official tag affixed to the collar of each dog;

(b) identification of all breeding stock and of pups over three months, are performed by a veterinary practitioner through micro-chipping;

(c) tags are sequentially numbered and referenced to record which completely and accurately identify the source of the dog, all medical treatment or procedures that it may have been subjected to, and the disposition of the animal; and

(d) the micro-chips are allotted sequential numbers for the same purpose and a record of the tag number and micro-chip number used to identify the dog accompany each dog that is sold or otherwise moved out of the establishment.

[F.No.1/1/2010-AWD (Pt)]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.